खण्ड-185, अंक-4
सोमवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1879
(5 अगस्त, 1957 ई0)

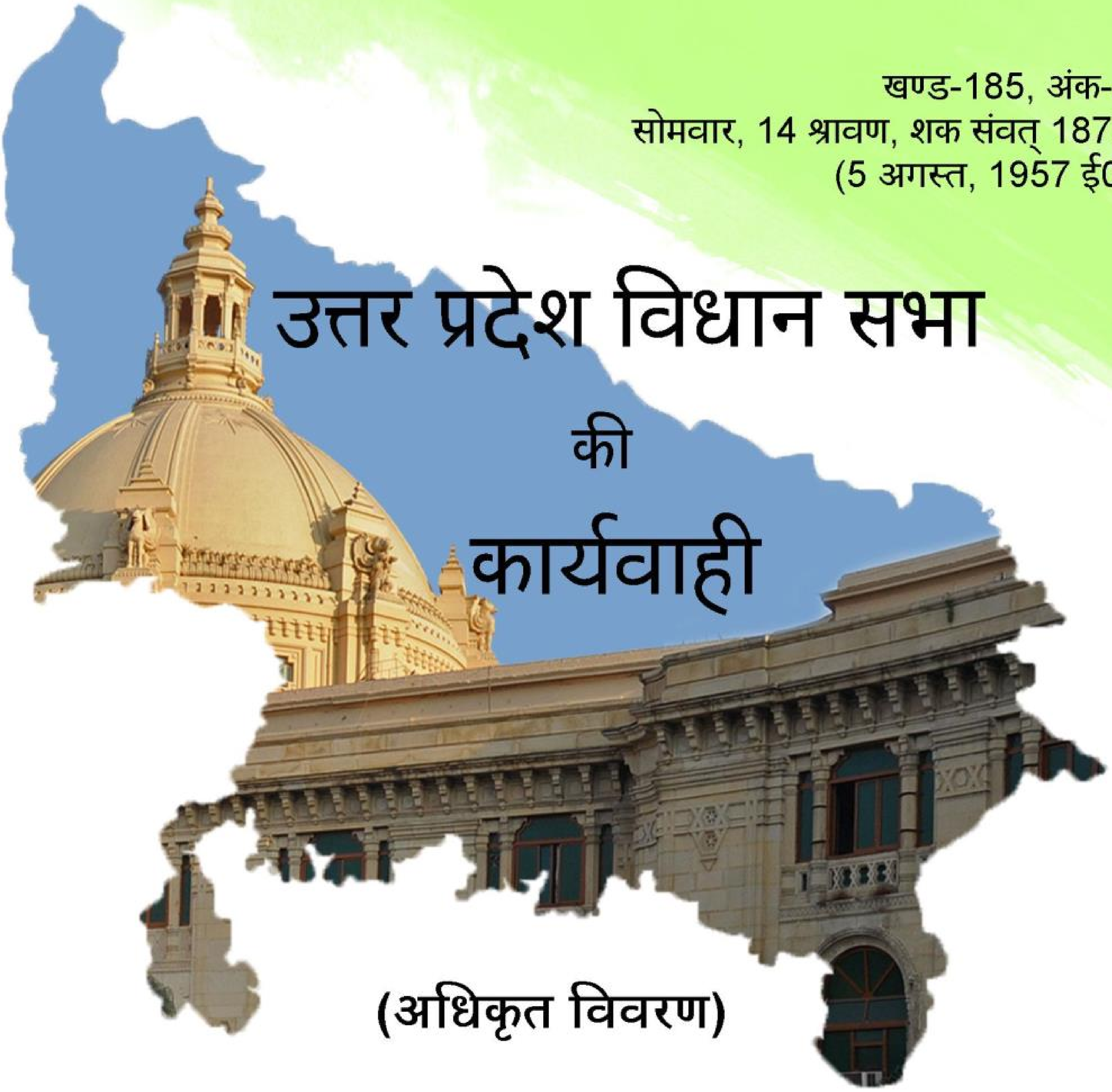

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 185 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय तथा साधारण कार्य में विरोधी दल को अधिक समय देने तथा विरोधी दल के परामर्श से कार्य-क्रम निर्धारित करने के सम्बन्ध में सुझाव ..	२७९–२८३
१९५७–५८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	२८३–२८४
अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—समाज कल्याण (स्वीकृत)..	२८४
अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा (स्वीकृत) ..	२८४–२९४
अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	२९४–३२१
नत्थियां	३२२–३२७

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ५ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३५१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
असग़र अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री उपनाम छन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदसहाय, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्ता, श्री
गौरी शंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छतरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
ढोकाराम पुजारी, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री

बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री

रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूपवर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वेशरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्री कृष्णगोयल, श्री
श्री कृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ५ अगस्त, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी कर्मचारियों को हिल एलाउन्स देने की सिफारिश

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार सभी श्रेणी के कर्मचारियों को सन् १९५१ के पहले की भांति "हिल-एलाउन्स" (Hill allowance) फिर से प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी नहीं ।

राजनीतिक बन्दियों को जेल में सुविधायें देने का सुझाव

**२—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह राजनैतिक बंदियों को उच्च श्रेणी की सुविधायें देने की बात सोच रही है ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—राजनैतिक बन्दी नाम का कोई वर्ग जेल में नहीं है अतः प्रश्न नहीं उठता ।

ललितपुर आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के बोर्ड आफ कंट्रोल का भंग होना

**३—श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत का ललितपुर आयुर्वेदिक कालेज का बोर्ड आफ कंट्रोल कब और किन परिस्थितियों में भंग किया गया तथा तब से उक्त कालेज की व्यवस्था किन के हाथों में है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—विगत जनवरी के अन्तिम सप्ताह में कालेज के विद्यार्थियों ने बोर्ड आफ कन्ट्रोल के अध्यक्ष तथा मेम्बरों से अपनी मांगें पूर्ण न होने के कारण त्याग-पत्रों की मांग की तथा उनके मकानों पर धरना दिया तथा सांकेतिक भूख हड़ताल की । तदुपरान्त अध्यक्ष तथा सदस्यों ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिये और कालेज के प्रबन्ध का उत्तरादायित्व छोड़ दिया । तबसे कालेज के प्रबंध की व्यवस्था को चालू रखने के हेतु कलेक्टर महोदय ने प्रबंध व्यवस्था अस्थायी रूप से अपने हाथों में ले रक्खी है ।

**४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कालेज के पुराने बोर्ड आफ कंट्रोल के भंग करने के बाद नया बोर्ड आफ कन्ट्रोल अभी तक क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नयी प्रबन्धकारिणी समिति बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। नयी समिति बनाने के आदेश जारी करने में कुछ कानूनी दिक्कतें पड़ रही है जो देरी का कारण हैं ।

आजमगढ़ जिले की कोपागंज टाउन एरिया में निर्वाचन कराने पर विचार

**५--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि कोपागंज टाउन एरिया (जिला आजमगढ़) जो "सुपरसीड" कर ली गई है, का पुनः कब चुनाव कराने का वह विचार कर रही है ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--कोपागंज टाउन एरिया में आगामी अक्तूबर में सामान्य निर्वाचनों के साथ चुनाव कराने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पर अंतिम निर्णय हो जाने की आशा कब तक है ?

श्री रामस्वरूप यादव--एक सप्ताह के अन्दर ही अन्तिम निर्णय हो जायगा ।

मऊ पावर हाउस के गन्दे पानी की निकासी का ड्रेन टूट जाना

**६--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि मऊ पावर हाउस के गन्दे पानी की निकासी के लिये जो ड्रेन टोंस तक ५० हजार की लागत से बनाई गई थी वह इस साल बरसात के पहले पानी पड़ने पर टूट कर नष्ट-भ्रष्ट हो गई है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)--जी हां ।

**७--श्री झारखंडे राय--यदि हां, तो क्या सरकार इसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--पूर्ण विवरण मंगाया गया है । जो कुछ विवरण मिल सका है इसके साथ नत्थी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२२ पर)

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इसकी जांच किसके जरिये कराई जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--एक्जिक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस योजना का ठेकेदार कौन था और उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है । जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा जा चुका है वह सूचना अभी बाकी है और इकट्ठी की जा रही है ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री इसका पूर्ण विवरण प्राप्त हो जाने पर उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, रख दिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या वित्त मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ड्रेन में जो ५० हजार रुपये की लागत का नुकसान हुआ है, क्या उसका सम्बन्ध एक्जिक्यूटिव इंजीनियर से था ?

श्री धर्मसिंह--५० हजार रुपये की लागत उसमें नहीं लगी । जो इंफार्मेशन दी गई है उसके अनुसार २९ हजार रुपये की बनाई गई थी और टूटने से ७०० रुपये का नुकसान हुआ है, जो ठीक कर दिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--एक्जिक्यूटिव इंजीनियर से इसका सम्बन्ध था या नहीं, इसका जवाब नहीं मिला ?

श्री धर्मसिंह--जैसा कि अर्ज किया इंफार्मेशन आने पर वह कार्यवाही की जायगी ।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कार्य का ठेकेदार कौन था ?

श्री धर्मसिंह--नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इसका सम्बन्ध एक्जिक्यूटिव इंजीनियर से था तो दूसरे आफिसर्स जो उसके ऊपर के हों उनके द्वारा जांच कराने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--यदि सरकार एक्जिक्यूटिव इंजीनियर की रिपोर्ट से किसी तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकेगी तो वह बाद में विचार किया जायगा, इस वक्त कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री को इस बात की सूचना है कि जो इस कार्य का ठेकेदार था वह एक्जिक्यूटिव इंजीनियर का सम्बन्धी था ?

श्री धर्मसिंह--इस बात के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

इटावा जिले में अहेरीपुर महोबा सड़क के निर्माण के लिये अनुदान की मांग

**८--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अहेरीपुर और महोबा की जो जिला बोर्ड की सड़क इटावा जिला में बन रही है उसके लिये सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कितना अनुदान दिया ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--इस सड़क के लिये सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया है । सरकार जिला बोर्डों को केवल उन सड़कों के लिये अनुदान देती है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से उनको १९५२ में वापस की गई थीं । यह सड़क उन सड़कों में नहीं है ।

**९--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि सड़क अनुदान प्राप्त करने के बाद भी तीन साल से पड़ी है और अभी तक नहीं बन सकी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिलान्तर्गत दोहरीघाट पम्प नहर में ली गई अयमा गांव पवनी की भूमि का मुआवजा

*१--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट पम्प नहर के निर्माण के लिये ली गई भूमि का मुआवजा आजमगढ़ जिले के अयमा गांव से पवनी तक कितना है और कितना दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)--दोहरीघाट पम्प नहर के निर्माण के लिये आजमगढ़ जिले के अयमा गांव से पवनी के बीच की ली गई जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया जा सका है । लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और मुआविजे का लेखा बनाया जा रहा है । तैयार होने पर मुआवजा बांट दिया जावेगा । चूंकि लेखा अभी तैयार हो रहा है इस लिये अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि मुआविजे की कुल धनराशि कितनी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जमीन पर नहर के निर्माण का काम कब से प्रारम्भ हुआ था ?

श्री राममूर्ति--मुझे ठीक तारीख तो मालूम नहीं है। यदि आप जानना चाहेंगे तो मैं मालूम कर लूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अनुसार विज्ञप्ति जारी करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--मान्यवर, मैंने सदन में कई बार बताया है कि एरियर्स बहुत इकट्ठे हो गये थे। लेकिन अब ३१ जुलाई तक सब कागजात तैयार हो चुके हैं और हम लैण्ड एक्वीजीशन के सिलसिले में अफसरान की तादाद बढ़ा रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि तीन चार महीने में काम हो जाय। लेकिन ६ महीने में तो यह सारा बंट ही जायगा।

आजमगढ़ जिले में 'हाहानाला' पर रेगुलेटर लगाने में विलम्ब

*२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "हाहानाला" बांध योजना जिला आजमगढ़ का "रेगुलेटर" कब तक बन जायेगा ?

श्री राममूर्ति--आशा की जाती है कि दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक हाहानाला पर रेगुलेटर बन जायेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस हाहानाले पर रेगुलेटर लगाने की योजना कब से है और विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--हाहानाले की योजना का जहां तक ताल्लुक है सिविल वर्क्स बन कर तैयार हो गये हैं खाली फाटक लगाने की बातचीत है वह दिसम्बर तक जरूर लग जायगा।

आजमगढ़ जिले में 'चंवर ताल' योजना

*३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "चंवरताल" योजना जिला आजमगढ़ पर काम कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति--चंवरताल योजना पर कार्य आरम्भ हो चुका है।

खटीमा पावर हाउस के कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता

*४--श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खटीमा बिजलीघर के कर्मचारियों को क्या-क्या वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें मिलती हैं ?

श्री धर्मसिंह--खटीमा बिजलीघर के कर्मचारियों को सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन, महंगाई एवं कम्पेन्सेटरी के एलाउन्स तथा सुविधाओं का विवरण संलग्न है। इसके अलावा सरकारी कार्य के लिये दौरा करने पर कर्मचारियों को नियमानुसार दौरा भत्ता मिलता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२३-३२५ पर)

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खटीमा बिजली घर के १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की क्या संख्या है ?

श्री धर्मसिंह--वह तो आपके विवरण में दिया गया है और सूची में है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रहने की क्या व्यवस्था है ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक हो सकता है कोशिश की जाती है कि वहीं पर उनके रहने के लिये प्रबन्ध किया जाय।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको हाउस एलाउन्स मिलता है? यदि हां, तो कितना?

श्री धर्मसिंह---नोटिस की आवश्यकता है।

*५---श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---[१२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*६---श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

अम्बर चर्खे द्वारा काटन इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की योजना

*७---श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अम्बर चर्खे के द्वारा काटन इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए उसकी क्या योजना है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस योजना से कितने बेरोजगारों को काम दिलाने की स्कीम है?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---चालू वित्तीय वर्ष में ६,००० अम्बर चर्खा चालू करके १२,००० लोगों को ट्रेनिंग देने की योजना राज्य सरकार ने बना कर अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को विचारार्थ एवं आर्थिक सहायता देने के लिए भेजी है। आयोग द्वारा योजना स्वीकार हो जाने पर ही यह निश्चय किया जा सकता है कि इसके द्वारा कितने लोगों को कार्य मिलेगा।

श्री रामहेत सिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग और खरीदने पर जो व्यय होगा वह भारतीय खादी ग्रामोद्योग द्वारा होगा या उत्तर प्रदेश सरकार उसमें खर्च करेगी?

श्री रऊफ जाफरी---जो योजना भेजी गई है उसके अनुसार कुल खर्चा खादी कमीशन के द्वारा होगा।

श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कीम को किन-किन जिलों में खोले जाने के लिये सरकार विचार कर रही है?

श्री रऊफ जाफरी---जब यह स्वीकृत हो जायगी तब यह सवाल उठेगा।

*८---श्री रामहेत सिंह---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*९---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---[२ अगस्त, १९५७ को प्रश्न संख्या ४७ के अन्तर्गत इसका उत्तर दिया जा चुका है।]

इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्री एरिया में कारखानों को बिजली

*१०---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के नैनी इन्डस्ट्री एरिया में कारखाने को चलाने के लिए कितने कारखाने वालों ने Electric Power के लिये मांग की थी, कितने कारखाने वालों को दी गई और कितने कारखाने वालों को पावर नहीं दी गई?

श्री धर्मसिंह---२४ ने मांग की थी जिनमें से १२ को बिजली दे दी गई, एक ने बिजली नहीं ली, ६ से बिजली देने के सम्बन्ध में कम्पनी का पत्र-व्यवहार हो रहा है तथा बाकी ५ को नहीं दी गई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन पांच कम्पनियों को बिजली नहीं दी गयी उसका कारण क्या है और वे कौन कारखाना खोलने वाली थीं ?

श्री धर्मसिंह--उन पांच कम्पनियों के नाम ये हैं :--

(१) नैनी स्टील रोलिंग मिल्स।
(२) नैनी इंजीनियरिंग ऐंड फाउन्ड्री वर्क्स।
(३) श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड।
(४) जनरल पेपर ट्रेडिंग कम्पनी।
(५) श्री बनवारीलाल शर्मा।

चूंकि इनकी लोड की मांग बहुत अधिक है और बिजली कम्पनी उनकी मांग को पूरा कर नहीं सकती इसलिये ये दिक्कत पड़ी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि जिस एरिया में ये फैक्टरियां लगाई जा रही हैं वहां देने के लिये बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं है ?

श्री धर्मसिंह--जैसा मैंने उत्तर में बतलाया, बिजली की कमी है और उन्होंने अधिक लोड मांगे थे। बिजली कम्पनी इस बात की कोशिश कर रही है कि अपने लोड को बढ़ाये।

*११-१३--**श्री जगदीशशरण अग्रवाल**--[स्थगित किये गये।]

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के संबंध में केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा भेजे गये पत्रों की प्रतिलिपियों की मांग

*१४--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों की महंगाई बढ़ाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं, क्योंकि वह पत्र गोपनीय है।

*१५--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार उपर्युक्त केन्द्रीय पत्र के उत्तर में भेजे गये अपने पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं, वह पत्र भी गोपनीय है।

*१६-१७--**श्री झारखंडेराय**--[५ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१८-१९--**श्री वीरेंद्र वर्मा** (जिला मुजफ्फरनगर)--[माननीय सदस्य के ३ प्रश्नों से अधिक होने के कारण ११वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ४-५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अयोध्या शुगर मिल्स बिलारी, जिला मुरादाबाद द्वारा बदायूं यूनियन का पूरा गन्ना न पेरना

*२०--**श्री शिवराज सिंह यादव** (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि जिला बदायूं से Ayodhya Sugar Mills, बिलारी, जिला मुरादाबाद को इस वर्ष १२ लाख मन गन्ना supply करने का offer दिया गया और उपर्युक्त मिल ने केवल चार लाख मन गन्ना लेना स्वीकार किया ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां।

*२१—श्री शिवराज सिंह यादव—यदि हां, तो सरकार ने शेष आठ लाख मन गन्ने के disposal का क्या प्रबन्ध किया ?

श्री रऊफ जाफरी—किसी बाकी गन्ने के disposal का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बदायूं यूनियन के गन्ने की quantity को बढ़ाचढ़ा कर offer किया गया था और बिलारी फैक्टरी ने पिछले तीन वर्षों की क्षेत्र की supply के आधार पर सिर्फ ४ लाख मन के करीब खरीदना मञ्जूर किया। सीजन के आखीर तक बदायूं यूनियन ने अपने सेन्टरों से कुल ४.८० लाख मन गन्ना supply किया जिसे मिल ने खरीद लिया।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या मंत्री महोदय कृपा कर बतायेंगे कि गत वर्ष बदायूं यूनियन ने अयोध्या शुगर मिल्स को गन्ना देने वाले किसानों का गन्ना बांड किया था ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये तो सूचना की जरूरत होगी। लेकिन जैसा कि मैंने बतलाया वहां से ४ लाख ८० हजार मन गन्ना पेर करके खत्म हो गया और उसके बाद कोई शिकायत नहीं आयी कि वहां गन्ना खड़ा है।

श्री शिवराज सिंह यादव—मिल ने यूनियन के आफर में ८६ परसेंट कमी कर दी थी। तो क्या वहां के महकमे ने भी किसानों के बांड को प्रोपोर्शनेटली घटा दिया था और उसकी सूचना दे दी थी ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे—जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने कहा कि बढ़ा-चढ़ा कर एस्टीमेट दिया गया था, तो क्या यह उनकी पद्धति है ?

श्री रऊफ जाफरी—ऐसा तो नहीं है। वह हो गया है और इसकी जांच की जायगी कि किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ा-चढ़ा कर कितने गन्ने का एस्टीमेट किया और यह करने वाला कौन है ?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने अभी जवाब दिया कि किसकी जिम्मेदारी है इसकी जांच कराई जायगी।

श्री वीरेंद्रवर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह बढ़ा-चढ़ा कर बांट दिया था यह गन्ना उत्पादकों ने दिया था अथवा गन्ना सोसाइटी ने ?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने तो कहा कि इसकी जांच की जायगी कि किसकी जिम्मेदारी थी।

*२२—श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)—[२२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

विधायक निवास में अनधिकृत सदस्यों के रहने पर आपत्ति

*२३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार बतायेगी कि जो भूतपूर्व एम० एल० ए० तथा उनके सम्बन्धी अब भी विधायक निवासों के कुछ कमरों में कब्जा किये हुए हैं वे किन-किन विधायक निवास में रहते हैं तथा उनकी संख्या क्या है ?

श्री धर्मसिंह—विधायक निवास ३ में दो भूतपूर्व एम० एल० ए० अभी भी रहते हैं।

*२४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी एम० एल० ए० महिलाओं को अभी तक कमरे नहीं मिले हैं ?

श्री धर्मसिंह--सब महिला सदस्याओं को जिन्होंने निवास स्थान मांगा था कमरे दे दिये गये हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त सदस्य फ्री रहते हैं या उनसे कुछ किराया लिया गया है और अगर लिया गया है तो किस रेट पर ?

श्री धर्मसिंह--जो भी नियमों के अनुसार रेट होते हैं किराया उनसे मांगा गया है । जब वह दे देंगे तब इसके बारे में निर्णय हो सकेगा ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब बहुत से सदस्यों को अभी तक स्थान नहीं मिला है तो विधायक निवास में जो सदस्य नहीं हैं वह क्यों ठहरे हुये हैं ?

श्री धर्मसिंह--सरकार ने इस बात की कोशिश की है और उनको बुलाकर भी कहा है और लिखकर भी भेजा है और हर प्रकार की कोशिश की है कि जो सदस्य नहीं हैं वह न रहें ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुराने विधायक निवास के कमरे उनसे कब तक खाली करा दिये जायंगे ?

श्री धर्मसिंह--जल्दी से जल्दी कोशिश की जायगी ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो महिला सदस्यायें अकेली रह रही हैं और उन्होंने लिखित यह दे दिया है कि यदि कोई महिला सदस्या उनके साथ रहना चाहे तो रह सकती है, फिर भी उनसे साढ़े ३७ रुपया माहवार क्यों काटा जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह--यह तो देखना पड़ेगा कि किस तरह का केस है । यदि इस प्रकार का केस है और कानून के अन्तर्गत आता है तो उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने विधायक इस तरह के हैं कि जिनके पास लखनऊ में रहने को स्थान है और वह कमरे लिये हुये हैं ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये देखना पड़ेगा । नोटिस की आवश्यकता है ।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे--क्या सरकार बतलायेगी कि जब चार मास के प्रयास के बाद भी कमरे खाली नहीं हुये तो कब तक आशा की जाय कि वे खाली हो जायंगे ?

श्री धर्मसिंह--मैंने उत्तर दे दिया है कि सरकार अधिक से अधिक कोशिश करेगी ।

श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बतायेगी कि कुछ कमरे जो सरकार ने लिये हैं और जिनका किराया सरकार दे रही है उनमें कोई रहता नहीं है ?

श्री धर्मसिंह--क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विधायकों के रहने का प्रबंध करे यह कमरे उस समय लिये गये थे कि जब कमरों की कमी थी और जिन माननीय सदस्यों को कमरे नहीं मिले हैं उनके लिये इस बात की व्यवस्था करने की कोशिश की गई थी और इसलिये वह लिये गये थे ।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या सरकार को ज्ञात है कि पुराने रेजीडेंस में पिछले पांच वर्षों से एक साहब रह रहे हैं जो अब तक नहीं हटे ?

श्री धर्मसिंह--जहां तक उनके रहने का सम्बन्ध है मैंने निवेदन किया कि उस पर कार्यवाही की जायगी ।

काशीपुर शुगर फैक्ट्री से सम्बन्धित भ्रष्टाचार की शिकायतें

*२५—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार को यह विदित है कि केन कमिश्नर उत्तर प्रदेश के पास काशीपुर (नैनीताल) के गन्ना उत्पादक किसानों की काशीपुर शुगर फैक्ट्री के गन्ना विभाग तथा केन सोसाइटी में विद्यमान भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें आयी हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां।

*२६—श्री प्रतापसिंह—यदि हां, तो क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार अथवा केन कमिश्नर ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां , तो क्या ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां। केन कमिश्नर ने एक अधिकारी को इन शिकायतों की जांच करने का काम सौंपा था। उस अधिकारी की रिपोर्ट पर जो कर्मचारी अपराधी पाए गए हैं , उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी उन शिकायतों की प्रमुख बातें सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—कुछ तो पर्चियों के बांटने के सिलसिले में शिकायत थी, कुछ उनकी कलेन्डरिंग के सिलसिले में शिकायत थी। यूनियन के काम के बारे में उनकी शिकायत थी। आनरेरी सेक्रेटरी के मुताल्लिक शिकायत थी। यह भी शिकायत थी कि कुछ उनकी तजवीज हैं वे भी मानी नहीं जाती। एक उन की मांग यह थी कि सप्लाई कमेटी बनायी जाय जिस पर डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट यूनियन के द्वारा सप्लाई के ऊपर विचार किया जाय।

श्री प्रतापसिंह—क्या उन शिकायतों में से ऐसी शिकायत भी थी कि जो गन्ना उत्पादक नहीं हैं उनका गन्ना फैक्ट्री लेती है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह सवाल कुछ समझ में नहीं आया।

श्री प्रतापसिंह—जो लोग गन्ना पैदा नहीं करते हैं और बाहर से खरीद कर गन्ना लाते हैं उनका गन्ना फैक्ट्री लेती है ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, मैंने कहा कि यह तो मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा होता है। ऐसी शिकायत रही है कि उन के पास कम गन्ना था और ज्यादा एस्टीमेट कर लिया गया और उन्होंने औरों से खरीद कर सप्लाई किया। यह शिकायत आई और सही भी पायी गई। इसलिये जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ इसकी कार्यवाही की जायगी।

श्री गेंदासिंह—क्या इस बात की शिकायत भी आयी कि जिन लोगों के पास गन्ना नहीं था और गन्ना सप्लाई नहीं किया उनके नाम गन्ना तौला गया और पेमेन्ट भी हो गया ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, ऐसी शिकायत है।

श्री गेंदासिंह—इस प्रकार का कितना गन्ना मिलों को सप्लाई किया गया इस का अन्दाज सरकार को है ?

श्री रऊफ जाफरी—इस वक्त तो नहीं बतला सकता कि ऐसा कितना सप्लाई हुआ लेकिन यह जरूर हुआ कि कुछ इस में गड़बड़ थी उस को दुरुस्त कर दिया गया। जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह शिकायत है यह फेवरटिज्म की है या करप्शन की ?

श्री रऊफ जाफरी—इसका पता लगाना कि कौन फेवरटिज्म है बड़ा मुश्किल है, लेकिन फेवरटिज्म भी तो करप्शन है।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिनका गन्ना नहीं था लेकिन उन के नाम की पर्ची काटी गई और पेमेन्ट कर दिया गया तो ऐसा कितना रुपया पेमेन्ट कर दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी---मैं पहले बतला चुका हूं कि यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री गेंदासिंह---जिन लोगों का इससे निकट का सम्बन्ध पाया गया वह सस्पेन्ड हुये या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी---उनसे जवाब तलब किया गया है ।

*२७-२८---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२९-३१---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३२---श्री झारखंडेराय---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३३---श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

शाहजहांपुर बिजली कम्पनी के चार्जेज

*३४---श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को खटीमा पावर हाउस से बिजली दी जाती है और उसके क्या रेट हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां । बिजली के रेट २०रु० १३ आ० ४ पा० प्रति के० वी० ए० (K. V. A.) प्रति माह तथा ९ पा० प्रति यूनिट है ।

*३५---श्री देवनारायण भारतीय (अनुपस्थित)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी नौ आना फी यूनिट जलाने वाली बिजली पर चार्ज करती है जब कि राज्य में कहीं भी इतना ज्यादा रेट पब्लिक से चार्ज नहीं किया जाता ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं । शाहजहांपुर बिजली कम्पनी ८ आना प्रति यूनिट रोशनी तथा पंखे के लिये लेती है तथा कुछ और कम्पनी भी इतना ही चार्ज करती हैं ।

*३६---श्री देवनारायण भारतीय (अनुपस्थित)---क्या सरकार उक्त दर को घटाने के सम्बन्ध में कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं । कम्पनी का लाभ उचित लाभ (reasonable return) से कम है इसलिये इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ के अनुसार उसे रेट घटाने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

गुड़ स्कीम की उन्नति के लिये जिला बदायूं में तकावी

*३७---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ में गुड़ स्कीम की उन्नति के लिये जिला बदायूं में किन-किन लोगों को कितना कितना रुपया दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी---वांछित सूचना †संलग्न है ।

---

†सूचना छापी नहीं गयी है ।

श्री टीकाराम—क्या सरकार बतलायेगी कि यह जो सूची में ३६० रुपया दिखलाया गया है यह इन सबको मिला कर दिया गया या अलग-अलग दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—जहां पर रुपया ब्रेकेट के अन्दर लिखा है वह उनको मिला कर दिया गया है ।

श्री टीकाराम—यह रुपया तक़ावी के रूप में कैसे वसूल किया जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी—सभी की एक साथ और अलग-अलग भी जिम्मेदारी है ।

श्री टीकाराम—क्या इन सबको जमानतें, जैसे तक़ावी में, एक साथ ली हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—तक़ावी में भी और दूसरी जगह भी, यह एक किस्म का जंजीरे सा है ।

सहकारिता के आधार पर मिलें खोलने की योजना

*३८—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार के पास कोई योजना इस प्रकार की विचाराधीन है कि प्रदेश में सहकारिता के आधार (Co-cperative Basis) पर मिलें खोली जावें ? यदि हां, तो कब तक योजना कार्यान्वित हो सकेगी ?

श्री धर्मसिंह—(क) जी हां ।

(ख) योजना पर काम होना शुरू हो चुका है ।

बिक्री-कर से प्राप्त धन

*३९—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ में बिक्री-कर के रूप में कुल कितना रुपया सरकार को प्राप्त हुआ ?

श्री धर्मसिंह—१९५६–५७ में बिक्री-कर से राज्य में ९,१९,५८,४४६ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई ।

*४०—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ में बिक्री-कर के वसूल करने एवं तत्सम्बन्धी अन्य प्रशासकीय कार्यों में सरकार को कितना रुपया व्यय करना पड़ा ?

श्री धर्मसिंह—वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के दौरान में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम को कार्यान्वित करने में २९,८५,४९३ रुपया व्यय हुआ ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनाज से कुल कितना रुपया वसूल हुआ है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गेंदसिंह—पहली अप्रैल सन् ५६ के बाद नये बिक्री-कर अधिनियम के मुताबिक कितने अधिक रुपये की आमदनी हुई ?

श्री धर्मसिंह—जैसा मैंने उत्तर में कहा है, सन् ५६–५७ के ही मैंने आंकड़े दिये हैं ।

समस्त निम्नवर्ग के कर्मचारियों को २ रुपये वेतन वृद्धि न मिलना

*४१—श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने २० रु० से ४० रु० तक वेतन पाने वाले निम्न कर्मचारियों के वेतन में जो २ रु० की वृद्धि की थी क्या वह सभी कर्मचारियों को मिल गई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--२०-१/२--२५, २५--१/२--३० और ३०--१--३५ रुपये के स्टैन्डर्ड स्केल में वेतन पाने वाले सभी निम्न कर्मचारियों के वेतन में २ रुपये माहवार की वृद्धि कर दी गई है ।

*४२--श्री शब्बीर हसन--यदि नहीं, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनको वह वेतन वृद्धि नहीं मिल सकी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--२० से ४० रु० तक मासिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना इस समय प्राप्त नहीं है ।

*४३-४५--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किये गये ।]

बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी

*४६--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिक्री-कर अधिनियम, १९५६ के अनुसार प्रदेश के कितने व्यापारियों ने अपने को Registered किया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--३१ मार्च, १९५७ तक उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५६ के अधीन ७८,०५७ व्यापारियों की रजिस्ट्री की गई ।

गाजीपुर जिले के जंगीपुर बाजार के लिये बिजली की मांग

*४७--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार गाजीपुर जिले के जंगीपुर बाजार में बिजली की रोशनी देने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जंगीपुर बाजार का विद्युतन करना अभी सम्भव न होगा ।

*४८-५०--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

गाजीपुर के बाढ़ विभाग का तोड़ा जाना

*५१--श्री यमुनासिंह--क्या यह सही है कि गाजीपुर से बाढ़ विभाग तोड़ा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति-- फ्लड डिवीजन गाजीपुर को बाढ़ सम्बन्धी बड़े कार्यों के पूरे हो जाने तथा धनाभाव के कारण तोड़ दिया गया है । परन्तु इसके बाकी कार्य तथा इस जिले में बाढ़ सम्बन्धी नई योजनाओं के कार्य अब इरीगेशन डिवीजन, गाजीपुर द्वारा किये जायंगे ।

*५२--श्री नारायणदत्त तिवारी--[१२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सरकारी हैन्डी-क्राफ्ट की दुकान इन्दौर प्रदर्शनी में ले जाने पर व्यय

*५३--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी हैण्डी-क्रैफ्ट की दुकानें इन्दौर प्रदर्शनी में ले जाने में कितना व्यय हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी--२५,५४७ रुपया व्यय हुआ ।

*५४—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदर्शनी के सम्बन्ध में स्पेशल मैनेजर इन्दौर कितनी बार गये और आये ?

श्री रऊफ जाफरी—तीन बार गये और आये।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त धनराशि किस खाते में जमा होकर व्यय की गई ?

श्री रऊफ जाफरी—वह प्रदर्शनी के खाते में थी। कुछ इसमें ग्राउन्ड रेन्ट है और कुछ बिल्डिंग का है जो बनी थी। सब खर्च उसी सिलसिले के हैं।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—खर्च करके जो शेष धनराशि बची वह किस खाते में जमा हुई ?

श्री रऊफ जाफरी—नोटिस की आवश्यकता है ?

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—उत्तर में जो बताया गया है कि स्पेशल मैनेजर साहब ३ बार आये गये, इसका क्या कारण है और इस पर कितना व्यय हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी—अलावा इस प्रदर्शनी के, मैनेजर साहब के पास और भी काम हैं, जितने भी हमारे हैन्डी-क्राफ्ट एम्पोरियम हैं, उनको भी देखना होता है। इसलिये वहां एकबारगी बहुत दिनों तक ठहरना मुमकिन नहीं था। ४२९ रुपये तीनों दफा में डेली एलाउन्स मिला कर खर्च था।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन्दौर प्रदर्शनी में जो स्टाल बना था उस पर कितना खर्च हुआ और कितने में वह बेचा गया

श्री रऊफ जाफरी—१२ हजार से कुछ ऊपर तो ग्राउन्ड रेन्ट दिया गया। स्टाल के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो फिर बतला दिया जायगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद—इन्दौर में कितने माल की बिक्री हुई थी ?

श्री रऊफ जाफरी—नोटिस की आवश्यकता है।

*५५—श्री यमुनासिंह—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*५६-५७—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५८—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[१२ अगस्त, १९५७ के लिये माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

मैनपुरी जिले के कुरावली टाउन को बिजली

*५९—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में टाउन एरिया कुरावली के अन्तर्गत जो बिजली का सब-स्टेशन बना है, उससे कुरावली की जनता को बिजली दी जायेगी।

श्री धर्मसिंह—जी हां।

*६०—श्री गनेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह—कुरावली नगर को वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिजली देने की कोशिश की जा रही है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुरावली नगर की जनता को बिजली किस तारीख से मिलने लगेगी ?

श्री धर्मसिंह—मैंने उत्तर में कहा है कि निश्चयपूर्वक तारीख नहीं दे सकता। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में दी जायगी।

भारी उद्योगों के खुलने वाले कारखाने

*६१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर कौन-कौन भारी उद्योगों के कारखाने आगामी दो वर्षों में आरम्भ होंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—भारत सरकार ने संलग्न सूची में दिये हुये उद्योगों के स्थापित करने के लिये लाइसेन्स दे दिये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आशा करती है कि इन उद्योगों के कारखाने आगामी दो वर्षों में आरम्भ हो जायंगे।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२६ पर)

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर में कौन-सा कारखाना खोलने का विचार है ?

श्री रऊफ जाफरी—फेहरिस्त जो दी गई है, उसमें मुजफ्फरनगर नहीं है। वहां ऐसा कारखाना खुलने वाला नहीं है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—फैक्ट फाइन्डिन्ग कमेटी ने जिन उद्योगों की सिफारिश की थी उनमें से सरकार ने किन-किन भारी तथा किन-किन मध्यम उद्योगों की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से की है ?

श्री रऊफ जाफरी—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—जिस फेहरिस्त का जिक्र किया गया है क्या मंत्री जी उसे हाउस में पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—इस प्रकार है :—

अमोनियम सलफेट व सोडा ऐश, बनारस में होगी, जिसे न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कायम करेगी। रेयन यार्न, कानपुर में, जे० के० काटन स्पिनिंग और वीविङ्ग मिल्स लगावेगी। टैक्सटाइल्स पार्ट, लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग कम्पनी, कानपुर में। रेलवे वैगन पार्ट्स गाजियाबाद और कानपुर में ट्रांसफार्मर और स्विचगेयर, नैनी में, सेन्ट्रल इलेक्ट्रिक कम्पनी लगावेगी। सीमेन्ट फैक्ट्री देहरादून में हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोलागोकरननाथ, की। रैपिंग पेपर की इलाहाबाद में और बगास से जो पेपर बनता है वह मेरठ में होगी। क्रूम क्रस्ट और सलफ्यूरिक ऐसिड कानपुर में, और टार्च की फैक्टरी लखनऊ में होगी।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार ने हाथरस, आगरा कमिश्नरी, के लिये कुछ उद्योगों की सिफारिश सेन्ट्रल सरकार से की थी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

अलीगढ़ जिले के बरमाना हसायन में इसेन्शियल आयल योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केंद्र

*६२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार बतायेगी कि अलीगढ़ जिले के बरमाना हसायन के गुलाब के उत्पादन तथा इत्र आदि के कार्य को बढ़ाने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री रऊफ जाफरी--सरकार ने बरमाना हसायन, जिला अलीगढ़ में इसेन्शियल आयल योजना के अन्तर्गत एक प्रशिक्षण व प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किया है जिसके अन्तर्गत यहां के गुलाब के उत्पादन तथा इत्र आदि के उद्योग को बढ़ाया जा रहा है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रशिक्षण केन्द्र का कोर्स कितने दिनों का है और अब तक कितने लोगों को शिक्षा मिल चुकी है ?

श्री रऊफ जाफरी--६ महीने में इसकी शिक्षा हो जाती है और मेरी जो सूचना है उसके अनुसार अब तक दो आदमियों को शिक्षा मिल चुकी है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रशिक्षण केन्द्र के कारण उत्पादन में क्या वृद्धि हुई है और स्थापना के बाद से अब तक के क्या आंकड़े हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--यह बतलाना मुश्किल है कि उत्पादन में क्या वृद्धि हुई है लेकिन जो डिमांस्ट्रेशन वगैरह का काम हुआ है उससे गंधी वगैरह लोग जो इस काम को करते हैं उनको इससे काफी फायदा हुआ है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी इस केन्द्र पर उत्पादन के आंकड़े को भी बढ़ाने का विचार रखते हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--उत्पादन तो जरूर बढ़ेगा। यह काम डिमांस्ट्रेशन का है, जो लोग इन कामों में हैं उन्हीं का डिमांस्ट्रेशन किया जाय कि वे इस काम को और आगे बढ़ावें। वैसे जमीन, मजदूरी वगैरह देने की भी योजना है और उनको ७,००० रु० तक की सहायता दी जा सकती है।

*६३-६५--श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६६-६७--श्री शिवप्रसाद (जिला खीरी)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

इटावा जिले में नलकूप निर्माण-कार्य न हो सकना

*६८--श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)--क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में ट्यूबवेल टेक्नीशियन डिपार्टमेंट ने ३१ मार्च सन् १९५६ से १ अप्रैल, १९५७ तक क्या-क्या काम किये हैं ?

श्री राममूर्ति--इटावा जिले में नलकूप विभाग द्वारा ३१ मार्च, १९५६ से १ अप्रैल, १९५७ तक की अवधि में कोई कार्य नहीं किया गया।

श्री मिहरबानसिंह--क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में कोई काम नहीं था या कोई दूसरा कारण है जिससे उस जिले में कोई काम नहीं हुआ ?

श्री राममूर्ति--इटावा जिले में जो पानी की सतह है वह १००-१५० फीट नीचे तक है, इसलिये सिंचाई विभाग के लोगों ने वहां ट्यूबवेल बनाना मुनासिब नहीं समझा। फिर भी वहां एक एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल बन रहा है जिसमें केन्द्रीय सरकार की एक टीम काम कर रही है। उसके बाद ही हम सोचेंगे कि वहां ट्यूबवेलस बन सकते हैं या नहीं।

श्री मिहरबानसिंह---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस एक वर्ष में एक नलकूप पर कितना खर्च पड़ा है सरकार का ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

बुलन्दशहर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उद्योग-धंधों को बढ़ाने की योजना

*६९---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किस-किस विशेष उद्योग-धंधे को चालू करने का वह विचार रखती है ?

श्री रऊफ जाफरी---इस जिले में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चीनी के बर्तन उद्योग, चर्म उद्योग, कांच की चूड़ियों का उद्योग तथा इन्सुलेटर्स के उद्योग को विकसित करने का सरकार का विचार है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार बुलन्दशहर जिले में चीनी के बर्तन, चमड़े और कांच की चूड़ी के उद्योग पर कितना खर्च करेगी और वह कितना-कितना होगा ?

श्री रऊफ जाफरी---सब मिला कर तो ३७,३५,००० रु० खर्च होगा और अलग-अलग आंकड़े ये हैं---कोआपरेटिव सोसाइटीज १५ होंगी जिनके ऊपर ३६,१०० रु० खर्च होगा और टेक्निकल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल के ऊपर १८,८८,००० रु० खर्च होगा। टेस्टिंग लेबोरेटरी इन्सुलेटर्स पर ढ़ाई लाख खर्च होगा और कुल खर्च ३,२१,००० रु० होगा। कुछ और मदें भी हैं, किन्तु कुल योग ३७,३५,००० रु० है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष से कार्यवाही शुरू की जायगी ?

श्री रऊफ जाफरी---काम तो वहां चालू है और हो रहा है, उसी को बढ़ाया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सहायता किन्हीं विशेष व्यक्तियों को दी जायगी या समितियों द्वारा काम कराया जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी---जो व्यक्ति इस काम में होंगे उनको और कोआपरेटिव्ज के द्वारा भी।

बुलन्दशहर जिले में उद्योग-धंधों के लिये दिया गया धन

*७०---**श्री रामचन्द्र विकल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ में बुलन्दशहर जिले में उद्योग-धन्धों के लिये कितनी सहायता दी गई ?

श्री रऊफ जाफरी---६,९०० रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सहायता किसको दी गई ?

श्री रऊफ जाफरी---यह श्री अनवर अली को पाटरी के लिये २,००० रुपये की और श्री उमराव सिंह को शू मेकिंग के लिये १,००० रुपया, श्री फरीद अहमद को पाटरी के लिये ६०० रुपया, श्री भगवती प्रसाद को फर्नीचर के लिये २,५०० रु० और श्री अब्दुल रहमान को पाटरी के लिये ८०० रुपया।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनको यह सहायता दी गई है उन्होंने इस धन को उद्योग को बढ़ाने की दृष्टि से व्यय किया या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी---इसकी शिकायत नहीं है कि उन्होंने ठीक व्यय नहीं किया ।

*७१-७२---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ को बिजली देने की योजना

*७३---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ तहसील में जो बिजली पहुंचने वाली थी वह कब तक पहुंच जायेगी ?

श्री धर्मसिंह---छिबरामऊ नगर का विद्युतीकरण वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री धर्मसिंह---स्टेटमेंट वगैरह बनने लगे हैं और जो कुछ भी बिजली देने के लिये जरूरी कार्यवाही हो सकती है वह सब की जा रही है ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पिछले साल इसका कुछ काम हुआ था और बीच में बन्द हो गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---हो सकता है कि बीच में कुछ दिन को किन्हीं विशेष कारणों से रुक गया हो, जमीन वगैरह की व्यवस्था न हुई हो, लेकिन अब तो काफी दिन से चर्चा चल रही है और कोशिश हो रही है ।

श्री गजेंद्रसिंह (जिला इटावा)---यह एस्टीमेट कितने रुपये का है ?

श्री धर्मसिंह---जैसा मैंने अर्ज किया वह अभी बन रहा है ।

*७४-७५---श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७६---श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

गवर्नमेंट हैण्डीक्राफ्ट को हानि पर चलाने में आपत्ति

*७७---श्री गेंदासिंह---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैण्डीक्रैफ्ट का बैलेन्सशीट प्रति वर्ष तैयार होता है ? यदि हां, तो पिछले दस वर्षों के भीतर किस वर्ष कितना लाभ और किस वर्ष कितनी हानि हुई ?

श्री रऊफ जाफरी---(अ) जी हां ।

(ब) वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२७ पर)

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार पिछले कुछ वर्षों में १३-१४ लाख का घाटा होने के बाद भी यहां के व्यवस्थापक लोगों को तरक्की देने की बात सोच रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---जहां तक हैण्डलूम एम्पोरियम का प्रश्न है उसके बारे में यह कहना कि घाटा हो रहा है, वह तो एक सरकारी काम है, वह कोई कामर्शियल आर्गेनाइजेशन यानी तिजारत के लिये नहीं है। असल में इसका काम हुआ है यहां के जो गृह उद्योग हैं उनको पापुलर बनाने के लिये, उनको बढ़ाने के लिये। तो बहुत-सा काम पब्लिसिटी और प्रोपेगेण्डा का होता है प्रदर्शिनियों में। शायद ही हमारे प्रदेश का कोई गृह-उद्योग होगा, जिसको इस हैण्डीक्राफ्ट के जरिये फायदा नहीं पहुंचा और यह भी करना पड़ता है बहुत-सी ऐसी नई चीजें बाजार में लानी पड़ती हैं, ६ हजार के करीब डिजाइन्स निकाली हैं। तो इन सब बातों पर खर्च होता है। तो नफा, मुनाफे का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ प्राइवेट प्रोडयूसर्स हैं, जिनको आर्डर मिलते हैं और उनसे रुपया स्टेट के अन्दर आता है। तो यह कहना कि बिल्कुल घाटा है, यह सही नहीं है। बाकी इस घाटे को घटाने की कोशिश की जायगी।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि दो वर्षों में मुनाफा भी हुआ था और उसके बाद बराबर इस विभाग में एमबेजिलमेंट और मिसमैनेजमेंट की शिकायत आ रही है?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां, यह सही है। लेकिन शायद इसका काम बढ़ता रहा तो बावजूद तमाम कोशिशों के यह मुमकिन नहीं होगा कि इस घाटे को कम किया जाय क्योंकि जैसे-जैसे काम बढ़ता जायगा वह घाटा आता जायगा।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे---क्या सरकार बतायेगी कि दो वर्ष जो मुनाफा हुआ था वह बावजूद घाटे के भी मुनाफा हो गया था?

श्री अध्यक्ष---कुछ प्रश्न साफ नहीं हुआ।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे---मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंत्री जी ने उत्तर में यह कहा था कि दो वर्ष मुनाफा हुआ था। उस पर मैंने यह प्रश्न पूछा।

श्री अध्यक्ष---मुनाफा हुआ दो वर्ष वह इसमें लिखा हुआ है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या सरकार बतायेगी कि पिछले ७ सालों में १३ लाख ४६ हजार ७२१ रु० घाटा उठाने के बावजूद भी सरकार इस दूकान को कितना और घाटा उठा कर चलाने को तैयार है?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट हैण्डीक्राफ्ट के हिसाब-किताब के सम्बन्ध में आडीटर ने कोई रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है?

श्री रऊफ जाफरी---आडीटर की रिपोर्ट जरूर आयी है।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसका क्या कारण है कि २ वर्ष तक मुनाफा हुआ और उसके बाद घाटा ही होता जा रहा है?

श्री रऊफ जाफरी---मैं समझता हूं उन दो वर्षों में जहां तक पब्लिसिटी और प्रोपेगेन्डा, एडवरटिजमेंट की बात है उन पर कम खर्च हुआ होगा, इस वजह से मुनाफ़ा हुआ होगा।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह घाटा क्यों हुआ है?

श्री अध्यक्ष---बता तो दिया गया।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)---क्या सरकार बतायेगी कि किस-किस साल में कितना-कितना घाटा हुआ है और अब तक कितना हो चुका है?

श्री अध्यक्ष--यह तो लिस्ट में है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुल खर्चे का कितना हिस्सा प्रचार कार्य में हर साल खर्च होता है ?

श्री रऊफ जाफरी--नोटिस की जरूरत है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या यह सही है कि आडीटर जनरल ने आडिट में यह रिपोर्ट लिखी है कि यू० पी० हैंडीक्रैफ्ट डिपार्टमेंट ही तोड़ दिया जाय ?

श्री रऊफ जाफरी--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

हमीरपुर जिले में सिंचाई की शरह में कमी के लिये प्रार्थना

*७८--श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हमीरपुर जिले में रबी की फसल में नहरों से किसानों के खेतों को इतना कम पानी मिलता है कि वे केवल १ बार ही सींचे जा सकते हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--यह कुछ अंश तक केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिये सत्य है जो महोबा के करीब छोटी झीलों और तालाबों से निकली हुई नहरों द्वारा सींचे जाते हैं। बड़ी नहरों के विषय में यह सत्य नहीं है। छोटे तालाबों में पानी की मात्रा बढ़ाने के लिये योजनायें चल रही हैं, और उन पर काम भी चल रहा है।

श्री डूंगरसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब उस क्षेत्र के खेतों को कम पानी दिया जाता है तो वहां पर सिंचाई की दरें कम क्यों नहीं हैं ?

श्री राममूर्ति--सिंचाई की दर तो वहां और जगह से ज्यादा नहीं है।

श्री डूंगरसिंह--कम तो होनी चाहिए, साहब।

श्री अध्यक्ष--आप तो बहस कर रहे हैं, आप प्रश्न पूछिए।

श्री डूंगरसिंह--और जगह से तो वहां पर दर कम होनी चाहिए जब पानी कम मिलता है ?

श्री राममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, वहां बुन्देले राजाओं के वक्त के तीन-चार तालाब हैं, मदन सागर, जगत सागर, कीरत सागर वगैरह। उनमें पानी कुछ कम है तो उसके लिए हम एक और रिजर्वायर बना रहे हैं, जिससे कि पानी की कमी न रहे।

श्री रामहेतसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसी कि माननीय सदस्य की शिकायत है उसके अनुसार पानी की गणना के हिसाब से आबपाशी का रेट लेने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--सिंचाई के रेट तो इस प्रान्त में बहुत ही कम हैं।

*७९-८०--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*८१-८२--श्री ब्रजनारायण तिवारी--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*८३--श्री ब्रजनारायण तिवारी--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८४-८६--श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोरखपुर में बिजली कम्पनी का ठेका

*८७--श्री केशवपांडेय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर में झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी का ठेका कब तक समाप्त हो रहा है और कम्पनी को कितने वर्ष का ठेका दिया गया था ?

श्री धर्मसिंह--गोरखपुर में बिजली सप्लाई कम्पनी को ठेका २३ सितम्बर, १९२६ को दिया गया था । ठेके की शर्तों के अनुसार उस तारीख से ५० वर्ष के पश्चात् गोरखपुर नगर-पालिका अथवा सरकार को उपरोक्त कम्पनी को खरीदने का अधिकार होगा ।

श्री केशवपांडेय--क्या माननीय मंत्री महोदय उन शर्तों की मोटी-मोटी बातों को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--वह तो बहुत-सी शर्तें हैं और उसके बहुत से नियम बने हुये हैं, उसी के अन्तर्गत है ।

श्री केशवपांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस ठेके की शर्तों में कोई ऐसी भी शर्त थी कि यदि कम्पनी उस वादे को पूरा न कर सके तो उसका ठेका खत्म कर दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह--तो वह तो अगर होगी और वह अगर उसको पूरा नहीं करते हैं तो उसके अनुसार कार्यवाही की गयी होगी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सरकार इस बिजली कम्पनी को अपने हाथ में लेने का इरादा करती है ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं ।

श्री केशवपांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगरपालिका ने सरकार का ध्यान इस ओर कई बार आकर्षित किया है कि गोरखपुर की एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी कई बार वादों को तोड़ चुकी है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, और सरकार ने उस पर उचित कार्यवाही की है । कम्पनी के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया और नगरपालिका के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया और उनसे सम्पर्क स्थापित कर के उचित कार्यवाही उसने की है ।

*८८--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)--[२९ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

ट्यूबवेल आपरेटरों की भर्ती

*८९--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ट्यूब वेल आपरेटरों की भर्ती कितने वर्ष की उम्र से शुरू होती है और कितने वर्ष की उम्र के पश्चात् बन्द हो जाती है ?

श्री राममूर्ति--ट्यूबवेल आपरेटर के पद पर भर्ती होने के लिये भर्ती होने के वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन किसी उम्मीदवार की आयु १८ वर्ष या इससे अधिक, पर २५ वर्ष से कब होनी चाहिये ।

*९०—श्री राजाराम शर्मा (अनुपस्थित)—परिगणित जाति के अथवा पिछड़ी जाति के उम्मेदवारों के साथ क्या कुछ छूट है ?

श्री राममूर्ति—परिगणित जाति के उम्मेदवारों की अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष अधिक है ।

*९१-९२—श्री केशवपांडेय—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*९३-९४—श्री गेंदासिंह—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

कानपुर जिले के राजकीय खादी केंद्र नौरंगा के एक कर्मचारी का वेतन रुकना

*९५—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले क राजकीय खादी केन्द्र नौरंगा के स्थानीय कार्यकर्त्ताओं को जनवरी, सन् १९५५ से सितम्बर, सन् १९५५ तक तथा अप्रैल, १९५६ से अगस्त, १९५६ तक के वेतन न मिलने के क्या कारण हैं?

श्री रऊफ जाफरी—इस खादी केन्द्र के एक स्थानीय कार्यकर्त्ता का अप्रैल, १९५६ से अगस्त, १९५६ तक का वेतन कुछ वैधानिक कारणों से रोक लिया गया है। कथित अवधियों का किसी अन्य कार्यकर्त्ता का वेतन भुगतान के लिये बाकी नहीं है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि एक कार्यकर्त्ता का जो वेतन रोक लिया गया है उसके लिये कहा गया है कि वैधानिक कठिनाई है तो क्या वह वैधानिक कठिनाई है ?

श्री रऊफ जाफरी—कुछ उनके खिलाफ हिसाब-किताब की शिकायत थी।

राज्य में दूसरी सीमेंट फैक्ट्री खोलने के लिये अन्वेषण

*९६—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में दूसरी सीमेन्ट फैक्ट्री बनने का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री रऊफ जाफरी—इस विषय में अभी प्रारम्भिक अन्वेषण हो रहा है । अतः यह बतलाना सम्भव नहीं है कि सीमेन्ट फैक्ट्री बनने का कार्य कब से आरम्भ होगा।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह पब्लिक सेक्टर की सीमेन्ट फैक्ट्री का उन्होंने जिक्र किया है या प्राइवेट का ।

श्री रऊफ जाफरी—प्राइवेट सेक्टर का ।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह फैक्ट्री द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही लगाई जायगी ?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कि अभी बतलाया गया कि जब जगह का निश्चय हो जायगा उसके बाद जल्दी से जल्दी कोशिश की जायगी कि वह लग जाय और उम्मीद यह की जाती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर लग जायगी ।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस अन्वेषणकाल में अब तक कितना खर्चा हुआ है ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके खर्चे का कोई हिसाब सरकार के पास नहीं है । जो पार्टी वहां है वह खर्च कर रही है ।

सेल्स टैक्स संबंधी विज्ञप्ति का हाई कोर्ट द्वारा अवैध करार दिया जाना

*९७—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेल्स टैक्स सम्बन्धी ३१ मार्च, १९५६ के सरकारी विज्ञप्ति को हाई कोर्ट के अवैध करार दे देने से राज्य की कितनी हानि हुई है ?

श्री धर्मसिंह—इस उद्देश्य से कि सरकार को कोई हानि न हो अपील दायर करने और सम्बद्ध कानून में संशोधन करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की गई। उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा अब पारित (पास) हो चुका है और उस का भूतलक्षी प्रभाव (रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट) होगा। इसलिये हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह नोटिफिकेशन, जिस को हाई कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है वह किस की गलती से जारी किया गया था ?

श्री धर्मसिंह—गलती का कोई सवाल नहीं था। वह तो इस तरीके से हुआ था कि उसे सही समझ कर किया था और हाई कोर्ट ने उसे अवैध करार दे दिया है, तो उसके लिये उचित कार्यवाही की गई है।

*९८—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)—[२९ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फतेहपुर जिले की खागा तहसील में बिजली देने की प्रार्थना

*९९—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के पूर्वी भाग खागा तहसील में भविष्य में विद्युत् शक्ति प्रसारित करने की कोई योजना है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

सोडा ऐश फैक्ट्री के लिये स्वीकृत धन का व्यय

*१००—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५-५६ में डेढ़ करोड़ रुपया सोडा ऐश फैक्ट्री बनाने के लिये सरकार द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उसका उपयोग किस प्रकार से किया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१९५५-५६ में सरकार ने एक १.४५ करोड़ रुपया सोडा ऐश तथा अमोनियम क्लोराइड फैक्ट्री बनाने के लिये न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कंपनी लिमीटेड, कलकत्ता को ऋण दिया। उक्त कंपनी ने इस ऋण से तथा अपने पास से धन लगाकर २.४६ करोड़ की मशीनों के लिये आर्डर दे दिया है और ३०,७०,००० रुपये की मशीनों के लिये पत्र-व्यवहार हो रहा है। इसके अतिरिक्त सिविल वर्क्स भूमि विकास, जल-व्यवस आदि पर व्यय हो रहा है।

मथुरा जिले के उद्योग-धंधे

*१०१—श्री रामहेत सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले में इस समय कौन-कौन से उद्योग-धंधे सरकार द्वारा चल रहे हैं तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस-किस जगह, कौन-कौन उद्योग-धन्धा चलाने का सरकार विचार कर रही है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ९७ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मथुरा जिले में इस समय सरकार द्वारा निम्नलिखित उद्योग चलाये जा रहे हैं--

रंगाई एवं छपाई, निवाड़ तथा फीता बुनाई, चमड़ा रंगाई, सूत कताई, करघा, गुड़ उद्योग।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में उक्त जिले में चमड़ा तथा गुड़ उद्योग का विकास करने का आयोजन है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक शिक्षालय योजना, औद्योगिक सहकारी योजना, के अन्तर्गत भी विभिन्न उद्योगों का विकास किया जायेगा।

स्थानों का निर्णय जिला नियोजन समिति के परामर्श से होगा।

विधायक निवास में सभासचिव, उपमन्त्री तथा सरकारी कर्मचारियों का रहना

*१०२--श्री परमेश्वरदीन वर्मा (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास में कितने ऐसे कमरे हैं, जिनमें कि सभा सचिव, उप-मन्त्री और सरकारी व्यक्ति रहते हैं और कितने दिनों से ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--विधायक निवासों के ८ कमरों में इस समय सभा-सचिव तथा उप-मंत्री अपनी नियुक्ति की तिथि से रह रहे हैं। २१ कमरे ऐसे हैं जिनमें सदस्यों की स्वीकृति से सरकारी व्यक्ति रह रहे हैं। यह किस तिथि से रह रहे हैं, इसकी सरकार को कोई सूचना नहीं।

*१०३--श्री परमेश्वरदीन वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास १ और २ के बीच जो बंगला तोड़ा जा रहा है वह कब खाली हुआ और कब से तुड़ाई कार्य शुरू हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस बंगले का कुछ हिस्सा ८ मई, १९५६ को खाली हुआ और बाकी हिस्सा २६ जुलाई, १९५७ को। इसकी तुड़ाई का कार्य १ मई, १९५७ को शुरू हुआ।

गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद तथा लखनऊ में शिड्यूल्ड कास्ट के कर्मचारी

*१०४--श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद तथा लखनऊ में कुल कितने क्लर्क हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--५००।

*१०५--श्री जवाहरलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त क्लर्कों में शिड्यूल्ड कास्ट के क्लर्कों की प्रतिशत संख्या क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उक्त क्लर्कों में शिड्यूल्ड कास्ट ०.४ प्रतिशत हैं परन्तु इस विभाग के सभी वर्ग (कैटेगरीज) के कर्मचारियों में शिड्यूल्ड कास्ट के कर्मचारियों की प्रतिशत संख्या २२ है।

गन्ना तथा सेस का बकाया

*१०६--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ना किस जिले में कितना खड़ा है और वह कब तक पेरा जायेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--प्राप्त सूचना के अनुसार अब प्रदेश की सब चीनी मिलें सीजन १९५६-५७ की पिराई खत्म करके बन्द हो चुकी हैं और किसी जिले से पिराई के लिये गन्ना बच रहने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

*१०७--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार बतायेगी कि गन्ना तथा सेस की अब तक की बकाया की वसूली के लिये किस मिल के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मांगी गई सूचना संलग्न †तालिका क और ख में दी हुई है ।

आगरा जिले में खजानों का काम तहसीलदारों के सुपुर्द करना

*१०८--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या आगरा जिले में सरकारी खजांची के बजाय सरकार द्वारा तहसीलों के खजानों का काम तहसीलदारों के सुपुर्द कर दिया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, आगरा के लिये सरकारी खजांची की नियुक्ति होने तक आगरा जिला के तहसीलों के खजानों का काम मात्र अस्थायी रूप से तहसीलदारों के द्वारा कराया जा रहा है ।

*१०९-१११--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--[प्रश्न ८२-८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

[* * * * *]

भुखमरी से सम्बन्धित ३ अगस्त के दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--३ तारीख को दो कामरोको प्रस्ताव स्थगित किये गये थे । उस समय अन्न मंत्री जी ने कहा था कि वे इसकी जानकारी हासिल करके देंगे । तो वे कृपा करके वाकयात बता दें फिर मैं निर्णय करूंगा इन दोनों के बारे में ।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, उस दिन जो एडजर्नमेंट मोशन्स थे उनमें तीन जिलों के तीन गांवों के मुताल्लिक कहा गया था कि वहां भुखमरी के वाकयात हुए हैं । चुनांचे मैंने उन तीनों जिलों के तीनों गांवों से इत्तला मंगाई है और जो इत्तला मेरे पास पहुंची है उससे यह मालूम होता है कि उन तीनों में से कोई भी वाकया भुखमरी का नहीं है और जो कुछ इस एडजर्नमेन्ट मोशन में कहा गया है वह सही नहीं है ।

पहला जो उदाहरण दिया गया था वह जिला आजमगढ़, मौजा सकरामऊ के मुताल्लिक था । वहां की इत्तला यह है कि एक कोई बच्चा डेढ़ महीना हुआ मर गया और उसकी मां से जब पूछा गया तो उसने कहा कि यह बच्चा भूख से नहीं मरा था, बल्कि अपनी मौत से मरा था । उस जमाने में उसके बाप वहीं मौजूद थे, लेकिन अब वह बम्बई में है और नौकरी कर रहा है । मां हट्टी-कट्टी वहां मौजूद है और उसके पास १५ बीघा जमीन है और वह काश्तकारी कर रही है । खुद भी काम करती है । उसके घर में जाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि वहां पर थोड़ा अनाज भी उसकी जरूरत के लिये मौजूद है तो क. सवाल इस मौजे में किसी वाकये के हिसाब से नहीं उठता ।

दूसरा जो उदाहरण दिया गया वह जौनपुर जिले का था, मौजा कुरेठा का । यहां का यह किस्सा है कि एक तूमी नाम का हरिजन है जो वहां रहता है । उसकी बीबी है

---

†तालिका छापी नहीं गयी ।

[श्री] अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

२८ बरस की है। उसकी मां भी उसके साथ रहती है। उसकी उम्र ६० वर्ष की है। उसके तीन बच्चे थे। एक ९ वर्ष का और एक ७ वर्ष का। यह दोनों अभी जिन्दा हैं। एक तीसरा बच्चा जो दो वर्ष का था कोई एक महीना हुआ मर गया। उसको चेचक हो गई थी। दूसरे बच्चे को भी चेचक निकली थी, लेकिन वह अच्छा हो गया और अपने मां-बाप के साथ रह रहा है। तो कहने का मंशा यह है कि जो यह वाकया बयान किया गया वह भी भुखमरी का नहीं है।

श्री अध्यक्ष--एक तो पद्माकरलाल जी का था और एक रामसुन्दर जी पांडेय का था.....

श्री सैयद अली जहीर--ये तीनों मसले श्री रामसुन्दर पांडेय के एडजर्नमेंट मोशन में थे.....

श्री अध्यक्ष--तो तीनों के बारे में आपका कहना है कि भुखमरी के वाकये सही नहीं हैं।

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, यह दो मसले हुए। तीसरे के बारे में कहा गया कि बलिया जिले में एक गांव है रतनपुरा। वहां किसी की मौत भुखमरी से हुई है। उसके मुताल्लिक यह इत्तलात है कि वहां पर एक बच्ची कोई ७ बरस की थी, तीन चार दिन हुए मर गई। यह लड़की अर्से से बीमार थी और उसका इलाज अस्पताल में हो रहा था। वहां रतनपुरा में एक अस्पताल है डेवलपमेंट ऐण्ड ब्लाक हास्पिटल। उसी में उसका इलाज हो रहा था और उसको पेट की शिकायत थी और उसी की वजह से वह मरी है। उसका बाप ४५ साल का है, वह जिन्दा है। कुछ साल हुए यह ब्रांच पोस्ट मास्टर था, लेकिन अब नहीं है और उससे अलग हो गया है। उसके तीन और भाई हैं जिनमें से एक की फ्लोर ऐण्ड आयल मिल्स है, जो रतनपुरा में ही काम कर रही है और उसका पक्का मकान है जिसमें वह रहता है। तो एक मामूली हैसियत का वह आदमी है और उसकी बच्ची की जो मौत हुई है वह पेट की बीमारी की वजह से हुई है। तो यह देखने काबिल है कि उसका बाप मौजूद है, अजीज मौजूद है, जिनके पास मिल है, पक्का मकान है और उसके बाद भी यह कहा जाता है कि यह भूख से मर गई। यह किसी तरह से सही नहीं हो सकता। तो इस तरह की मिसालें दी जा रही हैं और अखबारों में भी छप रही हैं। यह बलिया और जौनपुर की मिसालें अखबारों में छपी हैं। तरह-तरह की खबरें अखबारों में छपती हैं। तो इस तरह की खबरों के ऊपर एडजर्नमेण्ट मोशन देना कोई मुनासिब बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--वह चीज मेरे पास नहीं भेजी गयी और चूंकि यह सवाल महत्व का पैदा होता है, तो मैंने उसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की और गवर्नमेंट ने उसकी तहकीकात करके खबर दी। यह ठीक है। अब मैं यह समझता हूं कि उसके हिसाब से यह अनिश्चित हो जाता है। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव सदन के सामने लाया जाय।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष--इसके अलावा अब निवेदन नहीं हो सकता है। वह आप पहले बता सकते थे और इसके साथ ही आपको पहले भेजना चाहिये था। जिस समय आपका कामरोको प्रस्ताव आया उस वक्त इसका आधार बतलाना चाहिये था कि क्या जांच की जाय। यह सब उसी रोज आना चाहिये। वह आपने नहीं दिया। केवल अखबार ही

[श्री अध्यक्ष]

मुझे दिया है। मैं उसी समय प्रस्ताव को रिजेक्ट कर सकता था, लेकिन यह एक महत्त्व का प्रश्न था चूंकि एक जिम्मेदार सदस्य ने यहां पर पेश किया था, तो मैंने सोचा कि सूचना सदन को मिलनी चाहिये गवर्नमेंट की ओर से। मैंने वह सदन को दिला दी।

जिला पीलीभीत में पुलिस के निरंकुश व्यवहार से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री प्रतापसिंह का है जिसमें वे कहते हैं कि "जिला पीलीभीत में जो पुलिस के निरंकुश व्यवहार के कारण भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें तीन खून हो गये हैं और आगे क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता है। एक तार कल आया और खून होने का समाचार तो सभी प्रमुख पत्रों में आ चुका है।

अतः उपरोक्त कारणों से मुझे संलग्न कामरोको प्रस्ताव आज प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाय"।

यह तो केवल ऐसी चीज है जो स्थानीय शासन से सम्बन्ध रखती है। इसलिये यहां पर नहीं आ सकती है, क्योंकि सरकार से इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि पुलिस का अनुदान भी जल्दी ही सदन के सामने विचारार्थ आने वाला है, उस समय आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

पूर्वी जिलों--विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा राप्ती, आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरा प्रस्ताव श्री मदन पांडेय का है जिसमें वह कहते हैं कि "पूर्वी जिलों में तथा विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती तथा इनकी सहायक नदियां आमी, कुआनो, तरैना आदि और रोहिन, छोटी गंडक, बड़ी गंडक में भयानक बाढ़ के कारण इन नदियों के किनारे बसने वाले हजारों व्यक्तियों का जीवन विपन्न हो उठा है। फसलें नष्ट हो चुकी हैं। पशुओं के लिये जिन्दगी चारे के अभाव में दूभर हो उठी है तथा इनमें भी विशेषरूप से महाराजगंज तहसील के अर्जुन ही, सगरदीन ही, मेडिहारी, गोसाईपुर बढ़या, डोमा, चरभरिया, कलनहीं बसहिया, नरसिंहपुर, खपरधिका, सोहगी बरवा, शिकारपुर, वकुलहिया, रेगहया, सितलापुर, लक्ष्मीपुर बाजार, भरवालिया, चटिया, चरगंहा गुरली खेसरारां, चैनपुर, रानीपुर, मझउवा, आदि ग्रामों की खरीफ की फसलों को विशेष क्षति पहुंची है तथा सरकारी इन्तजाम बाढ़ से जनजीवन और धन की रक्षा करने में असफल रहा। अतएव सरकार की इस विफलता तथा भविष्य के लिये बचाव के समुचित उपायों का अवलम्बन करने पर विचार करने के लिये यह सदन कार्य स्थगन करे।

मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में माननीय मंत्री जी को कुछ जानकारी है?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--अभी तक गोरखपुर से कोई खबर हमारे पास इस बाढ़ के सिलसिले में नहीं आयी, जिसका जिकर मेरे मित्र ने अपने मोशन में किया है। यह पानी पड़ता है और नदियों में पानी चढ़ता और फिर वह फैलता है। गांव वाले वहां से अपना सामान उठाकर अन्य जगह ले जायेंगे और दो महीने के बाद फिर ले आयेंगे। इसलिये हमने उस को मालूम करने की कोशिश भी नहीं की है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह एक आदरणीय सदस्य की तरफ से आ चुका है। तो अब आप कृपा कर मालूम करें और किसी दूसरे रोज सदन को यह इत्तिला दें। तब मैं इसके ऊपर फैसला दूंगा। बात यह है कि आप को इसका पता नहीं है और उनको इसका पता है, इसलिये उन्होंने भेजा। अब आप वहां से सही जानकारी हासिल कर के सदन को बतलाइयेगा।

श्री चरणसिंह—जानकारी मालूम करूंगा, लेकिन कुछ गांवों में पानी आ गया है, तकलीफ है और सरकार उसको रोकने में असफल रही है, तो सरकार हर जिले में पानी को रोकने के लिये असफल रहेगी।

श्री अध्यक्ष—जब आप इत्तिला देंगे फिर आप इस पर बहस कर सकते हैं कि इसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता, लेकिन इत्तला ही नहीं दें, यह बात नहीं हो सकती। वह तो आप को सदन को इत्तला देनी होगी। जब ऐसी चीज उठायी गयी है तो यह कल लिया जायगा। कल तक आप फोन वगैरह से मालूम कर लीजिये।

आगरा जिले में सोशलिस्ट सत्याग्रही श्री रामसिंह की मृत्यु के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक और कामरोको प्रस्ताव श्री रामसिंह चौहान का है जो इस प्रकार है—

"आगरा जेल में इटावा के सोशलिस्ट सत्याग्रही श्री रामसिंह की मृत्यु जेल अधिकारियों व डाक्टर की असावधानी एवं उचित चिकित्सा न होने के कारण २ अगस्त को हो गयी। जेल और पुलिस लाकअप में राजनैतिक बन्दियों तथा साधारण नागरिकों की मृत्यु का होना बहुत ही खेदजनक और चिन्ता उत्पन्न करने वाला विषय है। इस मृत्यु से सारे प्रदेश की जनता में सन्देह और क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो गया है।

अतः इस तात्कालिक विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

तो इस बारे में भी जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी है?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—गवर्नमेंट को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप कहेंगे तो इसकी जानकारी कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—इसको भी कल लिया जायगा।

वित्तीय तथा साधारण कार्य में विरोधी दल को अधिक समय देने तथा विरोधी दल के परामर्श से कार्य-क्रम निर्धारित करने के संबंध में सुझाव

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये आय व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव लिये जायेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में अगर आपकी इजाजत हो और मेहरबानी फरमायें तो मैं कुछ निवेदन कर दूं कि किस प्रकार इस पर विवाद होने चाहिये। आज्ञा है?

श्री अध्यक्ष—जी हां, आप कहें।

श्री त्रिलोकीसिंह—यह सर्वमान्य संसदीय पद्धति है कि अनुदानों में कौन से किस दिन लिये जायंगे, उसका कार्यक्रम नियत किया जाता है विरोधी दल की राय से और तब सदन तय करता है कि यह अनुदान कब आवे। श्रीमन्, की सूचना के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी दल यहां विरोध में हैं और सरकारी दल, इन सबकी राय से एक मत हो कर कार्यक्रम नियत किया गया था। ऐसी बात नहीं थी कि केवल विरोधी दल ने ही कर दिया हो।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और श्रीमन् का ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पृष्ठ २९५ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें किस प्रकार से बिजनेस इस सदन के सामने आता है, वह ग्रुप में दिया हुआ है। १, २, ३ ग्रुप हैं। तीसरा ग्रुप है रूटिन ऐंड फाइनेंशल बिजनेस और यह इनक्लूड करता है मेन ऐंड सप्लीमेंटरी एस्टिमेट्स। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज २९८ में हेडिंग है "आपोजिशन टाइम," उसमें लिखा हुआ है--

"Indirectly, through the conventions mentioned above, they control the bulk of the time allotted to the third group of business-routine and financial business."

मेरे निवेदन करने का मंशा यह है कि फाइनेंसल बिजनेस में बल्क आफ दि टाइम जो है वह आपोजीशन कंट्रोल करता है। इसी मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ २९३ को श्रीमन् देखने की कृपा करें, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट को अपोजीशन चूज कर सकता है--

"The practical result of this arrangement is that the Opposition have the right, on any day which the Government allot to supply, to choose for discussion any one (not already voted) of about two hundred votes, covering all branches of administrative expenditure, which comprise the main and supplementary estimates".

यह भी मैं श्रीमन् की आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि अपोजीशन के समय और प्राइवेट मेम्बरान के समय के बारे में भी संसदीय प्रथा है और पृष्ठ २९८ में मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के, जहां अपोजीशन के बारे में लिखा है वहीं पृष्ठ २९७ में प्राइवेट मेम्बर्स के समय के बारे में भी दिया गया है कि किन मामलात में प्राइवेट मेम्बर्स को इनिसियेटिव लेने का अधिकार रहता है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अपोजीशन के इस अधिकार को संसदीय प्रथाओं के अनुसार यहां स्वीकर नहीं किया जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि इस आदरणीय सदन की भी यह प्रथा है कि जब ग्राण्ट्स लिस्ट की जाती हैं तो वह अपोजीशन लीडर के नाम से होती हैं और पूछा जाता है कि वह कौन सी पेश करेंगे। अब इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता, मुझे यह कहने में बहुत दुख है, लेकिन यह वाकया है, जो मैं श्रीमन् की सेवा में निवेदन कर रहा हूं।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा और जो मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और जैसा मैंने अभी बताया कि साधारण तौर से बल्क आफ टाइम अपोजीशन का होता है और मैं इस यू० पी० की विधान सभा के सामने पहले भी कई बार इसका हवाला दे चुका हूं और जैनिंग्ज में भी लिखा है कि

"In the ordinary process of debate a speaker on one side is followed by a speaker on the other, a leader on one side by a leader on the other".

मुझे दुःख है कि यह सुविधाएं इन पार्लियामेंटरी प्रथाओं के अनुसार जो अपोजीशन को मिलनी चाहिये वह हमें नहीं मिलतीं। यहां हमेशा यह होता रहा है कि आपस में तय होकर कि कौन से दिन कौन सी ग्रान्ट ली जायगी, कौन सी गिलोटीन हो जायंगी और किन-किन पर बहस होगी। हमेशा जितने व्हिप्स हैं और कभी-कभी लीडर्स में भी बात तय हो जाती है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि सलाह के बिना कोई बात हुई हो। लेकिन विरोधी दल की हैसियत से और विरोधी दल के नेता की हैसियत से जो सेवा मुझे करने को मिली है उसके बारे में मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि हमें खास तौर पर वाद-विवाद का मौका मिलना चाहिये, ताकि वाद-विवाद के फर्ज का उचित रूप से पालन करके हम अपना हिस्सा उसमें ले सकें।

श्री अध्यक्ष--माननीय नेता सदन कुछ कहना चाहेंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी नहीं, जहां तक मैं समझता हूं माननीय नेता विरोधी दल को हमारी ओर से शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं यह प्रश्न जो तीन चार रोज से उठ रहा है इस विषय में पहले एक बार प्रश्न उठा था तो उस पर उपाध्यक्ष जी ने फैसला दिया था कि विरोधी दल को बराबर का समय मिलना चाहिये। तब से वही चीज चल रही है। मैंने माननीय त्रिलोकी सिंह जी से कहा था कि वह कृपा करके मुझे जैनिन्गज की किताब दे दें तो मैं भी उसको देख लूं। तो यहां एक प्रथा चल रही थी उसी के अनुसार यहां काम हो रहा था। अब अगर उसमें कोई परिवर्तन करना है तो कोई अथोरिटी, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की हो, जैनिन्गज की हो या लोक सभा की हो, वहां की कोई पद्धति हो तो वह बतायें उसको मैं देख लूं और तब अपनी इस पद्धति में परिवर्तन का मौका आ सकता है और तभी मैं इस विषय में अपना निर्णय भी दूं।

एक चीज का जिक्र मैं जरूर कर दूं कि चूंकि नेता सदन ने कहा कि उनके बारे में कोई शिकायत विरोधी दल के नेता को नहीं है, यानी बहुमत जिस दल का है उसके बारे में उनको शिकायत नहीं है इससे प्रतीत होता है कि विरोधी पार्टियों में ही कुछ मतभेद है।.....

श्री त्रिलोकीसिंह--जी ऐसा नहीं है, विरोधी पार्टियों में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जितने काम अंत तक किये गये हैं वे सब सर्वसम्मति से किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष--नहीं, आप के कथन में कोई गलत फ़हमी हो सकती है, उनके कहने से यही मालूम होता है। उसको, हम पहले सहूलियत से प्रथा निश्चित या कायम करके निपटा सकते हैं और इसलिये मैंने जिक्र किया था कि नेता विरोधी दल और पालीवाल जी, जो बहुत पुराने तजुर्बेकार हैं, और जो मैं समझता हूं वर्षों से रहे हैं सदन में। और-और पार्टियों के भी जो नेता हैं उनसे पहिले मैं बात कर लूंगा और उसके बाद जो अभी कोटेशन्स आपने दिये हैं इन पर भी विचार करके मैं आगे यानी या तो कल फैसला दूंगा या छुट्टी बीच में आ रही है उसके बाद, इस विषय में फ़ैसला दूंगा। अभी एक चीज मैं साफ़ कर देना चाहता हूं कि अभी तो यह तरीका रक्खा ही है कि जो यहां पर अनुदान आते हैं उनके विषय में राय पूंछ लेता हूं कि कौन-कौन से लेने हैं और जो नेता विरोधी दल ने कहा कि हम इसके ऊपर बहस नहीं चाहते तो हमने उसको स्वीकार किया। तो कम से कम एक बात निश्चित हो गई कि जिस पर बहस नहीं करना चाहते नेता विरोधी दल उसको स्वीकार कर लिया जाता है, इससे अन्य अनुदानों के लिये अधिक समय मिल जाता है। दूसरे भाषण देने में भी दूसरे पार्टी के नेताओं को थोड़ा ज्यादा समय मिल जाता है। यह सब चीजें तो होती जा रही हैं। यह भी मुझे इत्तला मिली है कि जो समय बोलने का सरकारी तथा विरोधी दल को दिया गया है करीब-करीब बराबरी का समय मिला है। इतना तो हो गया।

[श्री अध्यक्ष]

अब जो आपको मांग, या तकाजा है उस विषय में तो कहना चाहता हूं कि जब मैं इसको अध्ययन कर लूंगा, राय भी ले लूंगा सब नेताओं की, उसके बाद मैं आपको निश्चित अपनी राय दूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक बात जो अभी अर्ज की कि कौन सा अनुदान पेश किया जायगा इसका अधिकार विरोधी दल को है। तो यह अधिकार क्या स्पीकर को है कि वह किसी से कहें कि पेश करे या यह अधिकार विरोधी दल का है?

श्री अध्यक्ष--मैं इस कन्ट्रोवर्सी में नहीं आता हूं। वाकयात के आधार पर आप उस चीज को कह रहे हैं, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह--तो फिर आज क्या होगा?

श्री अध्यक्ष--जो आप कहते जायंगे वह होता जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आप ने जैसा कहा कि यह बात तय करने को बाकी है कि मैं माननीय नेता विरोधी दल या और लोगों से सलाह करके बाद को उसके लिये फ़ैसला करूंगा। मैं समझता हूं इसका अर्थ यह है कि अब से पहले कोई निश्चय इस सम्बन्ध में नहीं हुआ था कि कोई नई नीति अपनायी जाय। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो पिछले पांच वर्षों में परम्परा रही है वही प्रथा कायम रही और उसी पर काम करना चाहिये था। लेकिन मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बीच में आप मेहरबानी करके देखें कि वह प्रथा बीच में बदली गई है या नहीं। और अगर बदली गई है तो क्यों बदली गई है? मैं इस बात में स्पष्ट हूं कि अगर वह बदली गई है, मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन आखिर आप की मर्जी नहीं थी, नेताओं में कोई बातचीत नहीं हुई थी, फिर बदली क्यों गयी। और बदली गई तो उसको आप समझें और जिसने बदली उससे भी पूछें कि उसको क्यों बदला और फिर झगड़ा क्यों हुआ? मैं इस ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बात की गम्भीरतापूर्वक जांच करा लें और फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि हम विरोधी दलों में रस्साकशी है, खींचतान है।

श्री अध्यक्ष--आप तो खूबसूरती कायम रखना चाहते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल इस समय सदन के सामने है और उसके सम्बन्ध में आप ने जो अपनी सम्मति प्रकट की कि उस पर यहां विचार और विवाद न हो कम से कम उससे पहले जब तक कि विरोधी दल के सब नेताओं से उनकी राय आप न जान लें और स्वयं उस प्रश्न का अच्छी तरह से अध्ययन न कर लें, मैं समझता हूं कि उसके बाद यह बेहतर होता कि इस तरह का विवाद यहां न उठाया जाता और मैं अब भी यह चाहता हूं कि जो घटना यहां हुई और उस घटना के बाद आज फिर जो यह सवाल यहां उठाया गया बेहतर होता कि वह यहां न उठाया जाता और इसके लिये सदन से बाहर आपस में बातें कर के उस सवाल को तय कर लिया जाता। तो मैं आप की इस अपील को विरोधी दल के नेता से फिर चाहता हूं, मैं उसका समर्थन करता हूं और अपील करता हूं नेता विरोधी दल से कि इन बातों का निर्णय जो कि हमारे आपस के बीच की हों और आपस के बीच की बातों में मैं इसको भी लेता हूं कि जो दूसरे लोगों को यह गलतफहमी हो कि हमारे बीच में कोई विवाद उठ खड़ा हुआ है, उनका हम लोग आपस में निर्णय कर लें बजाय यहां उसे लाने के तो ज्यादा अच्छा होगा। बस, मैं यहां इससे अधिक नहीं कहना चाहता। मुझे और जो कहना होगा वह जो बातचीत हम आपस में करेंगे तब कहूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आप की बात मान ली। इसमें कोई गलतफहमी मालूम होती है, वर्ना मैं खुद इस बात पर जोर देता कि इसका निर्णय अभी किया जाय।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस आसन पर आज आप विराजमान हैं उस पर पिछले पांच वर्ष भी आप रहे हैं। यहां परम्परा जो रही वह सभी को मालूम है कि माननीय नेता विरोधी दल के नाम से कट मोशंस आते रहे, उन्हीं का नाम सब से पहले लिखा जाता था। उनकी पार्टी का ही कोई न कोई यदि वह चाहते रहे, उनकी पार्टी की ओर से उस कटमोशन को मूव करता था। पिछले सदन में जो दूसरा विरोधी दल था, जिसको मान्यता दी गई थी जहां तक मुझे याद है पिछले पांच वर्षों में शायद ही कोई कटमोशन उस की तरफ से मूव किया गया हो। इस बार स्थिति उस बार से भिन्न है और इधर पिछले दिनों जब से इस बजट पर अनुदान .....

श्री अध्यक्ष--यह तो आप वाकयात पर आ गए। मैं समझता हूं कि वाकयात के बारे में अभी जिक्र करना ठीक नहीं। पहले तो यह है कि सदन के बाहर इस बात का जिक्र हो इन सब चीजों के बारे में और फिर प्रथा के विषय में विचार किया जायगा।

श्री झारखंडे राय--तो उसके विषय में पालीवाल जी ने जो सुझाव दिया है मैं समझता हूं कि वह व्यावहारिक है और उस को मानने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष--तो ठीक है।

१९५७-५८ के आयव्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि अनुदान संख्या ४१--समाज कल्याण, गिलोटीन कर ली जाय यानी इस पर बिना विवाद के मत ले लिया जाय और अनुदान संख्या २८--श्रम, इस पर २६, २७ और २८ तारीखों में से किसी दिन इस पर बहस की जाय।

श्री अध्यक्ष--यह तो आप प्रोग्राम का पोस्टपोनमेंट कह रहे हैं। इसके लिये तो नियम बना हुआ है वोटिंग आन डिमांड्स के बारे में--

"The voting of demands for grants shall take place on such days (not exceeding twenty) before 10th of May every year as the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, allot for the prupose."

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--इस सम्बन्ध में बात हो गई है कि इन तारीखों से इसे हटाकर आगे की किसी तारीख में इस पर विवाद हो जाय।

श्री अध्यक्ष--तो मैं एडमीशन चाहूंगा लीडर आफ दी हाउस से कि क्या वह पोस्टपोन करने को तैयार हैं?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम हुआ है कि यह सवाल कल उठा था और माननीय वित्त मंत्री ने गवर्नमेंट की तरफ से इस बात को स्वीकार कर लिया है। इसलिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष--तो किस तारीख को श्रम को आपने रक्खा?

श्री सुरथ बहादुर शाह--२८ अगस्त को। आज अनुदान संख्या २१,२३ और ४५ और कल के लिये १९ और २० लिये जायं।

श्री अध्यक्ष--इसमें समय का निर्धारण क्या होगा?

श्री सुरथबहादुर शाह--२३ तो अभी ले ली जाय और २१ व ४५ एक साथ ले ली जांय। २३ के लिये डेढ़ घंटा व बाकी समय अनुदान संख्या--२१ व ४५ के लिये रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, यही रहा।

अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक ५७--समाज कल्याण

श्री अध्यक्ष--माननीय मंत्री पहले अनुदान संख्या ४१ पेश कर दें। उस पर बहस नहीं होगी। केवल राय ले ली जायगी।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक ५७--समाज कल्याण--विविध के अन्तर्गत ७०,००,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक ५७--समाज कल्याण--विविध के अन्तर्गत ७०,००,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकर की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३--लेखा शीर्षक ४१--पशु चिकित्सा

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३--लेखा शीर्षक ४१--पशु-चिकित्सा के अन्तर्गत १,८३,२५,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

इस सम्बन्ध में श्रीमन् की आज्ञा से, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उन आदमियों में से हूं जो इस बात पर यकीन करते हैं कि अपने ऐब अपने को नहीं दिखाई पड़ते। मैं तो समझता हूं कि सारे काम जो मैं कर रहा हूं या मेरे जरिये से हो रहे हैं बहुत ठीक तरीके से हो रहे हैं, जिनके बारे में--इस बजट के सम्बन्ध में जो साहित्य बटा है--उसमें भी उसका पूरा-पूरा हवाला है। हमारे पास तो यह एक ऐनक है। हम उसी से सब चीजों को देखते हैं। तो ऐसी हालत में वह ऐनक हमें फिट नहीं करेगी, उधर ही करेगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं जितना ही कम वक्त लूं उतना ही अच्छा है ताकि हमारे और साथियों को, जो इस तरफ और उस तरफ विराजमान हैं उनको काफी समय मिले, ताकि वे अपनी-अपनी बातें विस्तार के साथ इस सदन के सामने पेश करें और मुझे उम्मीद है कि एतदाल से सब काम लेंगे और सही हालात के बयान करने में काफी होशियारी से काम लेंगे।

(इस समय १२ बजकर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री राम नारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

और उससे मुझे रोशनी भी मिलेगी तो मैं ज्यादा वक्त अपने मित्रों को देना चाहता हूं। हमारा हमेशा यह दस्तूर रहा है और दस ग्यारह साल का अनुभव है कि मैंने कोई शुरू में लम्बी स्पीच देकर तमाम वक्त सदन का नहीं लिया और अपने साथियों को पूरा-पूरा मौका दिया है। लिहाजा मैं और कुछ न कहकर आशा करूंगा कि जो साहित्य हमने बजट के सिलसिले में दिया है और उसमें जो वजूहात दिये हैं उनकी माकूलियत को देखते हुए, मैं आशा करता हूं कि सदन इस धन को अवश्य मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--इस प्रांट के बारे में क्या तय हुआ है?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तय हो गया है कि पशु-चिकित्सा पर डेढ़ घंटा रहेगा। अगर सदन मंजूर करे तो इस पर एक घंटे का समय नियत कर दिया जाय और इसे श्री रामस्वरूप वर्मा पेश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—एक घंटे का जो सुझाव नेता विरोधी दल का आया है, मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिये इसके लिये एक घंटा रहेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी.....।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)—दूसरी जो ग्रांट पेश होगी उसके बारे में भी माननीय नेता विरोधी दल बतला दें तो वह तैयार हो जांय।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो संभवतः निश्चित है और आपके दल के सदस्य श्री राघवेंद्र प्रतापसिंह जी कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मुझे मंत्री जी की इस बात से बड़ी खुशी हुई कि वह हम लोगों के सुझाव लेना चाहते हैं और उन पर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके वह हम लोगों के सुझावों से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें लेकिन इस संबंध में मैं एक बात कह दूं कि सुझाव देना और ठीक बात कहना हम लोग अपना फर्ज समझते हैं। अब जो मंत्री जी वचन देते हैं उस पर विश्वास करके हम अपने सुझाव देंगे। लेकिन पिछले साल के बजट के देखने से मालूम होता है कि विरोधी दल के सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। खैर, फिर भी जब उन्होंने आश्वासन दिया है तो मैं इस संबंध में अपने सुझाव पेश कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान में सबसे पहली बात तो यह है कि संचालन और निरीक्षण के काम पर खर्चा बहुत ज्यादा है। तीन लाख से अधिक इस पर खर्चा किया जा रहा है और हालत यह है कि इसका संचालन न तो इस प्रकार हो रहा है जैसा कि इस अनुदान का मतलब है और जनता के पास पशु-चिकित्सा संबंधी जानकारी नहीं पहुंच रही है। जब निरीक्षण के काम पर इतना खर्च किया जा रहा है और जनता यानी गांव के लोग इतना भी नहीं समझते हैं कि उनके लिये सरकार ने करोड़ों रुपये का इन्तजाम कर दिया है, जो पशुधन की उन्नति के लिये है। मैं समझता हूं कि संचालन और निरीक्षण का काम ठीक तरह से नहीं हो पाता है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—प्वाइण्ट आफ़ आर्डर। माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया और भाषण दे रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २३—पशु-चिकित्सा—लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा के सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—इस संबंध में आप यह भी जान लें कि दोनों वक्त के लिये, जवाब देने के लिये और इधर, मैं समझता हूं कि आपका १० मिनट भाषण करना ठीक होगा और बाकी सदस्यों को ५–५ मिनट, क्योंकि समय एक ही घंटा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जी हां। मैं यह कह रहा था कि ३ लाख रुपये से अधिक का अनुदान सिर्फ उसके संचालन और निरीक्षण के लिये है जबकि संचालन और निरीक्षण का यह हाल है कि गांवों में इन योजनाओं का पता नहीं है और न गांवों की कोई उन्नति हो रही है। तो पहली बात इस अनुदान के संबंध में यह है कि इसको कम किया जाय और प्रचार वगैरह से जो फायदा है वह गांव पंचायतों से लिया जाय।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

दूसरी बात यह है कि इसमें जो पशुओं के विकास के संबंध में बात कही गयी है और साथ ही साथ कृत्रिम गर्भाधान इत्यादि के ऊपर व्यय करने की व्यवस्था की गयी है, तो मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था से जन-साधारण को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। ज्यादातर ये केंद्र शहरों में ही स्थापित हैं जबकि अधिकतर पशु देहातों में ही होते हैं। उदाहरण के लिये कृत्रिम पशु गर्भाधान केन्द्र कानपुर शहर में है जबकि वह वहां के देहात में होना चाहिये था। तो इससे सर्वसाधारण को कोई लाभ नहीं हो सकता और न देहात की जनता ही यह जानती है कि इस प्रकार के कोई कृत्रिम पशु गर्भाधान केन्द्र हैं।

इसी संबंध में मैं एक बात और कह दूं कि बहुत से देहातों में ऐसी गायें, भैंसें मिलेंगी जिनका गर्भाधान नहीं हो रहा है, जिसके कारण देहात का पशु-धन खत्म हो रहा है। सरकार को सबसे पहले इस संबंध में सहायता करनी चाहिए ताकि ऐसे पशुओं का गर्भाधान हो सके।

एक बात चिकित्सा के संबंध में और कहनी है कि आमतौर से जनसाधारण को चिकित्सा सुलभ नहीं है। जब लोग डाक्टर के पास पहुंचते हैं तो वे गांवों में जानवरों की दवा करने के लिये जाने से इंकार करते हैं और एक जगह से नहीं कई जगहों की शिकायतें मेरे पास मौजूद हैं, जबकि डाक्टरों ने बीमार जानवरों को जाकर नहीं देखा और वे मर गये। खासतौर से पूर्वी जिलों में जब बाढ़ आयी थी तब हजारों की तादाद में जानवर बीमार हुए और मरे, लेकिन सरकारी डाक्टरों और वेटेरिनरी आफिसर्स ने कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की, जिससे रोग का निदान होता और कम से कम पशु मरते। इस प्रकार जब पशुधन का नाश होता है और उनके विकास के कोई साधन नहीं रखे गये हैं, तो मैं समझता हूं इस धन का सर्वथा अपव्यय होता है और केवल कुछ अफसरान ही उससे मौज उड़ाते हैं, जन और साधारण का कोई लाभ नहीं होता है। मेरा विश्वास है कि पशु चिकित्सा की योजना पर जितना रुपया खर्च किया गया उसके ८० फीसदी से जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। इस वजह से मैं जरूर चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि वह खासतौर से ऐसी व्यवस्था करें कि जो इस प्रकार का अपव्यय हो रहा है और जनता तक इसका प्रचार न होकर अनुदान की रकम का जो खर्च हो रहा है, इसको रोका जाय।

इस सम्बन्ध में एक बात यह कहनी थी कि पशु-किकित्सा के सम्बन्ध में एक शिक्षा का इन्तजाम यहां है और उस पर ५,००,००० रुपये से अधिक खर्च किया जा रहा है। इस देश में शिक्षा हो इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती, लेकिन अधिकारियों पर पौने चार लाख रुपया खर्च किया जा रहा है कि जो समुद्र पार जाकर सीखते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे देश की संपत्ति का अपव्यय है। इससे अधिक उपयोगी यह बात होती कि हम अपने देश के विद्यार्थियों को बाहर भेजते। यह हो सकता है कि उन विद्यार्थियों में अधिकांश ऐसे होते कि जो मुख्य अधिकारियों की सिफारिश पर या कुटुम्बवाद के तरीके पर वहां पहुंच जाते और उनको सीनियरिटीज भी मिल जाती हैं कि उनके पास डिग्री है, लेकिन उसके होते हुये भी मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों व अधिकारियों को बाहर भेजने का अन्त होना चाहिये। मैं नहीं समझता कि विदेशों में जो पशुओं के संबंध में विज्ञान है, उनके सुधार और विकास की जो शैली है वह हमारे देश में कहां तक उपयोगी हो सकती है। ठंढे मुल्कों में जो अनुभव पशुओं पर किये जाते हैं वे गर्म मुल्कों में करने पर वैसा ही परिणाम नहीं देंगे.....

श्री उपाध्यक्ष--आपके भाषण का समय समाप्त हो गया। बाद में बोलियेगा।

*राजा वीरेन्द्रशाह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव मेरे मित्र ने पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, समय ५ मिनट का है और इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान में सरकार ने जो रुपया मांगा है वह काफी है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जब से गोवध बन्द हुआ है और गोरक्षा का सवाल सरकार के सामने आया है, सरकार के ऊपर खासतौर से कुछ भार बढ़ गया, और उसका कर्त्तव्य हो गया है कि पशुओं के स्वास्थ्य तथा उनकी रक्षा के लिये वह कुछ उपाय करे और इसके लिये मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि वह जब तक कोई सही कदम नहीं उठायेगी वह कामयाब नहीं हो सकती।

मैं आपके द्वारा सरकार से कह देना चाहता हूं कि १९५४–५५ में इस असेंबली के सदस्यों की एक कमेटी—इस्टीमेंट्स कमेटी—बनाई गई थी और उसने बहुत छानबीन करके इसके मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट पेश की। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार अपने विभाग का विस्तार तो करती जाती है, लेकिन उसमें जो सही रूप से खर्च नहीं होता, जो अपव्यय होता है उसको रोकने के लिये जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट पर वह कोई ध्यान नहीं देती। मंत्री जी ने कहा कि हम उसके सुझावों पर ध्यान देंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह उसको अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें बहुत छानबीन करके बतलाया गया है कि आप कहां काम करें और कहां इसकी तरक्की होनी चाहिये।

मैं श्रीमन्, यह भी कह देना चाहता हूं कि जो भूतपूर्व जमींदारों और कहीं-कहीं काश्तकारों के मेले होते थे उनमें सरकारी तौर पर पशुओं की जांच करने का इंतजाम होता है। उसकी ओर सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिये। वहां जानवरों को देखने की फीस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसका नियंत्रण अब होना ही चाहिये। पहले ८ आने लिये जाते थे और अब ६ रुपये लिये जाते हैं। कभी-कभी तो बेंचने वाला आता है और यूं ही लौट जाता है यह सोच कर कि बेंचने से फायदा क्या। इतने का तो धन भी नहीं है। यह ठीक है कि उस आमदनी को बरकरार रहना चाहिये, लेकिन कोई इंतिहा होती है। इस तरह से मेलों की तरक्की नहीं हो सकती। तो मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इसपर वह ध्यान दे और इसका नियंत्रण करे या कोई नियम बनावे कि जिसके द्वारा इसका नियंत्रण हो सके।

दूसरी चीज यह है कि सरकार की ओर से जिलों जिलों में जो यह गोसदन खोलने का विचार है उसके लिये ऐसा क्यों न किया जाय कि जिस तरह से जिलों में मवेशी खाने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के होते थे उनमें इनको खोला जाय। लेकिन वहां पर जानवरों को कुछ खाने को नहीं दिया जाता। अगर इसी तरह से इन गोसदनों को बनाया जायगा तो जनता वहां पर भूखों मरने के लिये अपने जानवरों को नहीं भेजेगी। इसलिये जब तक सरकार कम से कम उनके खाने के लिये चारे का प्रबन्ध नहीं करेगी तब तक इस प्रकार के गोसदन खोलना व्यर्थ है। जब तक वहां पर अच्छा प्रबन्ध नहीं किया जायगा जनता उसमें अपने पशु नहीं भेजेगी। अगर आप गोरक्षा करना चाहते हैं, जिससे कृषि में लाभ होता है तो वह तभी हो सकता है जब आप उसको लाभ की दृष्टि से करें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो गोसदन प्राइवेट लोग खोलें उनको सरकार सहायता देने की कृपा करे और सहानुभूति पूर्वक सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिये।

यह अस्पताल जो खोले जाते हैं वह ज्यादातर तहसीलों के हैडक्वार्टर पर खोले जाते हैं या कस्बों में खोले जाते हैं, किन्तु मेरा निवेदन यह है कि जहां पर बड़ी-बड़ी मंडियां हों वहां पर इनको खोलना चाहिये। वहां पर काश्तकार अपने जानवरों को आसानी से ले जा सकते हैं। अभी पिछले दिनों देखा गया कि बीमारी से बड़ा कष्ट हुआ और लोग बड़े परेशान हुए कि वे इतनी दूर जायं। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इस कटमोशन का समर्थन करता हूं।

श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज मुझे बोलने का वक्त दिया। इस अनुदान संख्या २३ का जो अभी माननीय मंत्री कृषि विभाग ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। साथ ही उनसे यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ी जिलों में पशु चिकित्सा के संबंध में

[श्री सूरतचन्द रमोला]

तो काफी प्रगति हुई लेकिन वहां पर गांवों के दूर-दूर होने की वजह से लोग अपने पशुओं को जब वह बीमार होते हैं तो अस्पतालों में नहीं ले जा सकते। मैं उनसे यह अर्ज करूंगा कि जो स्टाकमेन क्वार्टर हैं उनको प्रत्येक पट्टी के सेंट्रल स्थान में बनाया जाय ताकि लोगों को उपयुक्त समय पर दवाई मिल सके।

साथ ही उनसे मुझे यह भी प्रार्थना करनी है कि हमारे यहां के पशु प्लेंस के पशुओं से मुख्तलिफ होते हैं और जो रिसर्च सेंटर प्लेंस में बहुत जगहों पर खोले जा रहे हैं, इसी प्रकार हमारे पहाड़ी प्रदेशों में भी खोलें, ताकि वहां की क्लाइमेट को देखते हुये और वहां की हालत को देखते हुये वहां के पशुओं की देखभाल का प्रबन्ध हो सके। हमारे टेहरी-गढ़वाल में खासकर गंगोत्री-जमनोत्री साइड में आमतौर पर लोग भेड़ बकरी पालते हैं और उनसे ही अपनी गुजरबशर करते हैं और उनकी ऊन से वह कपड़े बुनते हैं और वही ऊन यहां पर से प्लेंन्स में आता है। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि वहां पर एक प्लाट लेकर रिसर्च स्टेशन खोला जा सकता है।

मैं सरकार का विशेषरूप से शुक्रगुजार हूं कि उसने डंडा नामक स्थान पर, जो गंगोत्री से लगभग ७० मील नीचे है, एक फार्म खोला है और एक अस्पताल की इमारत बनाई है, परन्तु वहां डाक्टर और दवाइयां जल्द पहुंचाई जावें। बुल्स किसी कोआपरेटिव या दूसरी संस्था द्वारा वहां दिये जावें, जिससे गांव वाले लाभ उठा सकें। वहां पशुओं की हालत बहुत खराब है, उनको ठीक से दाना या घास नहीं मिलता है। वहां चरी की तरह उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है और न वहां चरी काटने की मशीनें हैं। घास उनके आगे डाल दी जाती है, खावें या न खावें। वहां के काश्तकारों और भेड़ बकरी पालने वालों की इस दृष्टि से शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये।

टेहरी-गढ़वाल में लोग पढ़े लिखे बहुत कम हैं और इसलिये वे कम्पटीशन्स में मैदानी लोगों के मुकाबले में नहीं आ सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनका नामीनेशन होना चाहिये। हमारी रियासत को उत्तर प्रदेश में विलीन हुये ९ वर्ष हो गये हैं, लेकिन आजतक वहां का एक भी वेटेरिनरी डाक्टर नहीं हो पाया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि मंत्री ने पशु चिकित्सालय के संबंध में अनुदान पेश करते हुये जो कहा है कि वे सुझाव चाहते हैं, सो मैं उनको २ सुझाव देना चाहता हूं। पहला यह है कि जब पशु चिकित्सालय शहरों, बाजारों या गांवों में नहीं थे तो देहातों में जड़ी बूटियों से लोग इलाज करते थे और पशुओं को बहुत लाभ होता था। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसे लोगों का संगठन बनावें और उस क्षेत्र के एन० ई० एस० ब्लाक से उनका संबंध जोड़ें। और उनसे काम लें उनकी मेहनत के बदले उन्हें कुछ देने की भी कृपा करें। पशु चिकित्सालय ज्यादातर सड़कों के किनारे हैं। इसलिये मैं यह भी चाहता हूं कि वहां के डाक्टर चल-चिकित्सालय के रूप में १०,५ गांवों के अन्दर रोजाना जावें, जिससे पशुओं को अधिक फायदा होगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इन दोनों सुझावों पर विचार करें।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पशु चिकित्सालय मंत्री को हृदय के धन्यवाद देता हूं कि मैं उनमें जाग्रति पाता हूं कि उस ओर उनका विशेष ध्यान है। मैं उनका ध्यान भारतीय पशु चिकित्सा पद्धति की ओर भी लाना चाहता हूं। इस देश में कई हजार वर्षों से पशु धन के सम्बन्ध में महत्ता स्वीकार की जा चुकी है। गावः श्रेष्ठाः पवित्राः च पावनाः जगदुत्तमाः ऋते दधिघृताभ्यां नो गृहे यज्ञः प्रवर्तते इत्यादि, इत्यादि। यह नहीं कहा जा सकता कि इस देश के लोग पशुचिकित्सा के संबंध में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। आसुरी, मानुषी और दैवी पद्धतियों से चिकित्सा होती है।

"आसुरी, मानुषी, दैवी चिकित्सा त्रिविधा स्मृताः" वनस्पितयों और जड़ी बूटियों द्वारा जो हजारों वर्षों से हमारे यहां पशु चिकत्सा होती रही है उसका अनुसंधान करना चाहिये। यह पशुधन के अन्तर्गत क्रान्ति लावेगा।

हमारे कृषि मंत्री जी क्षमा करें। मैंने डाक्टरों को देखा है, डुमरियागंज में भी देखा है कि पशुओं को टीका लगाया और उसका स्वर्गवास हो गया। पूछने पर कहते हैं कि टीका लगाते समय उसमें कीटाणु प्रवेश कर गये। तो कीटाणु स्वर्गधाम पहुंचाने में सहायक हुये। इससे साधारण जनता में उनके प्रति और उनकी औषधियों के बारे में उदासीनता है। लेकिन हमारे मंत्री जी स्टाकमैनों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहां की जड़ी बूटियों में बहुत गुण हैं और वह उनका अनुसंधान करा लें। इससे मैं समझता हूं कि मंत्री जी अपने इस महान्-कार्य में सफल होंगे। हमारा देश कृषि प्रधान होने से यहां पशुधन बहुत बड़ा धन है। इसकी ओर पूरा ध्यान देना होगा। हमारे यहां मशीनीकरण से काम नहीं चलने वाला है। एक परम्परा सी बन गई है कि अपने यहां के बारे में भी कुछ चर्चा करनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान तहसील डुमरियागंज उत्तर राप्ती की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां अभी तक कोई विकास नहीं पहुंचा है। वह बड़ा अभागा भाग है।

श्री उपाध्यक्ष––आप १ बज कर १७ मिनट तक बोल सकते हैं। उसके बाद हम उठेंगे।

श्री रामलखन मिश्र––हमारा ऐसा भाग है जहां आदणीय त्रिपाठी जी को छोड़कर, जब वह सिंचाई मंत्री थे, या चौधरी चरणसिंह एक या दो बार वहां गये, और कोई मंत्री वहां नहीं पधारे हैं। सरकार से कोई काम कराना चाहे तो उसे रूपक दिया गया है लोहे का। उसे भट्टी में तपावें और उसके ऊपर प्रहार करे। उससे सरकार झुक जाय तो झुक जाय वर्ना असम्भव है। हमारे यहां पशु-चिकित्सालय स्थापित नहीं हो सका है। जिस समय बीमारी उत्पन्न हो जाती है उस बीमारी से हजारों की संख्या में पशु स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। तो मैं अपने इस कथन के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान बस्ती जिले के उत्तरी हिस्से की ओर, जो नेपाल की तरफ मिला हुआ है, दिलाना चाहता हूं। वहां पशु भी काफी संख्या में हैं और कृषि ही वहां का मुख्य उद्योग धंधा है। ऐसा करके ही आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवशंकर सिंह (जिला रायबरेली)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी को थोड़े से सुझाव अपने क्षेत्र के लिये देना चाहता हूं। मैं खास तौर से उनका ध्यान लालगंज की ओर दिलाना चाहता हूं, जो एक बड़ी मंडी है और जहां पर पशु चिकित्सालय की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि वह एक पशु चिकित्सालय वहां खुलवाने की कृपा करें क्योंकि जो पशु चिकित्सालय अब है, वह हमारे यहां के कुछ गांवों से २६ मील पड़ता है और अगर कोई पशु वहां बीमार हो जाय तो वहां तक पहुंचना भी असम्भव है। साथ ही वहां पर अभी हाल में रेन्डरपेस्ट की बीमारी फैली और उससे बहुत से पशु मर गये और खास कर भैंसों से तो तीन-तीन चार-चार गांव खाली हो गये। जब लोग डाक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि सल्फागाइनाडीन की १०० गोली लाओ और खिलाओ। आप सोच सकते हैं कि एक गरीब किसान सौ गोली कहां से ला सकता है। अतः मैं आप से नम्र निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी तवज्जह हमारे यहां पशु चिकित्सालय और दवाओं की ओर भी दें।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---श्रीमान् जी, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। इस प्रदेश में पशुओं की संख्या ४,६२,७६,९९० है और अलग-अलग जिलेवार जो संख्या दी गई है और इतनी बड़ी संख्या पर अनुदान दिया जा रहा है केवल एक करोड़ रुपए का? पशु धन हमारी खेती के लिये मुख्य साधन है। उसकी रक्षा के लिये जहां और उपाय किये जाते हैं, पशुशालाएं खोली जा रही हैं, लेकिन जो शफाखाने पशुओं के हैं वह काफी नहीं है, जहां सब पशुओं के टीका लग सकें। जो मौजूदा अस्पताल पशुओं के हैं उनके द्वारा ३०,००० पशुओं का इलाज नहीं हो सकता। इन पशु अस्पतालों में दवाएं इतनी कम हैं कि वह इस हालत में नहीं हैं कि बीमार पशुओं के इंजेक्शन लगा सकें और दूसरे इलाज कर सकें।

वैसे तो हर जिले में आदमियों की जनसंख्या से कुछ ही कम पशुओं की जनसंख्या है। ४,६२,७६,९९० है और हमारे जिले बदायूं में ७५,५९६ दूध देने वाली गायें हैं, १,४२,२५५ भैंसें हैं, १२,५५० भेड़ें हैं, ७१,८७८ बकरी हैं, ५,१९७ घोड़े हैं, ६१८ खच्चर हैं, ३,०५८ गधे हैं, ४२२ ऊंट हैं और ११,९७७ सुअर हैं। जब जिले में इतने जानवर हैं और कुल ४-५ अस्पताल हैं, तो तहसीलवार एक अस्पताल आता है, मैं कहता हूं कि यह बहुत कम है, वह इसमें कटौती करा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इन अस्पतालो के लिये और पैसा दिया जाय। पशु धन हमारा मुख्य धन है, उसकी उन्नति के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया देना चाहिये और अधिक पशुशालाएं खोलना चाहिये। जो अस्पताल आपके हैं उनमें दवा नहीं रहती। उससे ज्यादा अच्छे तो वह वैद्य हकीम रहते हैं, जो गांवों में जानवरों की दवा बता देते हैं कि उसको प्याज दे दो, तेल दे दो या काली मिर्च और घी मिला कर पिला दो, वह लोग बहुत होशियार होते हैं, जिन को गौताने कहते हैं। वह दवाएं सस्ती और मुफीद पड़ती हैं और आपके अस्पतालों की दवा बहुत मंहगी पड़ती है। और गांव का यह इलाज है, और गांव का इलाज करने वाला कोई फीस नहीं लेता है। वह तो अपना फर्ज समझ कर अपनी ड्यूटी को अदा करता है, लेकिन जितने यह चाकर हैं इनको तो अपनी तनख्वाह से मतलब है चाहे पशु मरे या जिये। पारसाल मेरे पड़ोस में यह हाल हुआ कि सैलाब आया, जानवर मरने शुरू हुए, भैंस और भैंसे ऐसे मरने शुरू हुए कि कोई कढ़ेरने वाला नहीं मिला, उनका चमड़ा उतारने वाले नहीं मिले और पशुओं के लिये किसान बेहाल हो गये। तो ऐसी दशा में जहां पर आप इतने बड़े काम लेकर बैठे हैं, अरबों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, वहां और खर्च करके पशुओं के लिये अस्पताल खोलें।

श्री रामस्वरूप वर्मा—चूंकि समय बहुत कम मिला और बातें बहुत कहनी थी इसलिये बीच में ही बन्द करना पड़ा और पूरी बातें नहीं कह पाया। खैर फिर भी मैं संक्षेप में आपके द्वारा मंत्री जी के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, ताकि वे उन पर विचार करें और जबाव दें...

श्री अधिष्ठाता—आपके लिये कुल ५ मिनट हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा— कह रहा था जो विदेश जाने में शिक्षा पर व्यय होता है यह हमारे धन का बहुत बड़ा अपव्यय है और साथ ही साथ यह विधि भी गलत है। जैसा हमारे और साथियों ने बताया कि हमारे देश में जानवरों की चिकित्सा के लिये काफी जड़ी बूटी हैं और पुरानी शिक्षा पद्धिति काफी अच्छी है, जिससे सचमुच लाभ पशुओं को होता है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक केस बताऊंगा। मेरे इलाके में एक पुराने वैद्य हैं जिनको गवर्नमेंट से रिकग्नीशन नहीं है, उनकी चिकित्सा से जानवर ठीक हो जाते हैं और वेटेरिनरी अफसर की चिकित्सा से बहुत कम ठीक होते हैं और दवा भी कीमती होती है। तो मेरा सुझाव है कि विदेश में जाकर जो लोग इसकी शिक्षा लेते हैं वह गलत है, इसको बन्द करें। भारतीय पद्धति को अपना कर जड़ी बूटियों से ठीक करें। और अगर साइंस के विकास के लिये आवश्यक समझें कि इसकी शिक्षा होनी

ही चाहिये तो विदेश से एक प्रोफेसर को जो बहुत विद्वान् हो, यहां पर मुस्तकिल तौर पर कर लिया जाय तो कम से कम पैसे में वह ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सकेगा बनिस्बत इसके कि पौने तीन लाख रुपया विदेशों में खर्च किया जाय । वह रुपया भी हमारे देश में खर्च नहीं होता, बाहर खर्च होता है । अगर यहां पर किसी को रखा जायगा तो वह रुपया भी हमारे देश में ही खर्च होगा तथा सस्ते में काम भी हो सकता है। तो इस प्रकार का दोहरा नुकसान हम चाहते हैं भविष्य में न हो ।

अन्त में मैं यांत्रिक क्षेत्र संबंधी जो २२ लाख की मांग है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि यह जो यांत्रिक क्षेत्र का काम है कई सालों से सूबे में चल रहा है । सरकार का उद्देश्य यह था कि यंत्रों के द्वारा खेती की कहां तक उन्नति हो सकती है, इन तमाम बातों पर तजुर्बा करना था । समय काफी हो चुका, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है इनमें सिवा घाटे के लाभ नहीं हुआ। १९५२-५३ के आंकड़े मुझे प्राप्त हुए, मैंने एक सवाल भी किया था। मंत्री जी ने अभी उसका उत्तर नहीं दिया, और कुछ नहीं हुआ। १९५२-५३ में १८ हजार ६०० एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन यांत्रिक क्षेत्रों में थी और उस पर सरकार का ३२ लाख से अधिक रुपया खर्च हुआ और ५ लाख का घाटा हुआ, बल्कि इससे कुछ ज्यादा । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इतनी जमीन पर लाभ नहीं होता है, घाटा होता है और फिर भी हम उस काम को करते चले जायं और यह तजुर्बा हासिल न करें कि जो बड़े-बड़े ट्रैक्टरों की खेती है यह नुकसानदेह है और जो हमारे देश के साधन हैं उनके अनुकूल नहीं है तो इसको बन्द कर देना चाहिये । हमारे यहां अमेरिका, रूस की तरह तो जमीन है नहीं। यहां एक-एक, डेढ़-डेढ़ एकड़ एक आदमी पीछे पड़ती है तो आज हमारे देश में यांत्रिक खेती की जरूरत नहीं है । इसलिये इसको बन्द कर देना चाहिये । साथ ही साथ एक बात और है यह अनुदान पशु चिकित्सा अनुदान में रखी गई है, इसको तो कृषि में जाना चाहिये था ।

मालूम हुआ एक डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट और क्रीएट कर दी गई । क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे अपने जाबाव में कि यह जो पोस्ट क्रिएट की गई तो उसके बाद क्या एफिश्येंसी बढ़ी, पोस्ट आप बढ़ाते चले जायं और एफिश्येंसी न बढ़े तो इस प्रकार के कामों से मैं समझता हूं कि हमारा कोई भला होने वाला नहीं है । पोस्ट आदमी के लिए क्रिएट की जाती है, आदमी पोस्ट के लिए नहीं बनाया जाता। यह एक सीधा सा चार्ज है और मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी उत्तर देंगे तो बतायेंगे कि अगर उनके आने से एफिशियेंसी बढ़ी है तो क्या मुनाफा हुआ और कब से मुनाफा होने लगा ? लगातार घाटे में यह फार्म चल रहे हैं और इसके बावजूद भी सरकार उनको चलाये जा रही है । वहां जो काम करने वाले हैं, उनसे मंत्री जी को कुछ ऐसा मोह सा हो गया है कि वह उन फार्मों को बराबर घाटा होने पर भी चलाये जा रहे हैं। अगर वह उन फार्मों को तोड़कर वह जमीन किसानों में बांट दें तो उससे सैकड़ों किसानों का भला हो सकता है और जो सरकार इतना रुपया इन फार्मों पर खर्च करती चली जा रही है उतना रुपया वह किसानों को दे दे तो राष्ट्र की आमदनी दुगुनी हो जाय । इन सुझावों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और आशा है कि सदन उसे स्वीकार करेगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले तो मैं टीकाराम जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कि अपने भाषण के जरिये से हमारे मित्र रामस्वरूप जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया । उनका कहना है कि इसमें से काटा न जाय बल्कि जितना और दिया जा सके दिया जाय । पहले ही से कमी है । और रामस्वरूप जी ने जो काटने का प्रस्ताव पेश किया है उसकी उन्होंने बड़ी मुखालिफत की । अब हमारे मित्र रामस्वरूप जी ने जो बातें कही हैं, मैं उनको यकीन दिलाता हूं, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जो सुझाव हमें मिलेंगे उन पर मैं विचार करूंगा और अगर वह मानने के योग्य हैं तो अवश्य मानूंगा और मानने के योग्य नहीं हैं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा ।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

हमारे मित्र ने फर्माया कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत ज्यादा खर्चा रखा गया है। यह सभी भाई जानते हैं, यह नयी चीज अपने देश में चलायी जा रही है। इसके पहले इस वेटेरिनरी और एनीमल हस्बेंड्री विभाग का कहीं वजूद भी नहीं था। तो जब नयी चीज चलायी जाती है तो उसमें दिक्कतें भी पैदा होती है, परेशानियां भी हुआ करती हैं। कुल बजट में अगर देखा जाय तो ११५.८ लाख नार्मल बजट का नानप्लान का है। उसमें से ६.५ परसेंट केवल एडमिनिस्ट्रेशन पर है। बकिया और सब उसके प्रबन्ध के बारे में है। तो इस फिगर के देखने से यह नहीं कहा जा सकता कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में अखराजात बहुत ज्यादा हैं। इसका इतना विस्तार इस राज्य में है कि उसकी निगरानी भी आवश्यक है, नयी-नयी जो योजनाए हैं उनको सफल बनाने के लिए भी देखभाल की जरूरत है। तो मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि मैं अपने मित्र से इत्तफाक नहीं करता कि एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा ज्यादा है।

दूसरी बात हमारे मित्र ने ऐसी कही कि देहात में इसका जरा भी कहीं फायदा नहीं पहुंचा। इतना पैसा खर्च होता है, देहात तक इसकी खबर भी नहीं पहुंची है। एक ऐसा स्वीपिंग रिमार्क दे दिया। तो इससे मेरे ऊपर यह प्रभाव पड़ा कि हमारे मित्र को देहात के मामले से कतई जानकारी नहीं है। कानपुर के जिले के बारे में मैं कहना चाहता हूं, हमारे मित्र को इसका ज्ञान नहीं मालूम होता कि पोखरायां उनके भोगनीपुर के बिलकुल करीब है। वहां भी एक चिकित्सालय है मवेशियों का। मैं वहां पारसाल गया भी था। तो वहां के लोगों ने मुझसे उसकी बड़ी प्रशंसा की कि इस चिकित्सालय से इस पूर्वी जवार के गावों को काफी लाभ पहुंचा है और इसकी और ज्यादा सहायता की जाय। तो वहां के रहने वालों ने मुझसे यह कहा और हमारे मित्र यह कहते हैं कि गांवों में उसकी खबर भी नहीं पहुंचती है, कोई जानता भी नहीं। अगर हमारे मित्र..... (एक आवाज) अब जरा सुनिये, पिच करने लगा शायद। जरा खामोशी से सुनिये। मैं बहुत ही खामोशी के साथ आपको सुनता रहा। एक भौतीपुर गौशाला है। वहां भी जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था और कई हजार आदमी मुझे वहां मिले। उसका वार्षिक उत्सव था। वहां भी आर्टिफिशियल सेंटर है और दवादारू का प्रबन्ध है। वहां के लोगों ने बड़ा संतोष प्रकट किया। इसी तरह ६ अस्पताल कानपुर के जिले में हैं। एक कानपुर खास में, रूरा, घाटमपुर, बिल्हौर, नर्वल और पुखरायां में। इतने अस्पताल हैं। कानपुर के जिले में जो अस्पताल हैं वे इर्द-गिर्द के गांवों को सर्व करते हैं और ३६ स्टाकमेन सेंटर्स हैं। वे सब देहातों में हैं। कानपुर शहर में एक भी नहीं। हमारे मित्र कहते हैं कि देहात में इसका संचार भी नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--कृत्रिम गर्भाधान हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--उन्हीं की जरूरत है और बड़ी उनकी प्रशंसा है। अच्छे सांड़ नहीं थे, लिहाजा पश्चिमी जिलों से सीमन का प्रबन्ध करके कानपुर के जिले में ज्यादा केन्द्र खोले गये, उससे लोगों को बड़ा लाभ हुआ, हमारे मित्र जानते हों या न जानते हों।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--बहराइच तक ले जाने की कोशिश कीजियेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन--देवरिया तक पहुंचायेंगे। जहां-जहां जरूरत होगी वहां पहुंचायेंगे, किसी की जरूरत बाकी नहीं रहेगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहना गलत होगा कि इसमें कुछ उन्नति नहीं हुई। मैं अपने मित्र गेंदासिंह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस तरफ इसका कोई संचार नहीं है, क्या बलिया में इसका संचार नहीं है? बहुत से माननीय सदस्य यहां हैं, बस्ती के लोग

यहां हैं, रामलखन जी भी कहते हैं कि डुमरियागंज में आर्टिफिशियल इन सेमिनेशन सेंटर खोला जाय। मैं जरूर इसका प्रबन्ध करूंगा। सब जगह इसकी जरूरत है और सबकी खबर मैं वक्तन फवक्तन लेता रहूंगा।

श्री अधिष्ठाता––आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहराइच में भी है या नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन––अभी करूंगा। ऐसा कह देना कि कृत्रिम गर्भाधान से फायदा नहीं होता है यह वाकयात को आंखों से ओझल कर देना है। वाकयात को छिपा कर कोई बात कहना वह तो जहूर में आ ही जायेगा। मेरी ४३ स्कीमें हैं और मैंने उन स्कीमों को लागू किया है और उनको सारे सूबे में चलाना है।

मेरे मित्र शिवशंकर जी ने लालगंज के बारे में कहा कि वहां एक अस्पताल खोलना चाहते हैं। ऐसा योजना में है। इस मौके पर चारों तरफ से उसकी मांग है।

हमारे ऊदल जी ने कहा कि जो मुकामी वैद्य हैं पुराने उनको संगठित किया जाय। उसमें कोई हर्ज नहीं। उनको भी संगठित किया जा सकता है। लेकिन साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पुरानी बातों पर कायम रहने से काम नहीं चलता।

हमारे मित्र रामस्वरूप जी ने एक बात कही, कई लाख रुपया रक्खा गया है फारेन एजूकेशन के लिये। मैंने बजट उलट मारा, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। वह रुपया हम खर्च नहीं करते। कोलम्बो प्लान के लोग खर्च करते हैं। अगर वे किसी आदमी को भेजना चाहते हैं तो बड़ी खुशी है कि उनके खर्चे पर हमारे आदमी ट्रेंड होकर आ जाते हैं। हमारे यहां के टैक्सपेयर को कोई पैसा नहीं देना पड़ता।

जहां तक एजूकेशन का संबंध है मैं अपने मित्र को बतलाना चाहता हूं कि मथुरा कालेज हमने खोल रक्खा है। कई लाख रुपया खर्च हुए। बड़े अच्छे पैमाने पर वह काम कर रहा है और संभवतः १०० लड़के हम हर साल उसमें एडमिट करते हैं। दूसरी स्टेट्स के लड़के भी आते हैं और वहां वैज्ञानिक ढंग से तालीम दी जाती है। इस संबंध में ब्रीडिंग के लिये, बीमारियों को दूर करने के लिये तथा दवा-दारू के बारे में शिक्षा दी जाती है और पारसाल से पोस्ट ग्रेजुयेट की शिक्षा भी दी जाने लगी है। दस लड़के हम दे रहे हैं, जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है और जिस डिग्री के लिये अमेरिका जाते थे वह अब वहीं हासिल हो जायगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा––पौने चार लाख रुपये इस अनुदान में फारेन ट्रेनिंग के लिये हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन––मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। हमारे मित्र ने कहा कि हमारे यहां तालीम का कोई इंतजाम नहीं है। मथुरा कालेज बहुत दूर से दिखाई पड़ता है यानी कई मीलों से। हमारे मित्र तकलीफ गवारा करें तो देख आयें जाकर और अगर वह कोई त्रुटि बतलायेंगे तो उसको दूर करने के लिये भी मैं तैयार हूं।

हमने तीन लाख रुपये की विलेज ब्लाक स्कीम भी रखी है और ब्लाक्स खोले जा रहे हैं। हम ब्लाक्स पर ४०–४० सांड़ देंगे और हमारे मित्र कहते हैं कि इखराजात बहुत हैं। मिकेनाइज्ड फार्म्स पर गाय भी रहती हैं और खेती भी होती है। बड़े-बड़े अच्छे सांड़ ४०० रुपये में लेकर पंचायतों को केवल ५० रुपये में देते हैं तो इस स्कीम को फायदे के ख्याल से नहीं चलाया जाता है, बल्कि विकास के लिये चलाई जा रही है। इसलिये इसमें घाटा होना आवश्यक है। जिनको खेती का अनुभव है वह जानते हैं कि खेती के बिना पशुपालन और पशुपालन के बिना खेती नहीं हो सकती है। दोनों का चोली दामन का साथ है। हमारे मित्र गेंदासिंह जी सिर हिलाकर हमारी ताईद कर रहे हैं। खाली ट्रैक्टर्स से काम नहीं चलता है। हमारे बैल बड़े और पुष्ट होंगे तो हमारी खेती का अच्छा काम चलेगा।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र सब स्कीमों को पढ़ लें तो मालूम होगा कि हमारा कदम आगे की तरफ जा रहा है, न स्टेशनरी है और न पीछे की ओर जा रहा है। अगर वह बिना देखे मुखालिफत करेंगे तो हम भी जो फायदा उठाना चाहते हैं वह नहीं उठा सकेंगे। फिर शिकायत होगी कि जो सुझाव दिये जाते हैं उन पर तवज्जह नहीं की जाती है। लाल रोशनी आ गई है इसलिये मैं ज्यादा न कहकर अपन मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वह इस धनराशि को स्वीकार करें।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २३ के अन्तर्गत एक रुपय की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--अब प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३--पशु चिकित्सा--लेखा शीर्षक ४१--पशु चिकित्सा के अन्तर्गत १,८३,२५,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश स यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज, लेखा शीर्षक ४०--कृषि के अन्तर्गत ३,३२,१४,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५--कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत, लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ९,९५,६९,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

राजा राघवेंद्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)--श्रीमान् जी, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि जो यह १० मिनट का समय आपने रखा है उसको कुछ बढ़ा दें, क्योंकि यह विषय बहुत महत्त्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता--१५ मिनट आपके लिये काफी होंगे।

राजा राघवेंद्रप्रतापसिंह--मैं कोशिश करूंगा लेकिन अगर दो, एक मिनट और हो जायं तो क्षमा कीजियेगा।

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४० और अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७१ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

श्रीमन्, यह तो सभी को मालूम है कि यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण अनुदान है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह विभाग अन्नदाता है या जीवनदाता इसे कहा जाय तो भी कुछ गलत नहीं होगा। इस वास्ते सदन को इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना है।

हमारी खेती की परम्परा आज की नहीं, बहुत पुरानी है और जब से सृष्टि कायम हुई है तभी से हमारे यहां के लोग इस पर निर्भर हैं। आज भी प्रांत में ७० फीसदी लोग खेती से ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। १९५४-५५ तक हमारे यहां खेती की जो उपज थी उससे हम काफी आत्मनिर्भर हो गये थे, परन्तु अब थोड़े दिनों से यह समस्या जटिल होती जा रही है। कारण यह है कि एक अनिश्चितता का वातावरण सारे देश में और विशेषकर हमारे प्रांत में फैलता चला जा रहा है। कुछ हमारे भाई अनर्गल, तरह-तरह की विचार-धाराएं इस खेती के विषय के ऊपर प्रयोग करने के लिये समय-समय पर कह दिया करते हैं, जिसके कारण देहात के रहने वाले परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। कभी कोआपरेटिव फार्मिंग, कभी रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैण्ड, कभी सीलिंग, इन चीजों की चर्चा चल जाती है, जिसके कारण अनिश्चितता आ जाती है और लोग काफी परेशान हो जाते हैं।

एक वक्त था कि जब देश की आवाज थी, हमारे नेताओं की पुकार थी कि नौजवान लोग खेती में जुट जायं और गल्ला पैदा करें। बहुत से नौजवान जो आज और दूसरे काम अच्छा कर सकते थे वे खेती में जुट गये। देखा जाय तो इसी पहली पंचवर्षीय योजना में १३ लाख एकड़ जमीन निजी खेतिहरों ने तोड़ी है और डेढ़ लाख एकड़ जमीन एक सेंट्रल ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन था उसने तोड़ी। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि करोड़ रुपया लोगों ने इसमें सर्फ किया। मगर आज दुर्भाग्य है कि आज वह लोग देशद्रोही के खाने में दर्ज किये जाते हैं और जिस तरह से जमींदारों को मिटाया गया उस तरह से उन को भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज यही कारण है कि वे देहात से बाहर की तरफ भाग रहे हैं। लोगों का रुझान शहरों की तरफ हो गया है। जिसके पास पैसा है वह कोशिश करता है कि शहर में जाय और वहां अपना पैसा लगाये और कोई कारण होगा जिसको कि शायद सरकार जानती हो कि शहर के जो मिलमालिक हैं या और दूसरे बड़े लोग हैं वे अपने को वहां ज्यादा सुरक्षित और निश्चिन्त समझते हैं। उनका अनुकरण करने की भी यह खेतिहर लोग कोशिश कर रहे हैं।

देखा जाय तो मालूम होगा कि पिछले पांच वर्षों में देहात की आमदनी केवल ५ फीसदी बढ़ी है और शहरों की १५ फीसदी। खेती की पैदावार के दाम न बढ़ने पायें आज सरकार भी इस बात की कोशिश करती है, लेकिन जो खेतिहरों की आवश्यक वस्तुएं हैं लोहा, कपड़ा आदि उन सबका दाम बढ़ जाता है। उन वस्तुओं का दाम बहुत बढ़ गया है और गल्ले का दाम पिछले ४-५ सालों से वही चला आ रहा है।

परसों चौधरी साहब ने कुछ नयी बातों पर रोशनी डाली और सीलिंग और कोआपरेटिव पर उन्होंने कुछ व्याख्यान दिया। मैं उनका आभारी हूं कि उससे बहुत काफी भ्रम दूर हो गया है। मगर मैं चाहूंगा कि सरकार इस भ्रम को जोरों के साथ दूर करे और जो यह अनिश्चितता का वातावरण फैला हुआ है उसको मिटाये। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि अगर सीलिंग की जायगी तो ४-५ लाख एकड़ भूमि कुल निकलेगी बांटने के लिये। एक फीसदी जमीन हुई। अगर वह एक फीसदी जमीन बंट जाय तो उससे देहात की कोई खास प्रगति नहीं हो सकेगी। आज कल जिस तरह से इंसानों की पैदावार बढ़ रही है उसको देखते हुये शायद एक दो साल में वह चीज खत्म हो जाती है। मैं इस पर ज्यादा न कह कर यही प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस बात की कोशिश करे कि यह जो भ्रम है उसको दूर करने की कोशिश की जाय ताकि लोग खेती के धंधे में निश्चिन्तता से रह सकें। खेती ऐसा व्यवसाय है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि, जब तक शांतिपूर्ण वातावरण न हो लोग कर नहीं सकते। यह पान की दूकान नहीं है कि डली चूना लेकर बैठ गये और शाम को बेंच कर पैसे बना कर घर लौट आये। इसमें एक्सपेरीमेंटेशन हैं और दूसरे व्यवसायों की तरह काफी लागत लगती है।

[राजा राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

यूं तो कहा जाता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को टाप प्रायरिटी मिलती है, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितना ध्यान इस विभाग की तरफ सरकार को देना चाहिये था वह नहीं दिया गया है। पिछले सालों में देखा जाय तो मालूम होगा कि इसको धीरे-धीरे कतर कर इसका महत्त्व घटा दिया गया है। आज इसकी कई शाखाएं हैं कि जो अलग-अलग निकलकर खुद एक दरख्त बन गई हैं। एनीमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, इस तरह से कई डिपार्टमेंट्स इससे निकले हैं और निकलते चले गये हैं और मैं तो कहूंगा कि जब से यह प्लानिंग विभाग निकला है तब से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंण्ट एक तरह से खत्म हो गया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो महत्त्व था, जो उसका काम था वह प्लानिंग की वजह से कम हो गया है और आज नतीजा यह है कि नानटेक्निकल आदमियों के हाथ में यह मुहकमा चला गया है। आज प्लानिंग के जो आदमी हैं वह इसको ज्यादा जरूरी समझते हैं कि जिस वक्त मंत्री महोदय जिले में जायं उनका स्वागत अच्छा हो, गांव की नालियों में खड़ंजा बिछा दिया जाय, कहीं कुयें का उद्घाटन करा दिया जाय, लेकिन पैदावार की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अगर आप श्रीमान् जी, वहां जायं तो मालूम होगा कि कोई भी प्लानिंग डिपार्टमेंट को अधिक और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कम जानता है। ए० डी० ओ० को वहां पर बैठा दिया गया है, लेकिन उस मुहकमे का महत्त्व खत्म हो गया है। जब किसी डिपार्टमेंट का असर खत्म हो जाता है तो वह क्या उन्नति कर सकता है, इसको हर एक आदमी समझ सकता है। पहले जो इन्सपेक्टर वगैरह रहा करते थे वह मुहकमे से डरते थे, लेकिन आज ए० डी० ओ० हों या डी० ओ० उनको घूमने के लिये भले ही बनाया गया हो या दफ्तर में कुछ काम करने के लिये बनाया गया हो मगर किसी विकास की तरफ वह ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इस डिपार्टमेंट को जिन्दा रखना है तो इस डिपार्टमेंट को महत्त्व देना चाहिये, लेकिन आज उसका महत्त्व कम किया जा रहा है और जो यह अफसर काम करने के लिये रखे गये हैं वह असल में इसको जानते नहीं हैं। ज्यादातर अहलकार अपने करेक्टर रोल से डरा करते हैं और जिनके हाथ में उनका करेक्टर रोल रहता है तो उनको देखकर ही वे चलते हैं। इस वास्ते खासतौर से इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है और जितना इसका महत्व बढ़ सके बढ़ाया जाय। साथ ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो अंग हैं उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्योरिटी आफ सीड्स का जितना प्रचार होना चाहिये उतना नहीं हो पा रहा है। इतना जानता हूं कि इस ओर प्रयत्न हो रहा है किन्तु ५ वर्ष हो गये प्योरिटी आफ सीड की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मैं भी एक छोटा सा किसान हूं और सरकार के बतलाये हुये तरीकों पर अमल भी किया है। एक सेर बीज में २ १/२ मन और ५ मन साल में हो सकता है और पैदा किया जा रहा है। कोई वजह नहीं है कि अगर इस बात पर जोर दिया जाय तो इतना पैदा न हो। अगर ए० डी० ओ० या डी० ओ० से कह दिया जाय कि एक गांव में मुनासिब सीड का इन्तजाम कर दो तो उस सीड से वहां की २० फीसदी पैदावार बढ़ जाती है। खराब सीड होने की वजह से प्रगति नहीं होती है, यह आप सब जानते हैं। पता नहीं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ४८–४९ में लाखों मन बीज क्यों कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को दिया? कोआपरेटिव डिपार्टमेंट कहां तक प्योरिटी आफ सीड्स पर ध्यान देता है यह सब लोगों को स्पष्ट है। अगर कोई कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में जाकर देखे कि प्योरिटी आफ सीड की क्या दशा होती है तो जिस प्रकार से बाजार में गल्ले की दूकान होती है वही दशा वहां पर भी होती है। इस तरह से अगर यह उम्मीद की जाय कि हमारे सीड का प्राबलम साल्व हो जायगा तो यह नामुमकिन चीज है।

साथ ही साथ एक चीज हम और देखते हैं कि आर्गनिक मैन्योर की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां जो टैक्नीकल स्टाफ है वह

अन्ट्रेंड हैं। वही इस काम को देखता है और वही कम्पोस्ट वगैरा का काम देखता है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि आर्गेनिक मेन्योर की तरफ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं देखता हूं कि जितने मेम्बर यहां पर मौजूद हैं कोई भी नहीं कह सकता है कि गांव के अन्दर जिसमें वह रहते हैं एक धूर में बाकी रह जाता है। बरसात के दिनों में वह सब बह जाता है। इसमें अभी तक कोई सुधार नहीं है। हम यह देखते हैं कि ३,४ वर्ष तक वह जमा किया गया और वह सारा का सारा कम्पोस्ट बन गया लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि जो हमारे अधिकारीवर्ग हैं वह इस कम्पोस्ट को जाकर देखें और सड़क के किनारे से जरा हटकर गांव में जाकर देखें कि कितनी उसकी दुर्दशा हो रही है और सत्यानाश हो रहा है। इस प्रकार की दशा हमारे यहां आर्गेनिक मैन्योर की हो रही है।

ग्रीन मैन्योरिंग की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट और फास्फेट से जो खाद की समस्या हल करने की कोशिश हो रही है वह एक स्वप्न सा है। मैं समझता हूं कि इसको इस्तेमाल करके देश बरबाद हो रहा है और उससे बरबाद हो जायगा। जब तक ग्रीन मैन्योरिंग और कम्पोस्ट खाद ऐसी चीजों की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। मैं कहता हूं कि इस तरफ ध्यान बहुत कम है इसलिये इस तरफ ज्यादा ध्यान होना चाहिये। यह जो विलेज लेविल वर्कस हैं, ए०डी०ओज० हैं इनके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिये कि उनको इतने गढ्ढे बनाने हैं, इतने सीड्स तैयार होने चाहिये।

जहां तक सीड्स डिपार्टमेंट की बात है, उसकी वही पुरानी प्रथा है कि समय पर बीज ही नहीं पहुंचता। इस साल मैंने ही ग्रीन मैन्योरिंग के लिए बीज लेना चाहा लेकिन नहीं मिला। मनिकापुर सीड स्टोर पर मक्के का बीज इस साल जुलाई के आखिर में पहुंचा। यह कहिये कि इस साल बारिश ही जुलाई के आखिर में हुई, नहीं तो अगर कहीं पहले बारिश हो गयी होती तो उसका क्या नतीजा होता? देखा गया है कि इस साल मक्के का बीज न होने से हमारे यहां डेढ़ रुपये और दो रुपये सेर तक मक्के का बीज बिका है। "का वर्षा जब कृषि सुखानी" वाली बात बीज के मामले में देखी जाती है। समय पर कोई बीज ही वहां नहीं पहुंचता। पता नहीं बाद में आने पर वह कहां इस्तेमाल होता होगा। इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये।

आज हमारे यहां कुछ रिसर्च वर्क भी हो रहा है। रिसर्च के संबंध में मैं यह कहूंगा कि उसमें बहुत डुप्लीकेशन होता है। अमेरिका और इंगलैन्ड में जिन चीजों पर रिसर्च हो चुका है और नतीजा निकल चुका है या और प्रांतों में नतीजा निकल चुका है वही जाकर यहां दुहरा दिया जाता है और रिसर्च आफिसर लोगों को यह दिखलाते हैं कि हमने यह रिसर्च किया है। इस तरफ डाइरेक्टोरेट का ध्यान जाना चाहिये कि जिस चीज का नतीजा निकल चुका है उसका डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिये। इस तरह से जो रिसर्च के काम हो रहे हैं उस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे प्रांत में तीन एग्रोनोमिस्ट हैं जिनमें एक एक के जिम्मे २५-२५ फसलें दी गयी हैं। मैं नहीं समझता हूं कि वे अफसर किस तरह से पचीस पचीस फसलों की अकेले निगरानी कर सकते हैं। इसलिये मुझे यह कहना है कि इस मुहकमे के अन्दर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी आ रहा है जो कि वहां से एक बार निकल गया था। फिर एक अंडे की शक्ल में आ रहा है और शायद उसका बच्चा भी निकल चुका है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां खेती के कल औजार वही पुराने तरीके के चले आ रहे हैं। नैनी इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद ने कुछ नये इम्पलीमेंट्स तैयार किये हैं जिसके अनुसार उसका दावा है कि एक जोड़ी बैल पर २५ एकड़ जमीन की व्यवस्था अच्छी तरह से की जा सकती है। २५ एकड़ तो नहीं लेकिन मैंने भी उन इम्प्लीमेंट्स को इस्तेमाल करके देखा है और मैं समझता

[राजा राघवेन्द्रप्रताप सिंह]

हूं कि १५-१६ एकड़ जमीन की व्यवस्था उनसे अच्छी तरह से की जा सकती है। इम्प्लीमेंट्स अच्छे होने चाहिये जिनको हमारे बैल खींच सकें। लिहाजा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। हमारी मिट्टी, नमी आबहवा वगैरह को देखते हुये अच्छे कल औजार की व्यवस्था इस मुहकमे को करनी चाहिये।

केन डेवलपमेंट डिपार्ट भी इस बजट के अन्दर शामिल है। केन डिपार्टमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोकि एक विशेष फसल से इसका संबंध है मगर यह ऐसी फसल है जिससे लाखों करोड़ों रुपये किसानों के पास आ रहे हैं। इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। यह मैं जरूर कहूंगा कि केन डिपार्टमेंट की मनोवृत्ति और रुझान जो है वह प्रोकैपिटलिस्ट है यानी वह धनिकवर्ग की जरूरतों का विशेष आदर करता है बजाय किसानों के। इसके मैं दो एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज एक नये किस्म के गन्ने की खोज हो रही है। जैसे पहले ४२१-४५३ नं० का जो गन्ना था उसकी बदौलत किसानों को काफी पैसा मिलता था, लेकिन अब जो खोज हो रही है वह इसलिये कि गन्ने में शक्कर ज्यादा हो, गन्ने का वजन चाहे कम हो। अगर शक्कर ज्यादा होगी तो मिल वालों को कम दाम में ही अधिक शक्कर मिल जायगी और किसानों को नुकसान होगा। आज जो कीमत फिक्स होती है और किसानों को जो दाम दिया जाता है वह अगर देखा जाय तो सन् ५१-५२ में ६६ से ६० प्रतिशत तक किसानों को रुपया मिल जाता था पर सन् ५३-५४ से ६० प्रतिशत तक टैक्स काट कर किसानों को मिलेगा और बाकी मिल वालों को मिलेगा। तो आप ध्यान दें कि इससे दिनोदिन मिल वालों को ही लाभ होता जा रहा है बनिस्बत किसानों के।

दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस विभाग में गबन भी बहुत हुये हैं और बहुत गड़बड़ी हो रही है। रुपए का बहुत अपव्यय हो रहा है। सरकार का तो एक तरफ ध्यान गया है कि अब मोटरों पर व्यय कम हो, मिनिस्टर लोग मोटरों पर कम चलें लेकिन केन विकास विभाग के लोगों को यह शौक अब पैदा हुआ है और अब ए० सी० डी० ओज० तक के लिये मोटरें खरीदी गई हैं और हमारे यहां नवाबगंज एक छोटा सा यूनिट है वहां भी मोटर आ गई है। इसके अलावा एक प्रेस है और ताज्जुब है कि हम लोगों का जिले के बाहर से काम होता है और यह प्रेस पता नहीं क्या काम करता है? केन का जो बान्डेज होता है उसका भी ठीक प्रबन्ध नहीं है। मैं ज्यादा उदाहरण न देकर केवल अपने यहां का जरवल का उदाहरण दूंगा कि वहां पर बान्डेज का अन्दाजा इतना गलत किया गया कि गन्ना तुलसीपुर भिजवाना पड़ा।

हमारे यहां मिल वाले बड़े जोर से कोशिश में हैं कि रिकवरी बेसिस पर गन्ने के दाम दिये जाया करें। हालत यह है कि हमारा बेचारा किसान अपनी गाड़ी तक का ही वजन ठीक से नहीं देख पाता, वजन होता है कि गाड़ी खड़ी करो और हटाओ, फेंकों, बड़े-बड़े साइन्टिस्ट्स रिकवरी का हिसाब ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो बेचारा किसान क्या देख सकेगा। अगर ऐसा किया गया तो बस भगवान ही किसानों का मालिक होगा। इस विभाग में सब कुछ हुआ, कोआपरेटिव फार्मिंग पर बड़ा जोर दिया जा रहा है लेकिन फंक्शनल कोआपरेटिव पर किसी का ध्यान नहीं है। जो सबसे बड़ी जरूरत है वह है किसान की पैदावार के मार्केटिंग की है और गल्ले के दामों के निर्धारण की। जरा सा देश सीलोन है वहां पर फसल आने से पहले ही गल्ले के दाम निश्चित हो जाते हैं और एलान हो जाता है लेकिन किसान यहां पर तो जखीरेबाजों पर निर्भर है, वह मंडी में जाता है तो पूछता है कि क्या भाव लगेगा, तो उससे कह दिया जाता है कि अभी कोई भाव खुला नहीं है। इस तरह से जब वह परेशान हो जाता है तो मनमाने दाम उसके माल के लगा दिये जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारे यहां भी वेयरहाउसेज खोले जायं और पहले से उसकी फसल के दाम मुकर्रर हो जायं। उसके सामने भी अच्छी खेती करने के लिये कुछ न कुछ इनसेन्टिव होने चाहिये। आज हालत यह है कि रूरल इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है कि हमारे यहां अधिकतर

होलिंडिंग्स लास पर चल रही है। इस तरह से उसका एक्सप्लायटेशन होता है। अब ज्यादा निवेदन मुझे नहीं करना है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन और माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर विचार करेंगे और मेरे छोटे मोटे सुझावों पर सदन गौर करेगा।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—अधिष्ठाता महोदय, आज का विषय इस सूबे की बहुत बड़ी जन-संख्या से सम्बन्ध रखता है। मुझे उम्मीद है कि इस सदन के अन्दर जो सुझाव पेश किये जायंगे सरकार उन सुझावों पर खास तौर से तवज्जह देगी। मैं इस ग्रांट के अन्तर्गत आनेवाली जो दूसरी मदें हैं उन्हें छोड़कर केवल गन्ने के विषय में ही कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। केन की सप्लाई जिस उसूल के जरिये से इस सूबे में हो रही है उस पर खास तौर से विचार करने की जरूरत है। अब तक होता यह रहा है कि तीनसाला औसत निकाल कर और उस पर केन की सप्लाई के आंकड़े रखकर किसान अपना गन्ना मिलों को देते हैं और इस तरह से उनकी सप्लाई का बन्दोबस्त किया जाता है। लेकिन इस सिस्टम के द्वारा नतीजा यह निकल रहा हैकि जो बड़े काश्तकार हैं उनकी पर्चियां हर साल औसतन ज्यादा लगती चली जा रही हैं और जो छोटे काश्तकार हैं उनकी पर्चियां हर साल कम होती चली जा रही हैं। किसी तरह से बड़े काश्तकारान ने मैनोवर करके शुरू में किसी मौके पर अपनी सप्लाई बढ़ा ली और उसके आधार पर हर साल उनकी सप्लाई की पर्ची बढ़ती चली जाती है, चाहे गन्ना हो या न हो। लेकिन पर्चियां उनके पास पहुंचती हैं और वे लोग जिनको पर्चियां नहीं मिलती उनके गन्ने को वे लोग उन्हीं के नाम से मिल में सप्लाई करते हैं। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि किस तरह से गरीबों के हुकूक का हनन हो रहा है और किस तरह से ज्यादा पैसे वाले ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि किसी मिल की टोटल सप्लाई को सामने रख कर और उस मिल में जितने गन्ना उत्पादक अपना गन्ना देते हैं उनकी टोटल पैदावार को सामने रख कर औसत निकाल लिया जाय और हर साल इसी तरह से उनके सप्लाई कार्डस तैयार किये जायं और तीन साला औसत की बात को खत्म कर देना चाहिये। मेरा विचार है कि ऐसा करने से जो दोष पैदा हो गये हैं वे जाते रहेंगे और जिसके लिये जितनी पर्चियां ड्यू होनी चाहिये वह पर्चियां उत्पादकों को मिलती रहेंगी और उनकी सप्लाई ठीक होती रहेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी केन सोसाईटीज हैं और उनके अन्तर्गत जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स बने हुए हैं वह बोर्ड केवल देखने मात्र के हैं और जितनी उन्हें ताकत दी जानी चाहिये वह नहीं है। कहने के लिये कहा जाता है कि सप्लाई के मामलों को उनकी राय से किया जाता है और उसमें उनका काफी हाथ रहता है। लेकिन वाकया यह नहीं है। सप्लाई का जहां तक ताल्लुक है उसका ताल्लुक तो सिर्फ जो गन्ना सोसाइटी का ए० सी० डी० ओ० होता है और मिल का केन इंस्पेक्टर होता है उसी से ज्यादा होता है। दोनों मिल कर जो तय कर लेते हैं, जिस परचेजिंग सेन्टर से जितना गन्ना खरीदना होता है वह खरीद लिया जाता है। अधिष्ठाता महोदय, यह सिस्टम गलत है। मेरा सुझाव है कि जितने भी लोकल बोर्ड्स हैं गन्ना सोसाईटीज के, मुख्तलिफ जोन्स के उनके गन्ने की सप्लाई उस मिल में और पैसे के मामले में जो कीमत की शक्ल में मिल से काश्तकारों को मिलता है उनका पूरा अधिकार होना चाहिये। अगर यह अधिकार नहीं दिया गया तो बोर्ड्स को नुकसान होता है और नुकसान यह होता है कि इनके शैल्टर में जो अधिकारी गन्ने के होते हैं वह मनमानी कर जाते हैं, अपनी ख्वाहिश का काम और आड़ ले लेते हैं बोर्ड्स की। इसलिये इन बोर्ड्स को ज्यादा ताकत दी जानी चाहिये ताकि यह हर जगह पर अच्छा काम कर सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खूब सिंह]

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि गन्ने की जो काउन्सिलें मुख्तलिफ सेन्टरों पर कायम हैं, जो गन्ने के जोन्स में विकास का काम करती हैं उनको बिल्कुल ऐसी छूट दी हुई है कि उनके काम को देखने वाला नहीं है कोई। टेक्नीकल हैन्ड्स तो हैं नहीं। ए० सी० डी० ओ० होता है उसके जरिये से सब काम होता है और वह मनमानी भी करता है, कोई देखने वाला नहीं होता। तो इससे काफी पैसा उन सोसाइटीज का मुफ्त में इधर-उधर चला जाता है। और काम भी नहीं हो पाता। इसके मुताल्लिक मेरा सुझाव है कि जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग और कैनाल इंजीनियर्स जो रहते हैं उनके जरिये से उन कामों की जांच करायी जाय और यह बात लाजिमी करार दी जाय कि उनके देख लेने के बाद जितना रुपया इसमें लगा है उस लिहाज से यह काम दुरुस्त है या नहीं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि गन्ना डिपार्टमेंट इस किस्म के आदमी चला रहे हैं जिन्हें टेक्निकल नौलेज बिल्कुल नहीं है। इसको चलाने के वास्ते ज्यादा से ज्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे आदमी यहां लाकर के रखे जायं कि जो ऐग्रीकल्चरल नालेज से पूरी तरह वाकिफ हों और मेरा ख्याल है कि जब ऐसा हो जायगा तो बहुत कुछ सुधार गन्ने के मुहकमे में स्वयं होता चला जायगा। एक बात आखीर में मैं यह कह देना चाहता हूं क्योंकि समय कम है, अधिष्ठाता महोदय ने समय तो कुछ बढ़ाया ही नहीं, वैसे समय तो काफी इस ग्रांट पर विचार करने के लिए मौजूद है, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस मुहकमे के जो अधिकारी वर्ग हैं उनका रवैया कुछ ऐसा होता चला जा रहा है कि जिस तरह का रवैया पुराने जमाने में डिप्टी कलेक्टरों और तहसीलदारों वगैरह का था। वह कुछ समझते यह हैं कि उनका मुहकमा भी ऐसा है कि वह जो चाहें मनमानी करें, न किसी से सुझाव लेने की जरूरत है, न किसी चीज की जानकारी करने की जरूरत है और न उन्हें किसी से कुछ सलाह मशविरा करने की और न मिलने जुलने की जरूरत है। तो जब इस किस्म का बर्ताव गन्ने के मुहकमे में अधिकारी वर्ग करेंगे तो मैं नहीं जानता कि इस मुहकमे का आगे क्या हाल होगा और निश्चय ही यह मुहकमा इस तरह से चल नहीं सकता। इसमें तो बहुत ही गम्भीर तब्दीलियां करनी पड़ेंगी तब जनता को कोई लाभ हो सकता है। आजकल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जो डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स हैं, मैं नहीं जानता कि वह वहां किस काम के लिए हैं और क्या काम वह करते हैं, क्या काम उनको सौंपा हुआ है? मैं समझता हूं कि आम लोगों से मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाने का कुछ कार्य निश्चय ही होना चाहिए।

चौधरी खजानसिंह (जिला उन्नाव)—अधिष्ठाता महोदय, हमारे सूबे में ज्यादातर किसान बसते हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में जैसा हो रहा था आज भी वैसा ही हो रहा है। बीज की बात कर रहा हूं। बीज गोदामों में आता है और दिया जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का प्योर होता है और कोआपरेटिव में मिक्सचर ज्यादा होता है। मैं देखता हूं कि १६ परसेंट और २० परसेंट कोआपरेटिव में मिक्सचर होता है और एग्रीकल्चर का तो गनीमत है। लेकिन किसान जो बीज लेके बोता है उसको किसी ने नहीं सोचा कि उसका होता क्या है। किसान उत्पादन करता है। कभी उस पर भी गौर कीजिए कि वह बिकता कहां है। उसके वास्ते क्या करता है एग्रीकल्चर मुहकमा? रबी की फसल ले लीजिए। गेहूं, मटर, जौ या चना जो कुछ वह पैदा करता है वह चैत में आ जाता है पूरब की तरफ और बैशाख में आता है पछांह की तरफ। यह मुहकमा एग्रीकल्चर या कोआपरेटिव मई में खरीदता है और खर्चा जो होता है, किसान पर महाजनों का कर्जा जो लदा रहता है, या शादी ब्याह का खर्च यह तमाम जो खर्च होते हैं, उनके लिए वह रबी की फसल के बाद ही जो कि उसकी मेन क्राप है अपना बजट बनाता है। वह सोचता है कि गल्ले को गोदाम में दें तो वह मई से पहले नहीं लेगा और अगर बाजार में देते हैं तो जल्दी बिक जाता है लेकिन बाजार में दाम कम मिलेंगे, लूट लिया

जायगा । और अब तो एक आपके मुहकमे के इन्स्पेक्टर रहते हैं---मार्केटिंग इंस्पेक्टर । उनके पास जाओ कि बाबू जी, जरा हमारा रेट तो लगा दीजिए बाजार से । कहने लगते हैं कि अभी नहीं । अभी नहीं मई में रेट देंगे । कोई राजी नहीं होता । मई में इतनी कीमत उसको दी जाती है कि किसान अपना गल्ला गोदाम में ले जाने को रजामन्द नहीं होता । लेकिन मई तक कोई गल्ला रख ही नहीं सकता । किसान को फौरी जरूरत है । खेत से खलियान में गल्ला पहुंचा । जैसे ही उठा वैसे ही जरूरियात के लिये रुपया चाहिये । लगान देना होता है । शादी ब्याह के लिये रूपया चाहिये । लेकिन बाजार का सिस्टम आपने नहीं बदला । मंडी में जाता है तो मंडी में पहुंचने से पहले ही बहुत से दलाल लगे रहते हैं । पूंजीपतियों के वे दलाल होते हैं जिनको आपने हिला रक्खा है । लाठी, कांटा व बल्लम वे लिये रहते हैं और कहते हैं कि हमारी दूकान पर चलो । दूसरा और तीसरा भी उससे यही कहता है कि हमारे यहां चलो । वह सोचता है कि किसके यहां जाय । जो ज्यादा जबरदस्त गुंडा होता है वह उसको अपने यहां ले जाता है । व्यापारियों के यहां एक तरह से गुंडई ही होती है । उससे कहा जाता है कि हमारे यहां नहीं जाओगे तो तुम्हें कत्ल कर देंगे । वह बंध जाता है । वे उसकी गाड़ी में बैठ लेते हैं और गाड़ी में बैठ कर उसे अपनी दूकान में ले जाते हैं । चैत के महीने में गाड़ी बाजार में खड़ी करके उसकी बोली बोली जाती है । चुंगी अलग पड़ती है । घर से २० मन ले कर चलता है तो दाम १५ मन के मिलते हैं । किराया भाड़ा अलेहदा । तो उसे बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है । धान १३६२ फसली और १९५४ ई० में बहुत पैदा हुआ । कहा गया कि हम फूड में सेल्फ सफिशेंट हो गये और अब नाज मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । ८ रुपये मन गेहूं बिक गया और ५ रुपये मन जौ व चना ये चीजें बिक गई थीं । लेकिन क्या हुआ ? दो महीने ही बीते कि गेहूं ३ सेर का बिका और वही जौ चना किसान को दूने दामों पर खरीदना पड़ा ।

(इस समय ३ बज कर २५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

आपने मंडियों का इंतजाम बहुत बुरा कर रक्खा है । अब आजकल आप जापानी धान का बहुत ही ढोल बजा रहे हैं । खैर हमारे यहां के जितने भी डिमान्सट्रेटर्स हैं चाहे एग्रिकल्चरिस्ट हों, चाहे कोआपरेटिव वाले हों सभी कहते हैं कि हमने इतना जापानी धान लगाया । वह जरा छिदा होता है और पैदावार जो होती है वह अच्छी होती है । अब धान लग रहा है । बारिश नहीं हो रही है । जहां नहर जाती है वहां पानी मिल जाता है । नहर वालों की मेहरबानी से नहीं, बल्कि पहाड़ों पर बारिश काफी हो गई है जिससे दरिया में पानी काफी हो गया है । अगहन में धान पैदा होगा और नवम्बर में लेट वेरायटी कटनी शुरू होगी । गोदाम वाले दिसम्बर में उसकी खरीद करेंगे । किसान बेचारा बाजार में जा कर बेचेगा । किसान को बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ता है । १०० मन में ८० मन का भुगतान मिलता है इससे किसान बहुत परेशान होता है । मुझे और भी बहुत सी बातें करनी हैं । सीड का आप इन्तजाम कीजिये, मंडी का इंतजाम आप कीजिये, जब तक नहीं करेंगे तब तक किसान परेशान रहेगा और गरीब रहेगा । आप इसको दूर कर सकते हैं । अंग्रेजों के जमाने से भी बदतर जमाना है । वह उत्पादक है, आपको दूध देता है, तरकारी देता है और अनाज देता है, उसके गांव से आप मोटर लगाइये, कोआपरेटिव बनाइये और उसके घर से खरीदिये या गांव में एक ठीया मुकर्रर कर दें । आज गांव में नंगा नाच नचाया जा रहा है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो एक बातें सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं, इसलिये कि हमारे कृषि प्रधान देश में खाद्य की बड़ी भारी समस्या है और कम से कम वाराणसी और गोरखपुर डिवीजन में जहां गन्ना ही कैश क्राप है और इसकी वजह से किसान जिन्दा है । जब यहां चीनी की मिल स्थापित हुई तो किसानों के लिये एक आधार रहा और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां खती की कमी है,

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

खाद्यान्नों की कमी है। इसी के बहाने वह पैसा कमा कर अपनी जीविका कमाता चलाता है, शादी ब्याह करता है, मालगुजारी देता है और जितनी गृहस्थी की समस्यायें होती हैं उन सबको चलाता है। लेकिन हमें जो कुछ सहायता देनी चाहिये थी वह नहीं दे पाये हैं इससे पर्याप्त मात्रा में उसको सहायता नहीं मिल पा रही है, इसलिये उसकी कठिनाई बढ़ गई है।

देवरिया और गोरखपुर में तीस चीनी की मिलें हैं और जमीन पर किसानों का बोझ ज्यादा है। अगर हम फी एकड़ पैदा वार बढ़ायें जैसे जावा वगैरा में होता है, अगर इस तरह की चीज अपने यहां करते तो हमारी समस्या हल हो जाती। हम देखते हैं कि हमारे यहां मुश्किल से दो ढाई महीने सीजन चलता है। हम इसकी पैदावार बढ़ा नहीं पा रहे हैं। २५०/३०० मन फी एकड़ पैदावार केन डिपार्टमेंट के होते हुये ठीक मालूम नहीं होती है। जमीन की सर्वे कराई जाय। यह ऐसा क्षेत्र है जहां गन्ना महीने डेढ़ महीने पानी में डूबा रहता है और इसमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। देवरिया और गोरखपुर में एजूकेशन प्लानिंग के आधार पर हम लोगों ने कृषि महाविद्यालय और साइंस का डिग्री कालेज खोला है और वहां कृषि और साइंस के अच्छे से अच्छे डाक्टर हैं। हमने कोशिश की कि अनुसंधानशाला खोलकर अपने यहां की जमीन की सर्वे करायें और ऐसे साधन मालूम करें जिससे हमारे यहां जो गन्ना पानी में डूबा रहता है वह खराब न हो और कौन से बीज बोयें जिससे हमारी पैदावार बढ़े और कौन सी व्यवस्था करें जिससे नदी किनारे की जमीन में ज्यादा पैदावार कर सकें। परन्तु बार-बार प्रयास करने पर भी पता नहीं केन विभाग के लोग किस ढंग से काम करते हैं, उन्होंने हमको पूरी सहायता नहीं दी, वर्ना जो बाहर से डाक्टर आये हुये हैं उनकी मदद से हम इस समस्या को हल करने में सहायक हो सकते।

इसके साथ-साथ किसान की जो पैदावार है उसका ठीक-ठीक प्रयोग इस माने में नहीं हो पाता कि उनके गन्ना देने के तीन, चार महीने बाद तक उनको कीमत नहीं मिलती है जिससे एक समस्या पैदा हो जाती है। इस ओर हमारे महकमें को ध्यान देना चाहिये। मिल वाले कई-कई लाख रुपया महीनों रखते हैं और उसका सूद खाते हैं। आप देखेंगे कि ५-५ और ६-६ लाख रुपया गन्ना सीजन खत्म होने के बाद मिलों के जिम्मे बाकी रहता है। कुछ मिलें हैं जो तुरन्त रुपया देती हैं, जैसे वेग सदरलैंड की फ़ैक्टरी, वह तुरन्त रुपया देती है। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे किसानों को तुरन्त रुपया मिल जाय।

श्रीमन्, दूसरी अड़चन गन्ने के सिलसिले में यह है कि हम लोगों की जो वहां पर केन डेवलपमेंट की व्यवस्था है उसके लोग किसानों से अधिक सम्पर्क नहीं रखते हैं। जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा, अधिकतर योजनायें कागज पर बनती हैं और वे किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। हालां कि इसका पब्लिसिटी डिपार्टमेंट अलग है, सब बातें हैं, लेकिन जितना होना चाहिये वह नहीं हो पाता है। इसलिये इस विभाग को जितना अधिक से अधिक किसानों के लिये उपयोगी बनाया जा सके बनाना चाहिये।

*श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय कृषि मंत्री का ध्यान गोरखपुर जिले की चन्द कृषि सम्बन्धी समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां तक गन्ना विकास विभाग का सम्बन्ध है, मेरे विचार से सिवाय पर्चा वितरण के और कोई कार्य उसने नहीं किया है। किसानों को आज यह पता नहीं है कि किस महीने में कौन सा गन्ना पकता है। केन डेवलपमेंट विभाग की ओर से इसका कोई प्रयत्न नहीं किया गया। जो गन्ना मार्च में पकने वाला है वह जनवरी में ही कट जाता है। इसके फलस्वरूप परसेंटेज में कमी रहती है और काश्तकारों और मिल वालों दोनों को नुक्सान होता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। लिहाजा मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव रखना चाहता हूं कि गन्ना विकास विभाग को कृषि विभाग में मिला दिया जाय तो बहुत अच्छा हो क्योंकि दोनों का काम करीब-करीब एक ही तरह का है।

रह गयी कृषि अनुसंधान की बात। हमारे जिले में २,७८,४७६ एकड़ ऐसी भूमि है जो कछार एरिया में पड़ती है। यह भूमि करीब ९ महीने बेकार रहती है, इस पर कोई भी फसल काश्तकार नहीं उगा पाता। मैं कृषि अनुसंधान विभाग से प्रार्थना करता हूं कि इन क्षेत्रों में भी कोई ऐसा प्रयोग किया जाय जिससे इन ९ महीनों में काश्तकार कोई अतिरिक्त फसल भी पैदा कर सकें।

इसी प्रकार हमारे जिले में एक तराई का खित्ता है जहां अगहनी फसल होती है। यहां पर भी वही हालत है। लेट पैडी का एरिया १ लाख ७९ हजार ५३७ एकड़ है। यदि कोई व्यवस्था हो जाय तो वे बचे हुये महीने में अतिरिक्त फसलें पैदा कर सकते हैं। इससे उनकी आर्थिक हालत अच्छी हो सकती है और पूर्वी जिलों से जो भुखमरी की आवाज आती है वह नहीं उठेगी। खेती ही उनका कारखाना है और वह भी ८, ९ महीने बन्द रहे तो उनका काम कैसे चलेगा। यह बड़ी जटिल समस्या है। इसलिये बाढ़, तराई और कछार के क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रबन्ध होना बहुत जरूरी है जिससे यह कारखाना उनका बन्द न हो और वे कुछ फसल उन महीनों में भी पैदा कर सकें।

कछार के अतिरिक्त बांगर का एरिया भी लम्बा चौड़ा है जो ४ लाख २४ हजार एकड़ है। वहां मक्का के अलावा सांवा और टांगुन की खेती होती है? इस क्षेत्र में कृषि विकास के सिलसिले में क्या किया गया? मैं मानता हूं कि कुछ ट्यूबवेल्स लगे हैं किन्तु उनमें से अधिकांश बेकार पड़े हैं। कहीं नाली है तो बिजली नहीं और कहीं बिजली है तो नाली नहीं। इस क्षेत्र में काश्तकारों को अपने बल पर कोई साधन नहीं उपलब्ध हो रहे हैं। इसलिये इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

हमारे जिले में १२६२ एकड़ में गन्ना बोया जाता है। मुद्दत हुई गन्ना विकास विभाग को खुले हुये लेकिन काश्तकारों को पता नहीं है कि उनके क्षेत्र में मौसम के लिहाज से कौन गन्ना किस महीने में बोना मुनासिब है। इसके लिये उचित व्यवस्था होना चाहिये जिससे काश्तकारों को इस सम्बन्ध में पता हो ताकि पक कर ही गन्ना मिलों में जाय।

आधुनिक प्रशिक्षण और प्रयोग के सम्बन्ध में तगड़ा कदम उठाना चाहिये क्योंकि इसके बगैर हमारे जिले की खेती की समस्यायें हल नहीं हो सकती।

*श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और कुछ कहने के पूर्व मैं माननीय सदस्य श्री द्वारिका प्रसाद जी को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता कि जिन्हों ने हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

एक अनुदान के ऊपर जो धन रखा गया है उसको देखने से यह प्रतीत होता है कि इस धन का अधिक भाग कर्मचारियों के वेतन और भत्ता और नौकरशाही पर खर्च होता है। मिसाल के तौर पर मैं कुछ उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं। एक मद है ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाना, जिसमें २९,८०० रुपया रखा गया है लेकिन इसमें से २४,३०० रुपया संबंधित कर्मचारियों पर खर्च होता है और बाकी ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाने में खर्च किया जाता है। दूसरा है नगरों में मैले और कूड़े से कंपोस्ट बनाने की स्कीम, जो सरकार की है। इसमें १,३३,५०० रुपया रखा गया है। इसमें से ९८,५०० रुपया कर्म-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखालाल]

चारियों के वेतन और भत्ते पर खर्च होता है। इसी प्रकार किसानों के रूरल अपलिफ्ट के हेड की मद है। किसानों के खेतों के प्रदर्शन में ५,२२,००० रुपया रखा गया है। इसमें से ५,०२,००० रुपया इसके कर्मचारियों पर खर्च होगा। इसी तरह की और बहुत सी मिसालें हैं। गन्ने की खेती और उसके विकास के लिये १८,८५,००० रुपया सरकार ने रखा है जिसमें से १२,७५,००० रुपया कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर खर्च हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हमारा समाजवादी बजट है और हमारा प्रदेश समाजवाद की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस बजट को देखने से और अनुदानों को देखने से तो मालूम होता है कि यह प्रदेश समाजवाद की ओर नहीं जा रहा है बल्कि नौकरशाही की ओर जा रहा है और यह उसी का बजट है। समाजवाद की ओर ले जाने का मतलब यह है कि जितना रुपया उस ग्रान्ट में रखा गया हो उसका ज्यादा हिस्सा छोटे किसानों की तरक्की के लिये, उनको अच्छा बीज देने के लिये, खाद देने के लिये, औजार देने के लिये खर्च किया जाय।

कृषि के मातहत सीड स्टोर्स से जो बीज दिया जाता है उसके लिये कहा जाता है कि इंप्रूव्ड वेराइटी का बीज दिया जाता है, लेकिन यह अक्सर देखा गया है कि जो बीज दिया जाता है, उसमें आधे से ज्यादा डस्ट होती है। नान-फूडग्रेन्स और डर्ट उसमें ज्यादा मिकदार में रहती है। काश्तकारों से वसूली के वक्त अच्छा बीज लिया जाता है लेकिन गोदामों में उनमें नान-फूडग्रेन्स और डर्ट मिला दी जाती है।

एन० ई० एस० ब्लाक्स के मातहत खेती की तरक्की के लिए काफी धन दिया गया है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि उस पैसे का जितना दुरुपयोग हुआ है उतना किसी और का नहीं हुआ। जो शख्स कर्मचारियों की हां में हां मिलाते हैं और उनके साथ उठते-बैठते हैं उनको ही खाद के रूप में और कृषि यंत्रों के रूप में सहायता दी जाती है। वह रुपया जो छोटे किसानों को मिलना चाहिये उससे वह महरूम रह जाते हैं।

दुर्भाग्यवश इस समय हमारे माल मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। कृषि और माल का बड़ा सम्बन्ध है और इस समय जो बातें मैं आगे कहने जा रहा हूं उस से उनका सम्बन्ध है। यहां मेरे पास एक पुस्तक है "उत्तर प्रदेश की भूमि व्यवस्था में क्रान्ति," इसमें माल मंत्री जी ने यह दिखाया है कि कृषि आयकर लगाने के लिये सरकार यह मान लेती है कि ७५ रुपया फी एकड़ की पैदावार हुई। इसमें यह भी दिखाया गया है कि एक व्यक्ति की औसत खेती १.०१ एकड़ है। इस से यह अन्दाजा लगता है कि जो आदमी खेती पर निर्भर करता है उसकी आय ७५ रुपया १२ आना है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है कि पर कैपिटा इंकम २५ रुपया है। अब समझ में नहीं आता कि इन आंकड़ों को माने या उन आंकड़ों को मानें। सरकार दोनों प्रकार के आंकड़े सामने रखती है और जहां जो भी फिट बैठ जाय उसको वहां फिट करती है। जो बड़े-बड़े किसान हैं उनसे वह चाहती है कि कृषि आयकर कम लिया जाय तो उनके लिये वह उस तरह के आंकड़े रखती है और छोटे छोटे काश्तकारों के लिये वह दूसरे आंकड़े रखती है। इस प्रकार से यह परिणाम निकलता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिये जो यह करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है वह सब बेकार जा रहा है।

दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि कृषि की ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जो लापरवाह या अकुशल काश्तकार है उसकी खेती कम दी जाय। सिर्फ उन लोगों के लिये खेती की व्यवस्था की गयी है जो अपने हाथ से जोतते हैं लेकिन इस पुस्तक में जो चार्ट दिया हुआ है उससे यह मालूम होता है कि जो इसमें अदर फेलो के लिये अकांड़ा दिया गया है वह ४९–५० में १.२ से बढ़कर ५४–५५ में ४.८ हो गया है। यह आराजी उन काश्तकारों के पास है जो असल में अपने हाथ से नहीं जोतते हैं और धीरे धीरे परती होती जाती है।

तो माननीय मन्त्री जी का यह कहना कि भूमि की ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो अपने हाथ से काश्तकारी करे उनको ही दी जाय और अकुशल काश्तकार को न दी जाय इससे यह बात गलत साबित होती है। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)––आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से पहले जब अंग्रेज थे तो प्रत्येक डिपार्टमेंट का जो प्रोफिट और लास का महकमा था कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता था। और उसके द्वारा ही जिले की सारी स्कीम ऊपर भेजी जाती थी। आज वही हो रहा है कि जो कलेक्टर या हाकिम परगना हैं उनको डी० पी० ओ० बना दिया गया है। उनके हाथ में प्लानिंग डिपार्टमेंट दे दिया गया है। जिलों का शासन उनके द्वारा ही हर प्रकार का होता है यानी जो विभाग उनके हाथ में हैं उनके ही वह पूरी तरह से अधिकारी हैं। हमारे सूबे के अन्दर एग्रीकल्चर अफसर प्रायः सभी जिलों में हैं लेकिन वे डी० पी० ओ० के अन्तर्गत काम करते हैं जो एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ नहीं हैं। डी० पी० ओ० की समझ में अगर कोई स्कीम आयी तो वह ऊपर को चली जाती है और अगर उसकी समझ में नहीं आयी तो वह स्कीम वहीं जिले के अन्दर रह जाती है। आज हमारे यहां यह देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर अफसर जो स्कीम रखते हैं उसको डी० पी० ओ० महोदय या कलेक्टर महोदय जो कि उसके अध्यक्ष होते हैं उनको खारिज कर देते हैं। आज एग्रीकल्चर अफसरों का यही काम रह गया है कि वे सीड स्टोर खोलें और उत्पादन करें और जो बीज दिया है उसको वसूल कर लें। इसके अलावा और कुछ वे नहीं करते। पहले यह था कि प्रत्येक गांव में देखते थे कि बीज कैसा रहा और उससे कैसी उपज हुई। किसी ने रोटी बनाकर तो नहीं खा ली और दूसरे काम में तो नहीं ले आया। आज जिनके लिये बीज दिया जाता है उनको नहीं मिलता है। जो बड़े बड़े काश्तकार हैं उनको २० मन तक मिल जाता है। बाकी मारकेट में चला जाता है या उसके घर के काम में आ जाता है। छोटे काश्तकार को बीज नहीं मिलता है। आज हम देखते हैं कि जब एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट डी० पी० ओ० होना चाहिये या प्लानिंग अफसर होना चाहिये ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा सुझाव है कि एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट प्लानिंग अफसर होना चाहिये।

दूसरे जो वहां के प्राब्लेम्स हैं उनके लिये हम यह सोचते हैं कि जितनी भी पुरानी चीजें हैं उनको हटाकर आधुनिक युग की चीजों का प्रयोग होना चाहिये आधुनिक ढंग के बीज और औजार देने से उपज बढ़ेगी। कानपुर का १३ या पूसा का बीज हम किसानों को नहीं दे सकते हैं। आज खाद्य की व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। गोबर को जला दिया जाता है, विकास की स्कीम में हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी मशीनों की तरफ सरकार का ध्यान है। ऐसी मशीनों का एक पुर्जा खराब होने पर सारी मशीन बेकार हो जाती है। हमने देखा कि कटाई-मड़ाई की मशीन के एक पुर्जे के खराब होने पर २, ३ वर्षों तक मशीन लखनऊ में पड़ी रही और वहां गेहूं खराब हो गया। हमारे यहां एग्रीकल्चर और इरीगेशन में कोआर्डिनेशन नहीं है। कहीं नहर बनाते समय कृषि विभाग से नहीं पूछा जाता है कि यहां पानी की आवश्यकता है या नहीं। नतीजा यह होता है कि जहां पानी की जरूरत नहीं होती वहां नहर बना दी जाती है और जहां पानी की आवश्यकता होती है वहां नहर नहीं बनती है। इसलिये इन विभागों को चाहिये कि एक दूसरे से सलाह ले लिया करें।

हमारे कृषि विद्यालयों में सन् ४६, ४७ में ६ या ७ रुपये फ़ीस थी वहां आज डिग्री क्लासेज की फ़ीस १७, १८ रुपया कर दी है। इसे कम करना चाहिये। गन्ना सप्लाई के लिये उचित प्रबन्ध होना चाहिये।

***श्री राजदेव उपाध्याय** (जिला देवरिया)––श्रीमन्, हमारे जिले में देवरिया में खेती की हालत बहुत खराब है। कुछ ऐसा मालूम हो रहा है कि ४, ५ सालों से वहां अकाल अथवा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजदेव उपाध्याय]

अधिक वर्षा के कारण अन्न की पैदावार दिन पर दिन गिरती जा रही है। किसानों की माली हालत बदतर होती जा रही है। ऐसा आभास मिल रहा है कि किसान शहरों में आना चाहते हैं और गांव में रहना पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि वहां बहुत कठिनाइयां हैं। गोरखपुर और देवरिया ये दो ऐसे जिले हैं जो इस प्रदेश ही क्या, देश भर में, सब से ज्यादा गन्ना उगाते हैं और सारे हिन्दुस्तान को चीनी खिलाते हैं। इसलिये केन विभाग की तरफ़ से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। केन ऐक्ट में है कि गन्ना सप्लाई के २४ घंटे के अन्दर किसान को अदायगी हो जायगी लेकिन यह नहीं होता है। गन्ना देने के पश्चात् किसान दरदर मारा फिरता है और जब उसके यहां कोई शादी या त्योहार का समय आता है तो वह अधिकारियों के पास जाता है परन्तु फिर भी ठीक समय से उसे पैसा नहीं मिल पाता है। इसलिये उनको जल्द से जल्द पेमेंट होना चाहिये। जिससे उनकी आर्थिक कठिनाई दूर हो सके। गोरखपुर और देवरिया में अन्न बहुत कम होता है। वहां सड़कों की हालत बहुत खराब है जिससे किसानों को अपनी उपज मिल या बाजार तक ले जाने में कष्ट होता है। बैलों की खतरनाक अवस्था हो जाती है। माननीय मंत्री जी किसानों के नेता हैं और अगर उन्हें किसान-पंडित कहा जाय तो अनुचित नहीं है। अभी एक बड़ी सुन्दर पुस्तिका गन्ना विभाग की हमें मिली है जिसके सफे बड़े अच्छे रंगे हुये हैं, लेकिन जिस अच्छे रूप में इस विभाग का काम होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। हमको तो ऐसा लगता है कि इस विभाग का काम खाली परची देना, किसानों से गन्ना और कमीशन लेना है। मैंने पूर्वी जिलों में देखा कि हजारों मन गन्ना किसानों का सूख चुका है। विभागीय एक्सपर्टों को वहां के किसानों को बताना चाहिये जिससे उनकी माली हालत ऊपर उठे। लेकिन यह विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता है। देवरिया और हाटा की परेशानी की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष तौर से ले जाना चाहता हूं। प्रदेश में कोई भी जिला, सिवाय इन जिलों के, नहीं होगा जहां लोग बैलों के चूतड़ के नीचे के निकले हुये अन्न को खाकर या आम की गुठली या जामुन की गुठली खाकर गुजर करते हों। इन सुझावों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन पर ध्यान देंगे।

*श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---उपाध्यक्ष महोदय, किसानों का पैसा सीड स्टोरों द्वारा बुरी तरह से खर्च किया जा रहा है बल्कि उन्हें यूं ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह इसी तरह से है जैसे कि नन्हें बालक को चांद दिखाकर बहला दिया जाता है। कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। सीड स्टोर में बहुत धांधली है। हरी खेती का प्रयोग नहीं होता है। सारे का सारा पैसा विदेश से खाद मंगाकर उसमें फूंका जा रहा है। विदेश से आने वाले खाद से भूमि कम उपजाऊ हो जाती है जिससे ऊसर बन सकती है।

दूसरी बात यह है कि सीड स्टोर में एक ग्रूपलीडर होता है और एक एग्रीकल्चर बाबू होता है। उसमें दोनों को नहीं रहना चाहिये, दो के बजाय एक ही को होना चाहिये क्योंकि एक ही आदमी सभी काम करता है और एक की तनख्वाह बेकार जाती है। खाद, बीज और औजार जो सीड स्टोर से दिये जाते हैं, उनमें से औजार तो अधिकतर किसानों को किराये के नाम पर दिये जाते हैं और बीज जो दिया जाता है उसमें भी तमाम पैसा लोगों का लेखपालों द्वारा खर्च कराया जाता है। इसलिये बीज का वितरण गांव सभाओं द्वारा होना चाहिये और गांव पंचायतों द्वारा सीड स्टोर का इन्तजाम होना चाहिये। और जो सीड स्टोर के बाबू हैं उनको अच्छी तरह से किसानों के पास खाद, बीज और औजार पहुंचाना चाहिये। तथा उन बाबुओं की सिलसिलेवार तरक्की भी होनी चाहिये। यह बात इस विभाग में न होकर मनमानी हो रही है। जो एग्रीकल्चर विभाग के बाबू हैं उनको गावों में जाकर किसानों को पानी लेने का तरीका, खाद देने का तरीका, बीज बोने का तरीका और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अच्छे जानवरों को खरीदने का तरीका, ये सब बातें बतला देनी चाहिये और बीज किसानों को जून से पहले ही तकसीम हो जाना चाहिये। इस बार बाराबंकी में किसानों को समय पर बीज न मिलने से बड़ी हानि हुई है। ऐसा होता है कि पहले लोगों से तय कर लिया जाता है और जो नजराना दे देता है उसको तो पहले ही बीज दे दिया जाता है वरना नहीं दिया जाता। वसूली की यह हालत है कि यही जो सैलाब आया था उस वक्त लोगों को बीज दिया गया था तो जिन लोगों ने उनको कुछ पैसे दे दिये उनको तो बाद में दाम दे दिया गया और कुछ छूट दे दी गयी।

इस तरह से खाद की तथा खेती की सिंचाई की बहुत शिकायतें हैं। सिंचाई का जहां तक सम्बन्ध है जबकि अंग्रेजी राज्य में पानी अक्सर दिया जाता था और हफ्तेवार दिया जाता था परन्तु अब नहर विभाग द्वारा पानी ठीक से नहीं मिलता है। जो कुलाबे थे वे ऊंचे कर दिये गये, बड़े-बड़े कुलाबे छोटे कर दिये गये और नहरों द्वारा पानी उनमें कभी-कभी ही जाता है। जो तालाब हैं उनमें ग्राम पंचायतों द्वारा मछलियां लगायी गयी हैं। अगर किसानों को पानी न मिलें, सूखे खेत रह जायं तो बेचारे किसान तालाब से पानी भी नहीं ले पाते हैं। जो पतरौल है वह कुछ रुपया लेता है तभी नहरों से उसको पानी मिल पाता है। इसके अलावा किसानों को नहर के पानी का पैसा तो देना ही पड़ता है और फिर तालाब या कुवें से जो पानी वे लेते हैं उसकी मजदूरी वगैरह जो पड़ती है वह देना ही पड़ता है, इस तरह से उनको दुगुना डांड़ देना पड़ता है। इस प्रकार किसानों को हर तरह से तबाही है। हर तहसील में तहसीलवार एक फार्म ऐसा खोलना चाहिये ताकि उससे लोग फायदा उठा सकें।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज मुझे भी समय दे दिया उसके लिये आप को बहुत धन्यवाद। साथ-साथ मैंने इस सदन में ऐसा देखा है कि विरोधियों की बातों को सियासत बता दिया जाता है लेकिन आज मैंने देखा कि हमारे कृषि मंत्री जी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि विरोधियों की बात को वह ठीक से समझेंगे और उसको सियासत की बात न समझेंगे। कृषि का ऐसा विषय है कि जिससे हमारे प्रदेश की ७० प्रतिशत आबादी का सम्बन्ध है और यहां ज्यादातर आदमी खेती के सहारे पर रहते हैं। मैं शायद इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन न करता अगर गन्ने का विभाग इसके अन्तर्गत न होता। मैं केवल दो तीन बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने देखा कि उसमें कुछ चीजें शुरु की गई हैं और कुछ स्कीमें चलाई गई हैं। मैं आप के द्वारा सदन को और मंत्री जी को बताना चाहता हूं हमारे यहां एक स्पेशल रूरल अपलिफ्ट स्कीम है जिसमें क्राप कम्पीटीशन आता है। मैं मंत्री जी का और सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि यह एक तमाशा है और एक खेल है। अगर आप देखें तो जो फिगर यहां दी जाती हैं कि फलां खेत में इतनी पैदावार हुई वह गलत होती है क्योंकि जब हम यहां इनडेक्स देखते हैं और देखते हैं कि हमारा ओवर आल परसेंटेज कितना बढ़ा तो हमारी फर्स्ट फाइव-ईयर प्लान का साढ़े १३ परसेंट कृषि पर खर्च हुआ और वृद्धि पैदावार में होती है कुल १२ प्रतिशत की, यह सरकार के ही आंकड़े हैं अगर हम उन पर विश्वास करें। मेरे ख्याल में इस तरह से यह क्राप कम्पीटीशन तमाशा बन गये हैं और वह एक तरह का खेल किया जाता है। मैं उदाहरण देना चाहता था लेकिन वह मुझे देना नहीं चाहिये कि वहां इनमें बहुत बेईमानियां होती हैं और इस तरह से होती हैं कि जिनकी सूचना शायद मंत्री जी को न हो।

दूसरे सीड स्टोर्स का जिक्र किया जाता है, वह बड़ी अच्छी चीज है और पैदावार बढ़ाने के लिये अच्छे बीज और खाद की बड़ी जरुरत है। अगर मंत्री जी आज्ञा देंगे तो मैं उदाहरण दूंगा कि एक-एक व्यक्ति को ढाई-ढाई सौ मन बीज दिया जाता है और मालूम किया जाता है तो उसकी एक बीघा जमीन भी बोई हुई नहीं मिलती। यह करप्शन नहीं तो क्या है?

श्री हुकुम सिंह विसेन--आप बीज गोदाम का नाम बता दें कि कहां की बात है ? किसने दिया ?

श्री जगवीर सिंह--यह औरंगाबाद, बुलन्दशहर की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष --नाम तो मैं आदमी का नहीं बतलाने दूंगा । आप मंत्री जी को अलग से बाद में बता दें ।

श्री जगवीर सिंह--तो इस तरह की चीज बीज के वितरण में होती है कि बड़े-बड़े किसानों को अधिक दिया जाता है बिलालिहाज इस बात के कि वह उसको जाकर बोता भी है या नहीं । यह है हमारा सोशलिस्ट पेटर्न आफ सोसायटी कि गरीब किसान भूखा रहता है, उसको बीज नहीं मिलता और बड़े किसानों को खूब डट कर दिया जाता है ।

अब मैं माननीय मंत्री जी का और आदरणीय सदन का ध्यान केन विभाग की ओर भी दिलाऊंगा । अगर हमें कहीं अच्छी तरह से करप्शन देखना है तो हम अपने केन विभाग का मुकाबला किसी से भी कर सकते हैं । अगर कृषि विभाग की और माल विभाग की दौड़ होने लगे तो कोई किसी से पीछे नहीं रहेगा अगर अंग्रेजी में जिसे फोटो फिनिश कहते हैं वह दोनों की ली जाय । इस केन विभाग में जब से गन्ने का बान्डिन्ग शुरू होता है तभी से बेइमानी शुरू हो जाती है । मैं नहीं जानता कि केन विभाग का कागज रखने का क्या तरीका होता है और किस तरह से केन सप्लाई की बात दिखाई जाती है । शायद मंत्री जी को मालूम हो या न हो मैंने तो केन विभाग में करप्शन की ऐसी मिसाल देखी है कि ५-५ हजार रुपए का गबन एक-एक सोसाइटी में एक-एक आदमी के नाम दे दिया गया, न लेने वाले का पता न देने वाले का पता, ऐसी-ऐसी शिकायतें केन विभाग के बारे में चल रही हैं, शायद मंत्री जी को इसका पता न हो । वहां पर भी कम्पीटीशन का गीत गाया जाता है । और कहा जाता है कि कम्पीटीशन में बड़ी तरक्की होती है । श्रीमन्, कम्पटीशन्स का तो आप इससे अन्दाजा लगा लीजिये कि कितना वितरण बीज का और कितना एकरेज है और फिर उस एकरेज में यह बातें देखें तो मालूम हो जायगा कि तरक्की पर एकर यील्ड की उतनी नहीं हो रही है जितना कि वितरण और चीजों का बढ़ गया है । समय की कमी से मैं और नहीं कह सकता लेकिन एक बात कहूंगा कि बौंड होने के बाद कोई तरीका नहीं है हमारे गन्ना विभाग में कि किसान से जितना बौंड किया जाय अगर किसान कुछ परसेंटेज को छोड़ कर गन्ना देने से नाकामयाब हो जाता है तो उससे पैसा काट लिया जाता है । लेकिन अगर फैक्टरी हमारा गन्ना निर्धारित समय के अन्दर नहीं पेर पाती है तो फैक्ट्री हमको कुछ नहीं देती है, कोई लिमिट नहीं है समय की । कह दिया जाता है कि हमने तो कोई समय नहीं दिया है कि इस समय के अन्दर हम आपका गन्ना पेर देंगे । श्रीमन्, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बांडिग के समय कम से कम एक लिमिट होनी चाहिये कि इतने समय के अन्दर किसान का गन्ना फैक्ट्रीज को जरुर लेना पड़ेगा ।

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आध घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, राजा साहब । मंत्री जी को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हम तो कहते हैं २ घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--तो सदन साढ़े पांच तक बैठेगा ।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं । बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां तक कहा कि अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह का काम चल रहा था उसी ढंग से आज भी चल रहा है । मैं पूंछता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि अंग्रेजों के जमाने में शायद कहीं-कहीं किसी किसी जिले में बीज गोदाम के अलावा और खेती की तरक्की के सामान उपलब्ध नहीं होते थे जो आज किसानों को हो रहे हैं। मैं मंत्री जी से अपने जिले के बारे में एक मांग पेश करता हूं। हमारे जिले में जहां किसानों की काफी उन्नति हुई है, फायदा हुआ है, वहां एक जंगली खड्ड घोड़ारोशन है जिससे बरना और सई नदी के बीच में काफी नुकसान होता है। दूसरे जंगली जानवर, जैसे नील गाय, से किसान का इतना नुकसान हो रहा है कि किसान २४ घंटे परेशान रहता है, कौन ऐसी हिम्मत करे कि इन जानवरों से अपनी फसलों को बचा सके। और दूसरी बात और है गांव के पुराने महाजन किसानों को समय-समय पर बीज दिया करते थे। लेकिन अब वह खत्म हो गये। अब किसान और किसान का लेद देन कतई खत्म हो गया है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारी तहसील बरसठी क्षेत्र में ९, १० मील के अन्दर कोई बीज गोदाम नहीं और इधर लगातार बाढ़ आ जाने के कारण किसानों को समय से बीज न मिलने के कारण बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है।

कृषि के लिए एक बात यह भी कही जाती है कि उनमें खाद अच्छी नहीं दी जाती है। इसका सम्बन्ध तो इससे नहीं है लेकिन खेती से है। मैंने अपने जिले में इस साल देखा कि एक बीमारी भेड़ और बकरियों की ऐसी आयी कि बहुत सी भेड़ें और बकरिया मर गई। करीब ५० हजार के भेड़ और बकरियां इस बीमारी में जौनपुर जिले में मर गई। इससे किसान के खेतों में जो खाद भेड़ों से दी जाती थी वह तो बिलकुल निर्मूल सी होती जा रही है। मड़ियाहूं तहसील में मैंने देखा खास खास स्थानों पर कि एक गड़रिये के पास अगर ५०० भेड़ें थीं तो मुश्किल से १०० भेड़ें उसकी बची हैं तो इससे भेड़ों द्वारा दी जाने वाली खाद किसान के खेतों में अब नहीं दी जा सकती। इसी तरह से किसान के खेतों का कटाव भी चल रहा है। बाढ़ से उनके खेतों का बहुत सा हिस्सा कटता चला जा रहा है। पूर्वी जिलों में खेत यों ही बहुत कम हैं और आबादी उनकी बहुत ज्यादा है। कटाव उनका इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि पश्चिम की जितनी नदियां हैं उनका कुल बहाव पूरब की तरफ है और पूरब की जमीन कटती चली जा रही है। एक तरफ तो किसान उनका लगान देता है और दूसरी तरफ वह इनके कट जाने से परेशान हो जाता है। तो इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री से फिर प्रार्थना करता हूं कि देहात के क्षेत्रों में बीज गोदामों की ताकत अधिक बढ़ाने की कोशिश करें।

*श्री बाबूराम (जिला बरेली)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी ने जो अपना प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह कृषि का विषय निहायत ही गम्भीर विषय है क्योंकि इस विषय का सम्बन्ध किसानों से है और हमारे देश में किसानों की ही संख्या ज्यादा है। खेती का सम्बन्ध बीज, खाद, जुताई और पानी से है। जहां तक खाद का मसला है, खाद की समस्या से हमारे देश में बड़ी ही परेशानी है। किसानों के यहां जो गोबर होता है वह हम लोग जलाने के काम में लाते हैं। हम सुना करते थे कि सूरज से कोई गैस तैयार की जा रही है जिससे कि हम लोग अपना खाना बनायेंगे और गोबर हम अपने खाद के काम में लायेंगे। लेकिन आज तक मालूम नहीं कि इसमें कहां तक प्रगति हुई। दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि जो अमोनियम सल्फेट दिया जाता है, लोग समझते हैं कि यह ताकत की चीज है। लेकिन इसमें स्वयं कोई ताकत नहीं है बल्कि इससे जमीन खराब हो जाती है। इसमें सिर्फ जमीन से ताकत खींचने की शक्ति है। इसमें स्वयं शक्ति की कोई चीज नहीं है। इससे पहले सरकार की तरफ से ऐसा नियम था कि हरी खाद के लिए लोगों को सनई का बीज कम कीमत पर दिया जाता था और चैत और बैशाख के महीने में जो लोग बोया करते थे उनसे आबपाशी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबूराम]

नहीं ली जाती थी। सरकार को वही व्यवस्था फिर दुबारा करनी चाहिए। तीसरी चीज और आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस जगह से मैं आता हूं वहां की मुख्य पैदावार गन्ना है। जहां तक गन्ने की समस्या है इसमें बड़ी ही दिक्कतें पेश आती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अपना जिला बता दीजिए। जगह मुमकिन है माननीय मन्त्री जी को न मालूम हो।

श्री बाबूराम—बरेली। इस साल तो खास तौर से गन्ने की जो समस्या रही है उसकी तो कुछ तारीफ करना ही मुनासिब होगा क्योंकि इस साल काश्तकारों के गन्ने में बड़ी बड़ी बेईमानियां हुई और बड़ी बड़ी शिकायतें रही हैं। किसी को ४० मन की तौली गई और किसी को ८० मन की तौली गई। पर्चियों का यह ठिकाना है। फैक्टरियां बन्द हो गईं लेकिन किसी किसी को सीजन भर में एक पर्ची नहीं मिल सकी। फिर मसला पेमेंट का भी आता है। फैक्टरियां बन्द हुए काफी अर्सा हो गया लेकिन यह तै नहीं हो सका कि ७ मई के बाद गन्ने का क्या निर्ख दिया जायगा और फैक्टरी वाले क्या पेमेंट कर रहे हैं और जो पैसा रह जायगा उसका उनको मिलना मुश्किल हो जायगा।

बीज गोदामों का होना तो जरूरी है लेकिन तरीका बड़ा गलत है। अक्सर यह होता है कि किसानों को बीज न देकर जो बिजनेसमेन होते हैं उनको दिया जाता है। किसान जब उनसे लेने जाता है तो सेर दो सेर कम उसको मिलता है और जब वापस करने आता है तो सेर दो सेर उससे ज्यादा ले लिया जाता है। इस तरफ ध्यान देना आवश्यक है।

खेती के लिये मुख्य चीज पशु हैं। उनका सुधार होना नितान्त आवश्यक है। पशुओं के अस्पताल शहरों में न खोले जा कर देहातों में ही खोले जायं।

गन्ने की एक समस्या और है। बेसिक कोटा बांध दिया जाता है। उसमें खुली छूट मिल जाती है। किसी का बेसिक कोटा ४० मन का होता है तो किसी का ४०० मन का। इस साल गन्ने के सम्बन्ध में बड़ी शिकायतें रहीं। किसानों की खास आमदनी का जरिया गन्ना है। लिहाजा उसकी देख रेख व सप्लाई का सही तरीके से इन्तजाम होना चाहिये।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पुस्तिका अभी शायद सबकी मेजों पर पहुंची या नहीं पहुंची है इसका मुझे संदेह है। आज इस सदन में दूसरी बार मंत्री महोदय से मैं यह शिकायत कर रहा हूं कि जो पुस्तिकायें बांटी जायं उन्हें कम से कम एक दिन पहले जरूर सदस्यों के हाथ में पहुंच जाना चाहिये अन्यथा उसका कोई फायदा नहीं पहुंचता है।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि इसको पलटने से इसमें बहुत सी चमकीली तस्वीरें दिखलाई पड़ीं। आज जब हम हर चीज में किफायत करना चाहते हैं और उसके लिये कटमोशन लाते हैं तो कीमती पेपर पर इतनी तस्वीरें बनाना और बांटना कुछ उचित नहीं मालूम होता। इसलिये सबसे पहले मैं माननीय कृषि मंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

दूसरे ३ करोड़ ३२ लाख का यह जो अनुदान मांगा गया है उसका १/४ से थोड़ा कम यानी ४९ लाख रुपया केन डिपार्टमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के लिये रक्खा गया है। केन डिपार्टमेंट दो भागों में बटा हुआ है। पहले मार्केटिंग का विभाग डेवलपमेंट का काम भी कर लेता था लेकिन कुछ दिनों से यह दोनों विभाग अलग कर दिये गये हैं। गन्ने से पुराना परिचित होने के नाते मैं निवेदन करता हूं कि इस विभाग के अलग किये जाने से एफिशियेंसी में कुछ अधिक फर्क नहीं पड़ा। १९३५ में यह विभाग कायम हुआ था और आज

२२ वर्ष हो गये केन डिपार्टमेंट को काम करते हुये लेकिन हमारे हर एकड़ की एवरेज पैदावार ३०० मन के ऊपर नहीं जा सकी है जब कि दूसरी स्टेट्स में बालचन्द हीराचन्द के फार्म में फी एकड़ पैदावार ३ हजार या ढाई हजार मन मिलती है। (व्यवधान) जी हां, ढाई हजार तीन हजार मन फी एकड़ पैदावार है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितना भी रुपया वह ऐग्रीकल्चर के ऊपर मांगते हमें देने में कोई उज्र नहीं हो सकता था क्योंकि इस चीज पर हमारे ७० फीसदी लोगों की जीविका निर्भर है और हम अपना कटौती का प्रस्ताव पेश न करते अगर हमें यह इत्मीनान होता कि आपकी योजनाओं से किसानों की पैदावार का उचित रिटर्न उनको मिलता है। मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जरा १९५२–५३ के आंकड़ों को देखें। जिस साल पूर्वी जिलों में सरप्लस केन हो गया था तो आपने रिकवरी बेसिस पर गन्ने का दाम दिलाने का फैसला किया था। मुझे ज्यादा आंकड़े तो मालूम नहीं है लेकिन ३/४ फैक्टरियों के आंकड़े बता सकता हूं। रिकवरी बेसिस पर महाबीर शुगर मिल सिसवा बाजार .....

श्री हुकुमसिंह बिसेन––उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मारकेटिंग का इस ग्रांट से कोई ताल्लुक नहीं है। मारकेटिंग का २१ और ४५ से कोई संबंध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष––जिन बातों का इस ग्रांट से संबंध नहीं है उनको कहने की क्या जरूरत है।

श्री मदन पांडेय––मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मांग में केन डेवलपमेंट के लिये ४८ लाख रुपये का जिक्र है और केन डेवलपमेंट विभाग का पैदावार बढ़ाने से ही ज्यादा ताल्लुक है, इसलिये हम कहना चाहते थे। अगर यह इससे बाहर मालूम पड़ता है तो मैं आगे बढ़ता हूं। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उस साल इस मिल में रिकवरी बेसिस पर ढाई लाख मन गन्ना गिराया गया था और जब दाम मिले तो साढ़े नौ आने मन के हिसाब से और रिकवरी ६.८ दिखाई गई थी जबकि पड़ोस की दूसरी जगह उसी सप्ताह की रिकवरी ७.८ और ८.२ थी। इस संबंध में अगर मैं विषयान्तर हो गया हूं तब भी मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह तवज्जुह दें कि किसानों को उनकी पैदावार का उचित रिटर्न मिले और इसका उचित बन्दोबस्त किया जाय।

एक इलाका डोमाखंड है जहां गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी होती है लेकिन वहां के किसानों को अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है क्योंकि वह जगह फैक्ट्री गेट से २० मील दूरी पर पड़ती है इसलिये ट्रामवे जैसी चीज का इन्तजाम हो जाय तो मंत्री जी ज्यादा कामयाब होंगे और लोग दिलचस्पी लेंगे और किसानों को भी उनकी पैदावार का उचित रिटर्न मिलने लगेगा।

केन डिपार्टमेंट का बहुत लम्बा चौड़ा खर्चा रखा गया है। सीड और खाद के वितरण के बारे में मैं बतलाता हूं। जो सोसायटीज बनाई गई हैं उनमें से कुछ लोगों को लेकर और मिल के प्रतिनिधियों को लेकर डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई है जो कम्पोस्ट खाद और अमोनियम सल्फेट आदि का बंटवारा करती है। अगर आप आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि डेवलपमेंट के नाम पर जो ५०लाख रुपया मांगा जा रहा है उसका उचित उपयोग नहीं होता है। आज भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का दस बारह साल बाद काम करने के बाद नतीजा यही निकला कि ३०० मन फी एकड़ पैदावार होती है।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, अब आपने लाल बत्ती दिखा दी और मंत्री जी वैसे ही लाल बत्ती मालूम पड़ रहे थे, इसलिये मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। कटौती क प्रस्ताव

[श्री मदन पांडय]

का समर्थन मैं उसी शक्ल में कर रहा हूं कि यह जो ५० लाख रुपये की मांग की जा रही है इसका उचित उपयोग होना चाहिये और किसानों को उनकी पैदावार का उचित रिटर्न दिलाने का बन्दोबस्त किया जाय और जो सुझाव हमने दिये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे विरोधी दल के कई साथियों से सुनने में यह आया कि सीड स्टोर वाले कुछ बड़े-बड़े लोगों को ही सीड दे देते हैं। जिससे कुछ इने गिने लोगों को ही सीड स्टोर से फायदा होता है। श्रीमन्, मैं अपने साथियों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सीड स्टोर्स में लिमिटेड गल्ला होता है। उसका फार्म होता है जिसे किसान अपने गांव से भरा कर लाता है जिसके अनुसार उनको मजबूर होकर गल्ला देना पड़ता है। अगर किसी गांव के लोग अपना फार्म नहीं भरते हैं तो सीड स्टोर के सुपरवाइजर सीड स्टोर से गल्ला नहीं दे सकते हैं।

एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और इसमें गल्ले की कमी सदैव लगी रहती है। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वह हर वर्ष बाढ़ और सूखे से तबाह रहता है। उसके दुख को दूर करने के लिये जो सरकार की नीति है कि गल्ले की उपज बढ़ाई जाय और इस ओर सारी शक्ति लगाई जाय इस उद्देश्य का पालन विभाग द्वारा उचित ढंग से नहीं होता है। हमारे देश में कई चीजों की कमी है और सबसे बड़ी कमी जमीन की है। जन-संख्या को देखते हुये पैदावार को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिये विभाग के कर्मचारियों को मंत्री महोदय आदेश करें कि खाद की कमी की पूर्ति कैसे हो इसका आन्दोलन प्रांत भर में होना चाहिये। हरी खाद पैदा करना हमारा किसान नहीं जानता है। हो सकता है थोड़े से फ़ार्मों में हरी खाद होती है लेकिन असल में जो हमारे प्रदेश के कोने-कोने में होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। आपके पास स्टाफ की कमी नहीं है। करीब-करीब हर जिले में केन यूनियन है और एग्रीकल्चर विभाग है। दोनों के कामदार और सुपरवाइजर्स हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जब हरी खाद पैदा करने का सीजन हो तो हमारे केन विभाग और ऐग्रीकल्चर विभाग के सुपरवाइजरों का और कोई काम न हो और वे देहातों में किसानों को हरी खाद पैदा करना बतायें।

दूसरी बात सिंचाई की व्यवस्था के बारे में है। वैसे इस विभाग का उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारी सरकार इस विषय में क्या कर रही है? मैं पूर्वी जिलों के बारे में जानता हूं कि जब आजादी नहीं थी तो हम यह नहीं जानते थे कि ट्यूबवेल किसे कहते हैं और पाताल गंगा कहां से आयेगी और उससे किस तरह से हमें फायदा होगा। लेकिन आज जहां भी संभव हो सकता था वहां ट्यूबवेल और नहरें हमारी सरकार ने बनवाया है। हां, पावर न मिलने से हमारे यहां कुछ दिक्कतें हुई। हम समझे कि ट्यूबवेल लग गये हैं और गन्ने की पैदावार बढ़ाने का काफी प्रयत्न किया लेकिन पावर न मिलने से हमारी मंशा पूरी नहीं हुई। श्रीमन्, पूर्वी जिलों में जब मिलें लगाई गई थीं उस समय प्रदेश के अन्य भागों में शायद और मिलें नहीं थीं। हमने उस समय आशा की थी कि हमारा विकास होगा लेकिन जितनी आशा थी उतना विकास नहीं हुआ। इसके विपरीत जो मिलें बाद में लगीं उनका विकास अधिक हुआ। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हर जिलों पर जो विकास यूनियनें हैं उनके जरिये से जो कमीशन इकट्ठा होता है उसको ले करके नालियां सड़कें आदि बनवाई जायं जिससे किसानों का गन्ना मिलों में ठीक से पहुंच सके।

*श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं क्योंकि मेरी आलोचना उसी के संबंध में होती थी जब मैं कहा करता था लेकिन उन्होंने आज मेरे काम को पूरा कर दिया ।

श्री हुकुम सिंह विसेन—तो उस पर आज न बोलें ।

श्री गेंदासिंह—वह ऐसी समस्या है जिस पर यदि मैं न बोलूं तो न मुझे ही संतोष होगा और न मंत्री जी को । लेकिन बहुत जरुरी बातें ही कहूंगा ।

कृषि का ऐसा व्यवसाय है जिस पर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है और यह भी है कि हमारे प्रदेश में गरीब खेती करने वाले, सबसे ज्यादा बसते हैं । जब तक उनकी माली हालत दुरुस्त न हो तब तक सभी लोगों की माली हालत दुरुस्त होने की आशा नहीं हो सकती । मैं यहां पर एक बात से माननीय राघवेंद्रप्रताप सिंह जी से डिफर करता हूं । उन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये कहा कि कुछ लोग ऐसी बातें पैदा करते हैं जिससे प्रदेश में अशांति पैदा हो जाती है और जमीन के बंटवारे का नाम भी लिया । मैं समझता हूं कि जमीन का बंटवारा ही देश की समस्याओं के समाधान का जरिया है ।

श्री हुकुम सिंह विसेन—आप अनुदान का समर्थन कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी को गलतफहमी हो रही है । आप अनुदान का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं ।

श्री गेंदा सिंह—मैं उनके कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं लेकिन जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे डिसेऐग्री करता हूं और कहता हूं कि जमीन का बंटवारा अत्यन्त आवश्यक है और जबतक वह नहीं होता कृषि की समस्या हल होने वाली नहीं है ।

कोआपरेटिव फार्मिंग की चर्चा करने का समय नहीं है लेकिन इस समय इस संबंध में मैं केवल यह मांग करता हूं कि चाइना डेलीगेशन की जो रिपोर्ट है वह किसी दिन सदन की मेज पर रख दी जाय और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं जरूर चाहता हूं कि इस बजट के बाद कोई वक्त निकाला जाय कि हम उस कोआपरेटिव फार्मिग पर विचार कर सकें, उसके साथ कुछ न्याय कर सकें । खेती के सिलसिले में मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारा उद्देश्य, इस कृषि विभाग का उद्देश्य इस समय यह होना चाहिये कि जितनी खेती इस वक्त हमारी है उसकी पैदावार को हम अधिक से अधिक बढ़ायें । अगर हम पैदावार नहीं बढ़ा सकेंगे तो सारे देशों की जो एक होड़ हो रही है उसमें हम पीछे रह जायेंगे । यह मैं नहीं कहता कि हम लक्जूरियस लाइफ की तरफ जायं, उस तरफ हम न जायं लेकिन हम किसी तरह लोगों को भरपेट रोटी दे पायें यह हमारी मंशा होना चाहिये । हमारे राजस्व मंत्री जी नें सलाह दी कि इंटेंसिव खेती करो । वह तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि हम पानी की अच्छी व्यवस्था न कर लें । उसकी व्यवस्था करने के बाद ही इंटेंसिव खेती की अच्छी व्यवस्था की जा सकती है, उसकी बात की जा सकती है । पानी और खाद यह दो चीजें ऐसी हैं कि जिनके बिना इंटेंसिव खेती नहीं हो सकती, उपज नहीं बढ़ सकती । मैं समझता हूं कि पानी के लिये जो व्यवस्था है उसको देखते हुये मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि अगले ५० सालों में हम शायद सारी खेती को पानी दे पायेंगे । अगर हम ५० साल में ऐसा कर पायें तो इंटेंसिव खेती एक कल्पना की बात है ।

दूसरे खाद की बात है । माननीय नेता विरोधी दल ने उस रोज उसका चर्चा किया था । गोबर जैसी चीज को बचाने के लिये हमने अभी तक कोई उपाय नहीं किया । हमने ऐसे चूल्हों को ईजाद नहीं किया कि जिनकी बदौलत हम लकड़ी बचा सकें और गोबर बचा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

सकें और उसका इस्तेमाल हम खाद के स्थान पर कर सकें। आप प्रदेश क एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाइये, मेरठ जाइये अथवा मुजफ्फरनगर, आप देखेंगे कि हमारा करोड़ों मन गोबर जलकर खाक हो जाता है। इसके लिये खोज करनी चाहिये और सबसे पहला काम कृषि विभाग का यही है कि गोबर को कैसे बचाया जाय।

तीसरी चीज बीज है। अगर मैं आंकड़ों के चक्कर में जाऊं तो उसका समय नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बीज जो हम सप्लाई कर रहे हैं वह नाममात्र का है। मैं राघवेंद्रप्रताप जी से एप्री करता हूं कि अच्छा बीज होने से १५ फीसदी उपज बढ़ सकती है। हमारे कृषि मंत्री जी इसके बहुत शौकीन हैं कि नस्लें बदली जायं। मैं समझता हूं कि इस मामले में भी उनको अगुवा बनाना चाहिये। मैं समझता हूं कि अच्छा होगा कि ज्यादा सांड़ छोड़े जायं जितने छोड़े जा रहे हैं। अगर उसके चौगुने छोड़े जायं तो पांच साल में ही हमारे पशुओं की नस्ल बदल सकती है, लेकिन साथ-साथ यह भी चाहता हूं कि सब बीजों की उपज बढ़ाने के लिये अगर हम जल्दी कर सकें तो अच्छा है। उपाध्यक्ष महोदय, १५ फीसदी उपज केवल बीज बदल देने से ही बढ़ सकती है, तो यह कोई मामूली बढ़ोत्तरी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि बीज देने की जो मिकदार है वह बहुत ही कम है।

अन्त में मैं गन्ने वाले विभाग के सिलसिले में आपकी इजाजत चाहूंगा कुछ दो, तीन मिनट में अपनी बात कहने के लिये। इस बारे में बड़ा चर्चा हुआ। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग की कितनी आवश्यकता है इसको इस वक्त मैं बता नहीं सकता। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है लेकिन आवश्यकता होते हुये इसके ऊपर थोड़ी कड़ी निगाह रखनी चाहिये। इस साल जहांतक मैंने सुना है किसानों को बड़ी तकलीफ हुई। पर्चों बना लेना, गलत पेमेंट हो जाना आदि की शिकायतें काफी हैं। काशीपुर, पीलीभीत आदि के बारे में मैंने सुना। पिछले वर्ष भी काफी गड़बड़ रही। इतने बड़े विभाग के होते हुये भी इस विभाग ने अपने पास कितना गन्ना है इसका सही अंदाज नहीं रखा और जब कभी चर्चा इसका मैं करता हूं और कोई पूंछता है तो हमारे मिनिस्टर साहब को बगल झांकना पड़ती है। उसको अगर हमारे गन्ना विभाग के अधिकारी रोज देखा करें तो उनको मालूम हो कि रऊफ साहब को क्या दिक्कत होती है। जो इंडस्ट्री का मिनिस्टर होता है जब उसके सामने कोई इंडस्ट्री का सवाल आता है या कोई गन्ने की बात पूछी गयी तो सिवाय इसके कि वे बगल झांके और कुछ उनसे नहीं होता है। मैं समझता हूं कि कम से कम मिनिस्टर साहब जो हैं वह अपने अधिकारियों से कहें कि हमको बगल झांकने वाला मत बनाओ। ऐसा बनाओ कि हम कभी जनता को जवाब दे सकें। कम से कम सरकार के पास इसका अन्दाजा नहीं है कि हमारे प्रदेश में कितना गन्ना पैदा होता है। यह किताब छपी है बहुत अच्छी है। मगर इसमें एक बात नहीं लिखी है और वह यह कि एकड़ पीछे उन्होंने कितनी पैदावार बढ़ायी है। जहां इसमें पुरस्कार का जिक्र किया गया है वहां पर उस चीज का जिकर नहीं है। बतलाया गया कि एक जगह २,०४८ मन एकड़ गन्ना पैदा हुआ लेकिन सारे सूबे में उसकी पैदावार घटी है। सूबे में १९ लाख ७० हजार एकड़ में गन्ना था और उसमें ३० करोड़ मन पैदा हुआ क्योंकि सप्लाई इतनी ही थी। अगर इस हिसाब को लगाया जाय तो १५० मन कुछ गन्ना फ़ी एकड़ पड़ता है। पंचवर्षीय योजना के अनुसार हमारे सूबे में ७०० मन फी एकड़ पैदा होना चाहिये। वह पैदावार कैसे हो यह सोचने की बात है। मैं निवेदन करूंगा कि यह मुहकमा ऐसा है कि जिसके फैसले पर हमारी एकानामी डिपेंड करती है। ५ करोड़ के करीब रुपया सरकार को उससे सेस का मिलता है और कई करोड़ रुपया केंद्रीय सरकार को एक्साइज ड्यूटी का इससे मिलता है और कोई फसल ऐसी नहीं है जिससे सरकार को इतनी आमदनी होती हो इसलिये जितनी भी जरूरत पैसे की इसके लिये हो वह हम देने के लिये तैयार हैं मगर उसकी निगरानी सख्ती के साथ होनी चाहिये जिसमें किसानों का अहित न होने पावे।

जो शुगर केन इन्सपेक्टर होते थे उसका अमला कुछ कम कर दिया गया है क्योंकि मैं नहीं समझता कि उसको कम करने की क्या जरूरत है। उसको बढ़ाने की जरूरत है और निगरानी और ज्यादा करने की जरूरत है। मैं तो उनको गाड़ियां भी देने की बात कहता हूं और कहता हूं कि उनको जीप दी जाय। उनको इसकी जरूरत है जिससे वे गांव में किसानों की मदद कर सकें। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर गौर करें। मैं बारीक बातों को छोड़ देता हूं उन पर तो वैज्ञानिक लोग विचार करेंगे। मैं तो मोटी बात करता हूं और मोटी बातों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये ताकि जल्द से जल्द गरीबों की वे वास्तव में मदद कर सकें।

श्री कल्याण राय (जिला रामपुर)--माननीय मंत्री जी और उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामपुर के इलाके से आया हूं और यहां पर दूसरी दफा चुनकर आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष--इस सदन में केवल अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ही सम्बोधित किया जाता है, किसी मंत्री को नहीं।

श्री कल्याण राय--मैं माननीय मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुआ है उसका विरोध करना चाहता हूं। हमारा जो रामपुर का एरिया है उसमें सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है और वही हमारे गन्ने की समस्या है। इस साल वहां पर बहुत गन्ना हुआ है। बहुत समय तक वहां सप्लाई इसकी होती रही और कम दाम हमारे काश्तकारों को मिले। कहीं पर गन्ने का दाम १ रु० ७ आना मिला है कहीं १ रु० ५ आ० मिला है, कहीं १ रु० ३ आ० मिला है और हमारे यहां तो १४ आ० मन तक गन्ने का दाम दिया गया है। अगर गन्ने की कीमत कम देंगे तो किसानों का नुक्सान होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि गन्ने की समस्या हमारे रामपुर में बहुत ज्यादा है और उसको हल करने के लिये वहां दूसरी फैक्ट्री लगायी जाय या वहां के काश्तकारों से कहा जाय कि उनको गन्ने की खेती कम करनी चाहिये। क्योंकि गन्ना जब बाहर जायगा तो काश्तकारों को रुपया नहीं मिल सकता है। गन्ने की कीमत तो लकड़ी की कीमत से भी कम रखी गयी है। लकड़ी तो बिके तीन रुपये ढाई रुपये मन और गन्ना एक रु० ८ आ० मन बिके। यदि उसको सूखी लकड़ी भी माना जाय तो भी उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा दी जानी चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि गन्ने का दाम बहुत कम है।

इसके अलावा जो पानी के साधन हैं, नहरें वगैरह ऐसी हैं जो अप्रैल के बाद मई, जून में पानी नहीं देती हैं जिसकी वजह से गन्ना सूख जाता है, इसलिये वहां की समस्या बहुत खराब है। रामपुर बहुत बैकवर्ड एरिया रहा है, वह बहुत गरीब जगह है फिर भी जबकि और जिलों में लगान ७-८ रुपये फी एकड़ है, हमारे यहां १७,१८ रु० फी एकड़ लगान देना पड़ता है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मुझे कहना है कि वहां की समस्या बहुत कठिन है।

जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने गोबर के बारे में कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि वाकई गोबर सबसे बेहतर खाद है। जो बाहर के खादों के लिये ३७,३८ रुपये बोरी कीमत दी जाती है उससे यह बहुत बेहतर खाद खास तौर से गन्ने के लिये है। मैं भी खेती-बारी का काम थोड़ा बहुत जानता हूं, इसी बिना पर मैं कहता हूं कि सबसे बेहतर खाद गोबर की है इसलिये जानवरों को ज्यादा से ज्यादा पलवाया जाय और ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा हो।

इसके अलावा हमारे यहां तहसीलों में जो बेसिक स्कूल्स वगैरह हैं, वहां पढ़ाई बहुत कम होती है। कम से कम हर तहसील में दसवें दर्जे तक स्कूल होने चाहिये। चूंकि वह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है क्योंकि पहले यह रामपुर रियासत में था।

श्री उपाध्यक्ष---यह आप शिक्षा विभाग के बजट पर कहियेगा।

श्री कल्याणराय---मैंने चाहा पढ़ाई पर बोलने को लेकिन आप बोलने के लिये मौका तो देते नहीं। आप नाम तक तो जानते नहीं। इसलिये जितनी बार हम खड़े होते हैं और बोलना चाहते हैं तब तो आप बोलने ही नहीं देते। इसलिये हम अपनी बात को कहें तो कब कहें ?

श्री उपाध्यक्ष--आप खेती के स्कूल के बारे में तो नहीं कह रहे थे ?

श्री कल्याणराय---खेती के स्कूल की बात तो नहीं कह रहा था लेकिन उसकी बात भी कहूंगा। बात यह है कि वैसे बात तो अपनी कहनी जरूर ही है हमको।

श्री उपाध्यक्ष---अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो बैठ जाइये, यह जरूरी नहीं है कि आप ७ मिनट बोलें ही।

डाक्टर खमानी सिंह (जिला मुरादाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी तरफ से कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पेशतर इसके कि मैं इसके मुताल्लिक कुछ कहूं मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि हमें यह एक लिपस्टिक लगी किताब मिली है, इसके मुताल्लिक मैं कुछ कह दूं। यह कितनी खूबसूरत किताब है, इसके दो माने हो सकते हैं, ऐसी किताबें या तो बच्चों को दी जाती हैं या वैसे बाजारों में मिलती हैं। उसकी खूबसूरत बातें बतलाती हैं कि कैसे रूपया बरबाद हो रहा है। इस किताब को देखकर कोई भी आदमी समझ सकता है कि हमारा पैसा कैसे खर्च हो रहा है और बरबाद हो रहा है। एक तरफ तो हमारे पास जरूरी कामों के लिये पैसा नहीं है और दूसरी तरफ इस तरह से उसकी बरबादी हो रही है। दूसरे इस किताब में ४--५ तसवीरें हैं, जो यह जाहिर करती है कि उनका क्या मतलब है और हमारा पैसा कैसे खर्च हो रहा है, यह हमारे विभाग के मुलाजिम हैं जो सरकार से तनख्वाह पाते हैं और इस तरह की किताबें छाप कर पैसा बरबाद करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप ऐसी व्यक्तिगत बातें न करें। इस किताब के विषय में आपने काफी कह दिया, अब अनुदान पर बोलें।

डाक्टर खमानी सिंह---इस किताब में जो तसवीरें हैं उनके बारे में मैं कहूंगा कि वे ऐसी हैं कि जिस तरह से माइथालाजी की चीजें होती हैं।

किसान के लाभ के लिये सब से बड़ी और खास चीज गन्ना है। जो काश्तकार गन्ना नहीं बोता वह खास तौर से गरीब रहता है और उसकी गुजर नहीं होती। गन्ना एक ऐसी चीज है कि जिस को वह पैदा करता है तो खुशहाल रहता है और उसके बगैर काश्तकार की गुजर नहीं होती। जिन जिलों के किसान गन्ने की खेती करते हैं उनकी हालत अच्छी है है उन जिले के किसानों से जहां गन्ना नहीं होता, वह किसान गरीब हैं। हमें यह देखना चाहिये कि जो गन्ना हमारा किसान पैदा करता है वह सही वक्त पर और सही दामों पर बिकता है या नहीं। गन्ने का सीजन नवम्बर से ३१ मार्च तक होता है, अगर इस वक्त के अन्दर उसका गन्ना पिर जाये तो वह काश्तकार बहुत भाग्यशाली और खुशहाल रहता है लेकिन होता यह है कि उसका गन्ना अकसर जून और जुलाई तक पेरा जाता है। चाहे कृषि मंत्री जी के विभाग के लोग खूब एक्सपेरीमेंट करें खूब तारीफ करें लेकिन मैं जानता हूं मैं भी एक किसान हूं, कि मई के महीने में काश्तकार को गन्ना छोलने में कितनी तकलीफ होती है, कागज पर खूबसूरती से तसवीर छपवा देने से कुछ नहीं होता, मुझे कहना पड़ेगा कि किसान की तकलीफ किसान से पूछो, वही जानता है मई के महीने में गन्ना कैसे छोला जाता है और क्या तकलीफ होती है और जो १४ आना मन गन्ने की कीमत उस जून, जुलाई में दी जाती है वह इतनी भी नहीं होती कि उसका स्टेशन तक गन्ना ले जाने का भाड़ा या खर्च भी निकल आवे, क्या वह खर्च करे और क्या रखे, क्या छलाई दे।

श्री उपाध्यक्ष--जरा सदन में शान्ति रहनी चाहिये, बातचीत बहुत हो रही है ।

डाक्टर खमानी सिंह---जो गन्ना ३१ मार्च के बाद पेरा जाता है उसमें केवल किसान का ही नुकसान नहीं है, बल्कि उससे सारे देश का नुकसान है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है और इस तरह से देश का नुकसान होता है । हर जगह गन्ने के मार्केटिंग का घपला रहता है । मैं बताऊं कि हमारे जिले में जो खादर का इलाका है और जहां ४-५ दरिया बहते हैं, वहां मुरादाबाद के जिले में गन्ना बहुत होता है । एक बार का बोया गन्ना तीन-तीन चार-चार साल तक चलता है, लेकिन गन्ने को पेरने का उस खादर के इलाके में कोई प्रबन्ध नहीं है, वहां गन्ना बहुत कम पेरा जाता है और कोल्हू वगैरह वह लगाते हैं तो नुकसान होता है । मेरा खयाल है कि यह जो केन मार्केटिंग सोसाइटी है उससे ज्यादा करप्ट सोसाइटी और कोई न होगी । इसके मुताल्लिक चूंकि करप्शन का मामला है मैं अर्ज करूं कि करप्शन के मुताल्लिक एक रोज मुकर्रर करें, लोगों से पूछें कि किस तरह से उसको डाइगनोज किया जा सकता है और किस तरह से ठीक किया जा सकता है । थोड़ा बहुत मौका दें तो अर्ज करूंगा कि कैसे इसको डाइगनोज किया जा सकता है, क्या इसके काजेज हैं और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है । मेरे पास एक दरख्वास्त आयी है ५२-५२ पर्चियां क्लर्कों ने चुरा ली हैं, जिनकी कीमत २,२०० रु० है । वे रेड हैन्डेड पकड़े गये, लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया गया । सन् १९४८-४९ का पैसा आज तक नहीं पे किया गया । लोग जाते हैं दो, दो रुपये खर्च करके और शाम को निराश होकर लौट आते हैं । तो यह शिकायतें हैं गन्ने के मुताल्लिक, जिनको देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं । हर काश्तकार का हर गाड़ी पर कम से कम २ मन गन्ना मारा जाता है और तौल बाबू से फिर सब लोग हिस्सा बटाते हैं । केन सोसाइटीज के पेट में जाता है । यह हालत है इस डिपार्टमेंट की । मैं चाहूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाय और मुरादाबाद तहसील, ठाकुरद्वारा तहसील में एक मिल खोलने की कोशिश की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह से) आप केवल ३, ४ मिनट का ही समय लीजिए ।

श्री राघवेंद्रप्रताप सिंह---श्रीमन्, जो मैंने कटौती पेश की है और जो उसका उद्देश्य था सुझाव देना, मैं समझता हूं सब लोगों ने हमारा समर्थन ही किया और सबने कुछ न कुछ सुझाव ही दिये और विभाग में क्या बुराइयां हैं, किस प्रकार तरक्की हो सकती है, सबने उस तरफ ध्यान दिलाया । केवल भाई गेंदा सिंह जी ने जो भूमि वितरण का प्रश्न छेड़ा था, उसका जिक्र किया और जो उन्होंने हमसे मतभेद प्रकट किया यह हमारा उनका मतभेद आज से नहीं बहुत दिनों से है और शायद बहुत दिनों तक रहेगा । जो उन्होंने दलील पेश की कि भूमि वितरण करें, मैं फिर कहूंगा कि यही हमारे देश की बरबादी का कारण होगा, जिस दिन यह हो जायगा । साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन है, ६ करोड़ हमारी आबादी है, पौन एकड़ का औसत पड़ता है फी आदमी पर । अगर आप मजबूर करते हैं कि इतने में आदमी खुशहाल रहे तो यह मुमकिन नहीं है । रूरल एकोनोमी कमेटी की जो रिपोर्ट है वह यह कहती है कि ६ से लेकर १२ एकड़ तक के किसान को लाभ नहीं मिलता है और उनको दूसरे व्यवसायों से अपना पेट भरना पड़ता है । भू-वितरण का प्रश्न अगर आगे बढ़ाया जाय तो यह तो कहा नहीं जा सकता कि क्या सीमा आप बनायेंगे, और नतीजा वही होगा कि या तो कलेक्टिव फार्मिंग हो या कोआपरेटिव फार्मिंग । पोलैण्ड में जब कोआपरेटिव फार्मिंग अपनायी गयी तो उनकी पैदावार दिन ब दिन घटती गई । चीन में जो हालत है आज उनका प्रोडक्शन गिरता जा रहा है और सम्भव है कि वही कलेक्टिवाइजेशन करें । और आपके यहां रुद्रपुर फार्म है, और स्टेट मेकेनाइज्ड फार्म्स हैं और कलैक्टिवाइजेशन का नतीजा यह है कि कोई फायदे पर नहीं चल रहे

[श्री राघवेंद्रप्रताप सिंह]

हैं। और आखिर में वही आप पहुंचेंगे। श्रीमन्, अन्त में फिर यही निवेदन करूंगा कि देहात की तरफ विशेष ध्यान दें और अगर देहात में यह आवाज होती रहेगी तो कोई आदमी देहात में नहीं रह जायगा। देहात के पढ़े लिखे नौजवान शहर में चले जायंगे तो देहात में अंधकार हो जायगा। देहात में परेशानी है, कोई रहना पसन्द नहीं करता। जिसके पास चार पैसा होता है शहर में जाता है और मैं फिर कहूंगा कि यह प्रयोग हो चुका है अमेरिका वगैरह में कि खेती में और उत्पादन बढ़ाने के लिए जो साधन किये गये हैं प्रोपेगैंडा, लिटरेचर आदि चीजें, इनसे ९ प्रतिशत अगर प्रोडक्शन बढ़ा है तो दूसरी ओर एक एजुकेटेड फार्मर अगर उस लोकैलिटी में रहा है उसकी महज प्रिजेंस से, उसके खुद उदाहरण से २१ प्रतिशत की पैदावार बढ़ गई है। तो मैं कहूंगा कि एजूकेटेड फार्मर को देहात से न निकालिए, तभी देहात की तरक्की हो सकती है। वह वहां का, फिलासफर है, देहात का गाइड है, देहात का सब कुछ है। अगर आप उसको हटा देंगे तो जो आज है उसे पुलिस राज कहिए या आतंक का राज्य कहिए, वही देहात में होने जा रहा है।

श्री हुकुम सिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् राजा साहब का व अन्य मित्रों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने कि इस ग्रान्ट के सम्बन्ध में बहुत सी बातें सुझाव के तौर पर कही। सबसे पहली बात राजा साहब ने सीलिंग वगैरह के बारे में कही। राजा साहब के खड़े होने के पहले ही मैं तो सोचता था और आशा करता था कि राजा साहब यह बात अवश्य इस कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस सदन के सामने पेश करेंगे और मैं यह भी समझता था कि श्री गेंदासिंह जी उसका विरोध करेंगे। जहां तक इस उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है जैसा कि राजा साहब ने अपने वक्तव्य में संकेत किया था, हमारे साथी चौधरी चरणसिंह जी ने इस सम्बन्ध में अपनी कुछ राय व्यक्त की थी। उसके साथ-साथ मैं राजा साहब की तवज्जह जमींदारी एबालीशन तथा भूमि-व्यवस्था ऐक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। उस में भी इस बात का इन्तजाम है कि जो मौजूदा फार्म है ख्वाह वह कितने ही बड़े हों वह बदस्तूर कायम रहें और आइन्दा जो कोई शख्स जमीन खरीदे वह ३० एकड़ से ज्यादा नहीं खरीद सकता। ऐसी व्यवस्था उस ऐक्ट में है। अभी वह तरमीम नहीं हुआ है। बदस्तूर कायम है। तो जहां तक इस राज्य का सम्बन्ध है, एक कानून इस सदन ने बनाया है। जब तक वह मौजूद है तब-तक और इस तरह की बातों से खायफ होकर के हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग जो गांवों में खेती कर रहे हैं उनको भागना न चाहिये और अपने काम में तत्पर रह कर जैसे पैदावार में इजाफा करने में मदद करते आये हैं मदद करें। जब कोई परिस्थिति आयेगी हम समझते हैं हमारे नौजवान उसका भी मुकाबिला करेंगे। जमींदारी एबालिशन के वक्त हमारे जो जमींदार साहबान थे कितना उसके मुखालिफ थे और उससे कितना खायफ थे। लेकिन खत्म हो जाने के बाद वह जो बेकार खौफ था या उनके दिलों में डर था वह बिलकुल गायब हो गया। हमको तो वैसे ही प्रसन्नचित्त अब भी जमींदार साहबान दिखलाई देते हैं जैसे जमींदारी एबालीशन के पहले थे। लिहाजा इन खतरों से डरना नहीं है। संसार में तरह-तरह की परिस्थितियां आती हैं, उनका मुकाबिला जब आ जायं तब करना चाहिये। किसी खतरे को सोचकर पहले ही डर कर के बुजदिली से काम नहीं करना चाहिये। इतना मुझे इस सम्बन्ध में कहना है।

जहां तक हमारे राजा साहब ने और तमाम बातें कही हैं यह सभी जानते हैं कि खेती की पैदावार की तरक्की के लिये चार, पांच चीजें मुख्य हैं। हर आदमी खेती पर जब बोलने खड़ा होता है तो वही चार, पांच चीजें दोहरा देता है। मुझे भी इस सम्बन्ध में उस परिपाटी का अनुकरण करना है कि खेती के लिये पानी, अच्छे बीज, अच्छे औजार, अच्छे काश्तकार व अच्छी तरह से खेती करने के तरीकों की जरूरत होती है।

यह कह देना बहुत आसान है कि सरकार के सब आंकड़े गलत होते हैं। गलत इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है, लेकिन रेनडम सर्वे के जरिये हजारों जगहों से फसल कटवा कर तख्मीना निकाला

जाता है और जो आंकड़े होते हैं वे सेन्ट परसेंट तो नहीं, लेकिन एप्राक्सिमेटली सही होते हैं। उनको देखने से पता चलता है कि हमारे प्रदेश में एग्रिकल्चरल प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। अक्सर लोग कह दिया करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पैदावार में इजाफा नहीं हुआ। मैं उनकी इत्तिला के लिये अपने सूबे का जो ट्रेड बैलेंस है उस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

साल में ३ करोड़ मन गल्ला सूबे से बाहर भेजा जाता है। १ करोड़ मन इम्पोर्ट करते हैं। इस तरह से २ करोड़ मन गल्ला हर साल बाहर भेजते हैं। फिर हमारे सूबे में एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। जो रिपोर्ट्स उस सम्बन्ध में आईं वे गलत साबित हुईं। यह कभी संभव नहीं हो सकता कि २ वर्ष का बच्चा भूख से मर जाय और उसकी माता जिन्दा रहे। यह बिल्कुल अनेचुरल है कि माता पिता खुद जिन्दा रहें और बच्चा मर जाय। पहले वे बच्चे को खिलायंगे, उसको मरने नहीं देंगे। अगर गल्ले की पैदावार में इजाफा नहीं है तो कहां से हम हर साल २ करोड़ मन गल्ला बाहर भेज देते हैं।

मेरे भाई गेंदा सिंह जी यहां मौजूद नहीं हैं। खैर, उनको खबर मिल जायगी। वे हमेशा भुखमरी का नारा बुलन्द किया करते हैं। दिक्कतें हैं, लेकिन जिस तरह से उसको तूल दिया जाता है वह कैफियत नहीं है। अगर उस डिवीजन के ट्रेड के आंकड़े देखे जायं तो वाराणसी डिवीजन में वाराणसी स्टेशन से १६ लाख मन चावल बाहर बिहार व उड़ीसा को भेजा गया। यह वही इलाका है आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर, जहां भुखमरी है, यहां से १६ लाख मन चावल बाहर एक्सपोर्ट किया गया। इतना गल्ला एक्सपोर्ट हो और भुखमरी की हालत हो, यह संभव नहीं है।

जैसा कि राजा साहब ने फरमाया था मेरी यह स्कीम थी कि इर्रीगेटेड व्हीट एरिया को हम ७० फीसदी वेस्ट सीड से सेचुरेट करना चाहते हैं और उसी तरह धान के इर्रीगेटेड एरिया को ३७ परसेंट वेस्ट सीड से सेचुरेट करना चाहते हैं। इसके लिये हमने काफी प्राविजन रक्खा है। यह हम मानते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी आ जाती हैं, जिनका हम गुमान नहीं कर सकते हैं और जिन पर हमारा और आपका कोई काबू नहीं हो सकता है वह हमारी स्कीमों को उस हद तक सफल नहीं होने देतीं जिस हद तक हमारा और आपका इरादा होता है। यह भले ही मुमकिन हो कि ७० प्रतिशत के बजाय ६५ प्रतिशत तक ही पहुंचूं, लेकिन इरादा कर लिया है कि हम सीड स्टोर्स की तादाद बढ़ायेंगे और अपने यहां १०० फार्म्स खोलेंगे और उनमें अच्छे बीज पैदा कर के लोगों को देना चाहते हैं।

जो बात हमारे राजा साहब तथा अन्य मित्रों ने बताई वह मेरे ध्यान में है कि रासायनिक खादों का प्रबन्ध है और देशी खादों का कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं इससे अक्षरशः इत्तफाक करता हूं कि अगर हमारी देशी खादें नहीं डाली जायंगी और रासायनिक खादों का ही प्रयोग होगा तो हमारे खेत दो चार वर्षों में ही ऊसर हो जायंगे और हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जायगी। इस बात को मद्देनजर रखकर मैंने लाखों पैकेट्स सनई और ढांचे के बीज के दिये हैं। हमारे पास ग्रीन मैन्योर के इतने बीज नहीं हैं कि हम सब किसानों को बांट सकें।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—पुड़ियों में बांटी है।

श्री हुकुमसिंह चिसेन—अगर आप को दिया होता तो बोरे में भेज देता, तब शिकायत होती कि बड़े आदमी को दे दिया गया। एक रोटी है तो एक लुकमा सबको दूंगा, तनहा आप को नहीं दूंगा। एक पौंड और दो पौंड की तादाद में बांटे और किसानों से प्रार्थना की है कि वह अपने खेतों की मेड़ों पर बोकर बीजों का संग्रह करें और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। मुझे आशा है कि सब किसान और खास तौर से गरीब किसान जरूर इसको मानेंगे। हमारे बड़े-बड़े महारथी जो बीज पैदा करेंगे वह उनसे खरीदकर हम बांटेंगे।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही हमारी योजना नाकाफी हो, भले ही रकम कम हो, लेकिन हमारे दिल में खयाल है और इस बात की दाद दी जानी चाहिये। सरकार के रिसोर्सेज कम होते हुये भी मैं लोकल मैन्योरल रिसोर्सेज बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा रहा हूं, जिससे देशी खादों में इजाफा होकर लोगों को फायदा पहुंचे।

मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं, मैं मंत्री हूं खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, कि मैं ग़ल्ती भले ही कर जाऊं, लेकिन कोई धोखा नहीं दे सकता कि कम्पोस्ट का गढ़ा दिखा दे और अन्दाजा न लगा सकूं। मैं लखनऊ शहर में रहता हूं, लेकिन गांव से संबंध तोड़ा नहीं है, बदस्तूर कायम है और घनिष्ट होता जा रहा है। मैं खुद निगरानी नहीं करता हूं, लेकिन घर में छोटी मोटी खेती का मुझे अनुभव है। मैं शाह साहब या राजा साहब की बराबर जानकारी न रखता होऊं, लेकिन मैं कोरा कारा मंत्री नहीं हूं। मैं राजा साहब से इत्तफाक करता हूं कि हमारे विभाग को कुछ रिआर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, ताकि जो प्लानिंग में लोग हैं, उन पर हमारा भी कुछ अंकुश काम करता रहे और जो टेक्नीकल आदमी हैं, वह उनसे मुनासिब काम लेते रहें। यह प्रश्न विचाराधीन है और सम्भवत: यह हो जायगा। कैरेक्टर रोल का भी मसला करीब-करीब तय हो चुका है। तो इस तरफ जो गड़बड़ी हुई है वह दूर हो सकती है, ऐसा मेरा खयाल है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो जरूर खेती को प्रथम स्थान दिया गया था, लेकिन दूसरी में कुछ दर्जा कम हो रहा था। अब भगवान् की प्रेरणा से फिर इसको ऊंचे से ऊंचा दर्जा दिया गया और सब का ध्यान इस तरफ है कि बिला खेती के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जब यह विचारधारा हमारे और आपके सामने आ गयी तो मैं समझता हूं कि हमारे रास्ते में अब कोई अड़चन नहीं है।

बीस मिनट मेरे लिये है, सबकी खबर तो मैं नहीं ले सकता इतने कलील वक्त में, लेकिन अपने मित्रों से मैं फिर भी बातें कर सकता हूं और जो जिसके सुझाव है उनको सुन कर अमल करने की कोशिश करूंगा। गन्ने के बारे में बड़ी शिकायत थी। हमारे कुछ मित्रों के नुक्ते खयाल से तीन वर्ष के ऐवरेज का सिस्टम गलत साबित हो रहा है और छोटों को पर्ची नहीं मिलती है, बड़ों को मिल जाती है। यह एक्सपेरीमेंट मैंने नहीं किया, बल्कि एक कमेटी कायम हुई थी, जिसमें गन्ने के जो एक्सपर्ट हैं, श्री गेंदासिंह जी और श्री वीरेन्द्र वर्मा जी, ये लोग उसमें बैठे थे और सर्व सम्मति से यह तय किया गया कि तीन वर्ष का ऐवरेज निकाल कर बेसिक कोटा कायम किया जाय। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उस पर पुन: विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर यह कहा जाय कि सरकार ही सोलह आने दोषी है तो यह गलत है। हमारे जिन मित्रों ने यह तय किया था, वे भी इस दोष में काफी हद तक हिस्सेदार हैं।

मैं राजा साहब से एक बात और कह देना चाहता हूं। उन्होंने यह फरमाया था कि बाण्डेज में बड़ी बेईमानी होती है और उदाहरण के तौर पर जरवल मिल को बताया, जो मेरे क्षेत्र में है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बान्डेज की गड़बड़ी से वहां पेराई कम नहीं हुई। वह फैक्ट्री वक्तन फवक्तन आउट आफ आर्डर होती रही, जिससे नहीं पेर सकी और तुलसीपुर की तरफ गन्ना भेजना पड़ा, ताकि बाकी न रह जाय।

बहुत शिकायत की गयी कि दाम वसूल नहीं होते। ठीक है। वैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से इसका सम्बन्ध है, मार्केटिंग का, गन्ना बिकवाने का और उसका दाम वसूल करने का, लेकिन ३८ करोड़ रुपये का गन्ना अबके बिका जिसमें १५ जुलाई तक १ करोड़ ७० लाख रुपया बाकी था। इन १५–२० दिन में मैं समझता हूं कि ६० लाख रुपये के करीब और वसूल हो गया होगा। तो लगभग १ करोड़ के अब बाकी है। बमुकाबले और सालों के अब की वसूली बहुत ज्यादा हुई। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि एरि-

यर के सर्टिफिकेट्स केन कमिश्नर ने कलेक्टर्स के नाम जारी कर दिये है ताकि वे कुर्की वगैरह करके यह रकम जल्द अज जल्द वसूल करा दें। यही कानून के अन्दर हमारा अख्तियार है। उसक बरतन में डिपार्टमेंट की तरफ से कतई कोई कोताही नहीं की गयी है।

और हमारे मित्र खूबानी सिंह (एक आवाज खूबानीसिंह नहीं खुमानी सिंह) मुझे तो नैनीताल की खूबानी याद आने लगीं, ने एक हीट पैदा कर दीं, जिसकी जरूरत यहां नहीं थी। गन्ना हमारे सूबे में इतना बोया जा रहा है कि सबका पेरना आसान काम नहीं है। हमारे मित्र बड़े भारी ग्रोअर हैं, वे जानते हैं कि अबकी कितना गन्ना पेरा गया है। लेकिन हमको आगे चल कर एक व्यवस्था करनी ही पड़ेगी कि हर किसान अपनी होल्डिंग का इतना परसेंटेज ही गन्ना बो पायेगा वरना अगर उससे ज्यादा गन्ना बोया जायेगा तो फिर इतनी फैक्ट्री खोली नहीं जा सकती और कोई बनिया, जब तक फायदा नहीं होगा तब तक फैक्टरी खोलेगा नहीं। बांधे बनिया बाजार नहीं लगती, यह देहाती कहावत है। लिहाजा गन्ना उतना ही बोया जाय, जितना पेरा जा सके।

श्री उपाध्यक्ष––पांच मिनट और सदन का समय बढ़ा दिया जाय, अगर मंत्री जी अभी देर में खत्म करना चाहें।

श्री हुकुमसिंह विसेन––जी नहीं। मैं खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इन दोनों अनुदानों को मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१––कृषि के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१––कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज––लेखा शीर्षक: ४०––कृषि के अन्तर्गत ३,३२,१४,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५––कृषि सुधार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५––कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत––लेखा शीर्षक ७१––कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ९,९५,६९,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
५ अगस्त, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५४ पर)

पास के स्कूल के मैदान का पानी दीवाल तोड़ कर नाली में अचानक आ जाने से करीब ३०० फीट की लम्बाई में एक ओर का खरंजा बैठ गया है जिसकी मरम्मत करीब ७०० रु० में हो जावेगी। नाली की पूरी लम्बाई साढ़े छः फर्लांग है और २९ हजार रुपये की लागत से बनाई गई थी।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५६ पर)

खटीमा बिजली घर के कर्मचारियों को निम्नलिखित वेतन, मंहगाई, एवं कम्पेंसेटरी एलाउन्स तथा सुविधायें सरकार द्वारा स्वीकृत हैं।

पद	वेतन	महंगाई	कम्पेन्सेटरी एलाउन्स
गजटेड स्टाफ--			
१--इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ..	५००--५०--१००० --ई०बी०--५०-- १,२०० रु०	..	..
२--असि० इंजीनियर	२५०--२५--४००-- ई०बी०--३०--७००- ई०बी०--५०--८५० रु० (प्रारम्भिक वतन ३०० रु० प्रति मा०)	३००--४५० रु० वेतन तक ३५ रु०	..
सबार्डिनेट इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजीनियरिंग स्टाफ--			
३--पावर हाउस सुपरिन्टेन्डेन्ट ..	२००--१०--२५०-- ई०बी०--१०--३१०-- ई०बी०--१४--४५० रु०	३५ रु०	..
४--सीनियर इलेक्ट्रीशियन	१२०--६--१६२-- ई०बी०-६--२१०-- ई०बी०--१०--२५० रु०	१२०--१५० रु० तक ३० रु० १५० रु०, से अधिक पर ३५ रु०	२५ रु०
५--शिफ्ट सुपरवाइजर	उपर्युक्त	उपर्युक्त	उपर्युक्त
६--लाइन इन्सपेक्टर	,,	,,	,,
७--स्टेशन सुपरवाइजर	,,	,,	,,
आपरेटिंग स्टाफ--			
८--टेबुल ज्वाइंटर ..	,,	,,	,,
९--स्टोर कीपर ..	७५--५--१२०-- ई०बी०--८-- २०० रु०	७५--१०० रु० तक २५ रु०, १०० रु० से अधिक पर ३० रु०	..
१०--असिस्टेंट स्टोर कीपर ..	६०--३--९०--४ --११० रु०	६०--१००--रु० तक २५ रु०, १०० रु० से अधिक पर ३० रु०	..

पद	वेतन	महंगाई	कम्पेंन्सेटरी एलाउन्स
११—जूनियर इलेक्ट्रीशियन	५०—५—९० रु०	५० रु० तक २० रु० ५० से अधिक पर २५ रु०	..
१२—स्विच बोर्ड अटेन्डेन्ट	उपर्युक्त	उपर्युक्त	..
१३—लारी ड्राइवर ..	,,	,,	..
१४—टरबाइन ड्राइवर	,,	,,	..
१५—वेल्डर ..	,,	,,	..
१६—फिटर और टर्नर	,,	,,	..
१७—पम्प अटेन्डेन्ट ..	५०—५—९० रु०	५० रु० तक २० रु०, ५० रु० से अधिक पर २५ रु०	..
१८—इलेक्ट्रिक ट्रेन आपरेटर ..	,,	,,	..
१९—ब्लैक स्मिथ ..	४०—४—८० रु०	,,	..
२०—सेन्ट्रीफ्यूगल मिस्त्री	,,	,,	..
२१—कार्पेन्टर ..	,,	,,	..
२२—पेन्टर ..	,,	,,	..
२३—आयलर ..	३०—१—४० रु०	२० रु०	..
२४—स्टोर जमादार ..	,,	,,	..
२५—स्टोर चौकीदार ..	,,	,,	..
२६—वर्कशाप मजदूर ..	,,	,,	..
२७—क्लीनर ..	,,	,,	..
२८—बेलदार ..	,,	,,	..
२९—रेगुलेशन बेलदार	,,	,,	..
आफिस स्टाफ—			
३०—एकाउन्टेन्ट ..	१३०—१०—२५०— ई०बी०—१५—३५५ रु०	१३०—१५० रु० तक ३० रु०, १५० रु० से अधिक पर ३५ रु०	..
३१—हेड क्लर्क ..	१००—८—१४०— ई०बी०—१०—१७० रु०	१००—१५० रु० तक ३० रु०, १५० रु० से अधिक पर ३५ रु०	..
३२—स्टेनोग्राफर ..	७५—४—९५— ई०बी०—५—१५० रु०	७५—१०० रु० तक २५ रु०, १०० रु० से अधिक पर ३० रु०	..
३३—नोटर और ड्राफ्टर	८०—५—१००— ई०बी०—६—१३० रु०	८०—१०० रु० तक २५ रु०, १०० रु० से अधिक पर ३० रु०	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३४—रोटीन ग्रेड क्लर्क	६०—३—९०—ई०बी०—४—११० रु०	६०—१००— रु० तक २५ रु०, १०० रु० से अधिक पर ३० रु०	. .
३५—टाइम कीपर . .	,,	,,	. .
इन्फीरियर स्टाफ—			
३६—चपरासी . .	२२—१/२—२७ रु०	२० रु०	. .
३७—दफादार . .	,,	,,	. .
३८—बर्कन्दाज . .	,,	,,	. .
३९—माली . .	,,	,,	. .
४०—माली कुली . .	,,	,,	. .
४१—हरकारा . .	,,	,,	. .
४२—पानीवाला . .	,,	,,	. .
४३—मेहतर . .	,,	,,	. .
४४—चौकीदार . .	,,	,,	. .

सुविधाएं

१—इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, पावर हाउस सुपरिन्टेन्डेन्ट और कार्यालय के कर्मचारियों को उनके वेतन का १० प्रतिशत, किराया लेकर निवास के लिये मकान दिये जाते हैं।

२—सीनियर इलेक्ट्रीशियन, शिफ्ट सुपरवाइजर, लाइन इन्सपेक्टर, स्टेशन सुपरवाइजर, आपरेटिंग तथा इन्फीरियर स्टाफ के लोगों को गृह निःशुल्क दिये जाने की व्यवस्था है। आपरेटिंग स्टाफ के लोगों को विद्युत भी निःशुल्क दी जाती है।

३—खटीमा बिजलीघर पर स्थित डिस्पेंसरी द्वारा वहां के कर्मचारियों को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर)

भारत सरकार द्वारा लाइसेंस-प्राप्त उद्योगों के कारखानों की सूची

१—सोडा ऐश और अमोनियम क्लोराइड उद्योग, वाराणसी,

२—रेयन फिलमेंन्ट यार्न उद्योग, कानपुर,

३—टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स मन्यूफैक्चरिंग फैक्ट्री, कानपुर,

४—रेलवे वैगन्स बनाने के कारखाने गाजियाबाद और कानपुर,

५—ट्रान्सफारमर्स और सूईचगीयर्स फैक्ट्री, नैनी,

६—सीमेन्ट फैक्ट्री देहरादून,

७—रेपिंग पेपर, इलाहाबाद और बगैसे पर आधारित कागज का कारखाना, मेरठ,

८—सलफ्यूरिक एसिड, कानपुर,

९—क्रोमिक्रेस्ट, कानपुर,

१०—लखनऊ में टार्च निर्माण करने की एक फैक्ट्री।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर)

गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्टस के पिछले दस वर्षों के लाभ-हानि का ब्यौरा निम्नलिखित था :—

वर्ष	लाभ	हानि
	रु०	रु०
१९४७–४८	२९,८३७	..
१९४८–४९	२३,२८५	..
१९४९–५०	..	२,४४,६७८
१९५०–५१	..	१,४५,१२२
१९५१–५२	..	१,१३,११८
१९५२–५३	..	१,४२,८१४
१९५३–५४	..	१,६१,८९३
१९५४–५५	..	३,११,२४८
१९५५–५६	..	२,२७,८४८
१९५६–५७	इस वर्ष के लेखे का आडिट अभी तक न होने से लाभ हानि का निश्चय नहीं हुआ है।	

की० एस० यू० पी० ए० पी० ९६—एल ए०—१९५७—७९६।